
₹25
हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
क्रान्ति
सितम्बर 2018
■ इस्लाम की आस्थाएं
–शेख अली तंतावी
■ इस्लाम की श्रेष्ठता
–स्वामी विवेकानन्द
■ मानव समाज में पिता की भूमिका
–जहीर ललितपुरी

With Best Compliment From

DR. M. A. PATANKAR

Al-Khaleej Diagnostic Centre









M-2, 2nd Floor, Above SBI Bank
South Extension Part-2, New Delhi-110049
Email : alkhaleejdc@yahoo.com
Tel. No. : 011-26262680-41646577

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 28 अंक 3 सितम्बर 2018

हमनें इबराहीम के लिए अल्लाह के घर को ठिकाना बनाया, इस आदेश के साथ कि "मेरे साथ किसी चीज़ को साझी न ठहराना और मेरे घर को तवाफ़ (परिक्रमा) करने वालों और खड़े होने और झुकने और सजदा करने वालों के लिए पाक-साफ़ रखना।" –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल managerkantidelhi@gmail.com

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 60/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'कान्ति'** के नाम से बनवाएं

कुछ तो सोचिए...!

टयूरिम यूनीवर्सिटी (इटली) की
रेडियोलॉजी विशेषज्ञ
मारियो पोलियो
कैंसर के इलाज की खोज में व्यस्त थीं।
कहा जाता है कि वह
गामा किरणों के प्रभाव का अध्ययन
अपने शरीर पर प्रयोग करके करतीं।
किरणों के घातक असर से
उन्हें बाएं हाथ की एक उंगली कटवानी पड़ी,
इस पर उन्होंने चैन की सांस ली, और
सफलता की उम्मीद लिए बोलीं,
'कोई बात नहीं, जीने के लिए चार उंगलियां ही काफ़ी हैं।
किरणों का घातक असर यहीं तक सीमित न रहा,
आगे चलकर उन्हें अपना बायां हाथ भी कटवाना पड़ा
और एक दिन वह भी आया कि
उनके दाहिने हाथ का अगला हिस्सा भी काट कर अलग
करना पड़ा।
उनके दोस्तों के लिए यह बड़ी चिंता की बात थी,
उन्होंने रेडियम से दूर रहने की सलाह दी,
तो वह बोलीं,
'हमें अपने जीवन का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए।
फिर यह कि प्रयोग के अलावा
मेरे पास कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं।'
फिर वह दिन भी आया, जब
मारियो पोलियो को अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा
मारियो पोलियो के जीवन का लक्ष्य था
कैंसर के इलाज की खोज,
और इसी लक्ष्य की प्राप्ति में उन्होंने अपनी जान दे दी
इससे भी महान लक्ष्य,
बल्कि महानतम लक्ष्य है,
अपने रब की प्रसन्नता की प्राप्ति,
यानी शाश्वत जीवन को सफल बनाने का लक्ष्य,
इस लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ लगा देना तो बड़ी बात,
हम अपनी उंगली में,
ज़रा-सी फांस का लग जाना भी गवारा नहीं करते।
मारियो पोलियो का बलिदान
क्या हमें यही सीख देता है ?

● **डॉ० कौसर यज़दानी नदवी**



कहां क्या है ?

कुछ तो सोचिए...	–डॉ॰ कौसर यज़दानी नदवी	3
कुरआन ज्योति		5
ज्ञान (हदीस मंजरी)		6
छूतछात मानव-समाज के लिए बड़ा कलंक (संपादकीय)		7
मेरी नज़र में फेसबुक (आपके पत्र)		9
धर्म नैतिकता का विकसित रूप	–अमरपाल सिंह	11
ग़ज़ल	–खुर्शीद अनवर	13
इस्लाम की श्रेष्ठता	–स्वामी विवेकानन्द	14
प्रेस की स्वतंत्रता या पर्स की ?	–पी॰ साईनाथ	15
ग़ज़ल	–शफ़ीक़ बनारसी	16
तलाक़ : औरत पर अत्याचार नहीं	–मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी	17
अनोखे व्यंग्यकार मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी	–नवनीत कुमार शर्मा	21
कविताएं	–अर्चना ठाकुर	22
हार की जीत (कहानी)	–सुदर्शन	23
घरेलू नुस्ख़े		25
इस्लाम की आस्थाएं (विशेष आयोजन)	–शेख़ अली तंतावी	26-27
पैरों के गोखरू और उसका इलाज	–डॉ॰ राजन टी॰डी॰	37
ध्वनि प्रदूषण का बढ़ता ख़तरा (अभिमत)	–सूरज कांत शर्मा	41
बिजली : सुविधाएं लें, मगर सावधानी के साथ	–ज्योति प्रकाश खरे	43
मानव समाज में पिता की भूमिका	–ज़हीर ललितपुरी	45
बलात्कार और मृत्युदंड	–प्रो॰ अब्दुल मुग़नी	47
अकारण (कविता)	–ओम प्रकाश बजाज	49
जीने दो सबको (बालवीथी)	–मनोहर चमोली मनु	50



(71) इन्हें नूह[69] का क़िस्सा सुनाओ, उस समय का क़िस्सा जब उसने अपनी क़ौम से कहा था कि "ऐ क़ौम के भाइयो ! अगर मेरा तुम्हारे बीच रहना और अल्लाह की आयतों को सुना-सुनाकर तुम्हें ग़फ़लत से जगाना तुम्हारे लिए असह्य हो गया है तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है, तुम अपने ठहराये हुए शरीकों को साथ लेकर एक सर्वमान्य निर्णय कर लो और जो योजना तुम्हारी दृष्टि में हो उसको ख़ूब सोच-समझ लो, ताकि उसका कोई पहलू तुम्हारी निगाह से छिपा न रहे, फिर मेरे विरुद्ध उसको व्यवहार में ले आओ और मुझे कदापि मोहलत न दो।[70] (72) तुमने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा (तो मेरा क्या नुक़सान किया), मैं तुमसे किसी बदले का तलबगार न था, मेरा बदला तो अल्लाह के ज़िम्मे है और मुझे आदेश दिया गया है कि (चाहे कोई माने या न माने) मैं स्वयं मुस्लिम (ईश्वर का आज्ञाकारी) बनकर रहूं। (73)–उन्होंने उसे झुठलाया और परिणाम यह निकला कि हमने उसे और उन लोगों को, जो उसके साथ नाव में थे, बचा लिया और उन्हीं को धरती में उत्तराधिकारी बनाया और उन सब लोगों को डुबो दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था। अतः देख लो कि जिन्हें सचेत किया गया था (और फिर भी उन्होंने मानकर न दिया) उनका क्या अंजाम हुआ।

(74) फिर नूह के बाद हमने विभिन्न पैग़म्बरों को उनकी क़ौमों की ओर भेजा और वे उनके पास खुली-खुली निशानियां लेकर आये, मगर जिस चीज़ को उन्होंने पहले झुठला दिया था उसे फिर मानकर न दिया, इस तरह हम सीमा का उल्लंघन करने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं।[71]

–क़ुरआन, 10:71-74

---

69. यहां तक तो इन लोगों को समुचित प्रमाणों और दिल को लगने वाले उपदेशों के साथ समझाया गया था कि उनके विश्वासों, विचारों और तरीक़ों में ग़लती क्या है और वह क्यों ग़लत है और उसके मुक़ाबले में सही रास्ता क्या है और वह क्यों सही है। अब उनकी उस कार्यशैली की ओर ध्यान जाता है जो वे इसे सीधे-सीधे और साफ़-साफ़ समझाने और बताने के उत्तर में अपना रहे थे। दस-ग्यारह साल से उनका रवैया यह था कि वे बजाय इसके कि इस समुचित आलोचना और सही मार्गदर्शन पर विचार करके अपनी गुमराहियों पर पुनर्दृष्टि डालकर उसमें सुधार करते, उलटे उस आदमी की जान के दुश्मन हो गये थे जो इन बातों को अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं के भले के लिए प्रस्तुत कर रहा था। वे तर्कों का जवाब पत्थरों से और उपदेशों का जवाब गालियों से दे रहे थे। अपनी आबादी में ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व उनके लिए अत्यंत अप्रिय बल्कि असह्य हो गया था जो ग़लत को ग़लत कहने वाला हो और सही बात बताने की कोशिश करता हो।

(शेष पृष्ठ 10 पर)

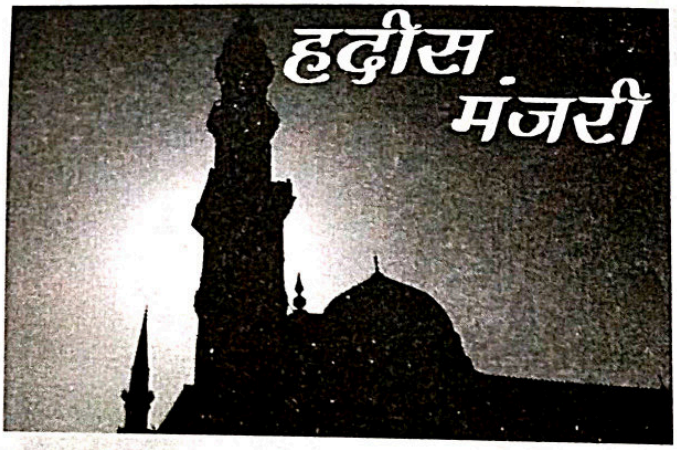

ज्ञान

● हज़रत मुआविया (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : ''अल्लाह जिस किसी के साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ प्रदान करता है ।'' –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत इब्न मसऊद (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : ईर्ष्या (आशय है स्पर्धा से) केवल दो आदमियों के सिलसिले में की जा सकती है : एक वह व्यक्ति जिसे अल्लाह ने धन दिया फिर उसको सत्य-मार्ग में लुटाने का दैवयोग प्रदान किया, और दूसरा वह व्यक्ति जिसे अल्लाह ने हिक्मत (तत्वदर्शिता, निर्णय-शक्ति) प्रदान की, तो वह उसके अनुसार निर्णय करता है और उसकी शिक्षा देता है ।'' –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू मूसा (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : ''जिस मार्गदर्शन और ज्ञान के साथ अल्लाह ने मुझे भेजा है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे वर्षा जो धरती पर हुई, तो उस (धरती) का जो भाग अच्छा था उसने जल को ग्रहण कर लिया और हरियाली और हरी-हरी घास उग आयी और उसका जो भाग कठोर था उसने जल को रोक लिया, तो अल्लाह ने उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया । लोगों ने उससे वह जल पिया और जानवरों और खेतों को सिंचित किया और खेती-बाड़ी की और वह वर्षा भूमि के एक ऐसे भाग पर भी हुई जो चटियल है, वह न जल को रोक सकता है और न हरियाली उगा सकता है । यह मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने अल्लाह तआला के (उतारे हुए) दीन में समझ प्राप्त की और उस चीज़ से फ़ायदा उठाया जिसके साथ अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो उन्होंने सीखा और सिखाया । और यह उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने न तो इस तरफ़ सिर उठाकर देखा और न अल्लाह के उस मार्गदर्शन को अपनाया जिसके साथ मुझे भेजा गया है ।'' –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत सह्ल बिन साअद (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने हज़रत अली (रज़ि॰) से कहा : ''अल्लाह की क़सम, यदि अल्लाह तुम्हारे द्वारा किसी एक आदमी को सत्य-मार्ग पर लगा दे, तो यह तुम्हारे लिए लाल ऊंटों से बेहतर है ।'' –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : ''मेरी ओर से पहुंचाओ यद्यपि एक ही आयत हो और बनी इसराईल (यहूदियों और ईसाइयों) से सुनी हुई रिवायत बयान करो, इसमें कोई दोष नहीं और जो व्यक्ति जान-बूझकर झूठी बात मुझसे जोड़े वह अपना ठिकाना दोज़ख़ में बना ले ।'' –बुख़ारी

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : ''जो व्यक्ति किसी मार्ग में ज्ञान की खोज करता हुआ चला अल्लाह उसके लिए जन्नत का मार्ग सुगम कर देगा ।'' –मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : ''जिसने संमार्ग की तरफ़ बुलाया उसे उन लोगों के सवाब के बराबर सवाब मिलेगा जो उस पर चले हों और इससे उनके सवाब में कमी नहीं की जाएगी ।'' –मुस्लिम

('रियाज़ुस्सालिहीन'

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

छूतछात मानव-समाज के लिए बड़ा कलंक

ऊंच-नीच, छूतछात मानव-समाज के लिए बड़ा कलंक है । इसकी भावना इन्सानियत के सर्वथा ख़िलाफ़ है । ऊंच-नीच का भाव यह रोग है, जो सुसभ्य एवं सुसंस्कृत समाज की नींव तक को ध्वस्त कर देता है । फिर भी यह बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि आज की तथाकथित सभ्य दुनिया भी इस विकृत और कुत्सित भावना का न्यूनाधिक शिकार है । ब्रिटेन, अमेरिका, जापान आदि यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित और संपन्न देश भी छूतछात से अछूते नहीं हैं । अमेरिका जैसे शक्ति संपन्न राष्ट्र में काले एवं गोरे का भेदभाव आज भी बना हुआ है । हमारे देश में भी यह रोग मौजूद है, जबकि इसके उन्मूलन के लिए दशकों से विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं । 21वीं सदी के भारत में यह गंभीर बीमारी अब भी मौजूद है । एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आयी है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाक़ों की दो तिहाई आबादी अब भी इस सामाजिक 'बीमारी' को झेलने के लिए अभिशप्त है । छुआछूत को लंबे समय से अपराध की श्रेणी में है । फिर भी धरातल पर कोई ख़ास बदलाव नहीं दिख रहा है । इन दोनों राज्यों के इन इलाक़ों में लोग दलित और ग़ैर-दलित हिन्दुओं में अंतरजातीय विवाह का विरोध करते हैं । सोशल एटीट्यूड रिसर्च इंडिया (SARI) द्वारा कुछ समय पहले कराए गये एक सर्वेक्षण में दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बहुत-से इलाक़े शामिल थे । सर्वेक्षण में बताया गया कि महिलाएं इस कुप्रथा को ढोने के लिए ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं । ग्रामीण राजस्थान की 66 फ़ीसद तो ग्रामीण उत्तर प्रदेश की 64 फ़ीसद आबादी छुआछूत की चपेट में है । ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी इलाक़ों में इस कुप्रथा का प्रचलन मौजूद है । सर्वेक्षण के मुताबिक़, राजस्थान के 50 फ़ीसद शहरी छुआछूत मानते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 48 फ़ीसद और दिल्ली की 39 फ़ीसद आबादी छुआछूत को मानती है । जवाहर लाल यूनीवर्सिटी, टेक्सास यूनीवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ने संयुक्त रूप से यह सर्वेक्षण कराया था । दलित और ग़ैर-दलित हिन्दुओं में अतंरजातीय विवाह के मामलों में सामने आया कि राज्यों की बड़ी आबादी इसके ख़िलाफ़ है । राजस्थान की 60 फ़ीसद और उत्तर प्रदेश की 40 फ़ीसद ग्रामीण आबादी ऐसी है जो अंतरजातीय विवाह का विरोध करती है । सर्वे में शामिल लोगों ने ऐसे विवाह को रोकने के लिए एक क़ानून की मांग भी की है । इस सर्वेक्षण में लगे हाथ यह सवाल भी किया गया कि महिलाएं घर से बाहर काम पर जाएं या नहीं, तो जवाब में आधे से अधिक लोग महिलाओं के घर से बाहर काम करने पर सहमत नहीं थे ।

इस सर्वेक्षण का ख़ास उद्देश्य दलितों और महिलाओं के ख़िलाफ़ भेदभाव के आंकड़े जुटाना था । इसमें 8065 पुरुष-महिलाओं ने भाग लिया था और इससे संबंधित एक शोध पत्र 6 जनवरी 2018 को एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है, जिसे लेकर समाज विज्ञानियों और चिंतकों में चर्चा-परिचर्चा का दौर कुछ महीने तक जारी था । व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत यह है कि दुनिया के सब इन्सान एक ही नस्ल के हैं, जो अल्लाह के परिवार हैं । अल्लाह ने सर्वप्रथम एक इन्सानी जोड़ा पैदा किया था, फिर उसी जोड़े से वे सारे पैदा कर दिए जो दुनिया में बसे हैं । आरम्भ में इस जोड़े की सन्तान काफ़ी समय तक एक ही समुदाय के तौर पर

रही । उनका धर्म और उनकी भाषा एक ही थी । उनके बीच कोई भेद न था । मगर जैसे-जैसे उनकी संख्या बढ़ती गयी, वे धरती में फैलते गये और इस फैलाव के कारण स्वाभाविक रूप से विभिन्न नस्लों, समुदायों तथा नस्लों में विभक्त हो गये । उनकी भाषाएं अलग हो गयी, उनके पहनावे बदल गये और रहन-सहन के ढंग भिन्न-भिन्न हो गये । जगह-जगह की विविध जलवायु के कारण उनके रंग-रूप और डील-डौल भी अलग-अलग हो गये । ये सब विविधताएं स्वाभाविक हैं जो वास्तविकता के धरातल पर विद्यमान हैं । इस्लाम इनको एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है, वह उनको मिटाना नहीं चाहता, बल्कि उनका यह लाभ मानता है कि मनुष्यों का आपसी परिचय और पारस्परिक सहयोग इसी प्रकार से संभव हैं । परन्तु इन अंतरों के कारण इन्सानों में भाषा, राष्ट्रीयता और वतन संबंधी जो पक्षपात उत्पन्न हो गये हैं उन सबको इस्लाम अनुचित ठहराता है । इन्सान और इन्सान के बीच ऊंच-नीच, अपने-पराए, कुलीन और नीच संबंधी जितने भेदभाव जन्म के आधार पर अपना लिए गये हैं, इस्लाम के निकट ये सब अज्ञानता की बाते हैं और हरहाल में त्याज्य हैं । वह दुनिया के सभी इन्सानों से कहता है कि तुम सब एक मां एक बाप की संतान हो, अतः एक-दूसरे के भाई हो और इन्सान होने की हैसियत से बराबर हो । इस्लाम अंतर सिर्फ़ आचार, विचार और सिद्धांतों का हो सकता है । हर वह व्यक्ति जो ईश्वर को अपना मालिक व पूज्य माने और पैग़म्बरों द्वारा लाई हुई शिक्षा और मार्गदर्शन को अपने जीवन का क़ानून मान ले, इस समाज में शामिल हो सकता है, चाहे वह अफ़्रीक़ा का रहने वाला हो या अमेरिका का, चाहे वह सामी नस्ल का हो या जर्मन नस्ल का हो, चाहे वह काला हो या गोरा, चाहे वह हिन्दी बोलता हो या अरबी । जो लोग भी इस समाज में सम्मिलित होंगे उन सबके अधिकार तथा सामाजिक स्तर बराबर होंगे । किसी भी प्रकार के जातीय, क़ौमी या वर्गीय भेदभाव उनके बीच न होंगे । कोई ऊंचा या नीचा न होगा, कोई छूतछात उनमें न होगी और किसी का हाथ लगने से कोई अपवित्र न होगा । सभी सही अर्थों में भाई-भाई होंगे ।



मेरी नज़र में फ़ेसबुक

कमाल का दौर है मीडिया का, मीडिया में (फ़ेसबुक) चेहरों की किताब वाली दुनिया के क्या कहने कुछ उत्सव की रौनक़ से चेहरे, कुछेक गिरगिट की तरह रंग बदलते चेहरे कुछ कामकाजी चेहरे, कुछ कर्फ़्यू से लगे चेहरे, अनमेल और मेल-मिलाप वालों की अजीबोग़रीब दुनिया है । अपरिचित मुखड़े, मुखौटों की भी कह दूं तो भी कुछ ग़लत नहीं होगा । इसका आरंभ होता है कुछ इस प्रकार–

फ़ेसबुक पर चेहरों
की मची हुई है लूट ।
ब्लॉक हो कुछ गये
कुछ रिश्ते बने अटूट ।।

शुरुआत होती है गुड मोर्निंग से सुप्रभात कहना तो फबता कहां है ? हिंगलिश वाले जो ठहरे । शर्म आती है राष्ट्रभाषा बोलने में हम जैसे बोलते हैं तो पुराने से लगते हैं मज़ाक़ भी करते हैं हिन्दी ही-ही-ही । उफ़्फ़ क्या करे ? युवा वर्ग को तो रुचती ही नहीं हिन्दी और मुझे अंग्रेज़ी बोलना गुनाह-सा लगता है बड़ी कठिन परिस्थिति है यारों कोई करें तो क्या करे आधुनिक भी बनना है ज़ुबान से और वेशभूषा से । पर साल ही मैं किताबी चेहरों की दुनिया में आयी और पाया कि

फ़ेसबुक की महिमा अनंत
अनंत मिलाये है यार ।
कोई कहे सुन्दरी तो
कोई रचनाकार ।।

इनमें कुछ सत्य परिचय देने वाले भी हैं जिनकी सत्यता पर असत्यवादी प्रश्न करते हुए पूछ लेते हैं आप वाक़ई ये हो ? ख़ैर फ़ेसबुक पर बहुत प्रतिष्ठित लेखकों का भी एक बड़ा खेमा है जो नवीन प्रतिभाओं को सामने तो लाता ही है साथ ही अपनी प्रगतिशील विचारधारा से समाज के अन्दर चेतना का संचार भी करता है कुछेक विचार परंपरावादी है तो कुछेक लीक से हटकर समाज को नयी दिशा भी देते हैं उनमें लेखिकाएं भी कम नहीं है ज्ञानवर्धन की बेहद सशक्त पृष्ठभूमि है ये फ़ेसबुकी अजीबोग़रीब दुनिया वो लोग भी मिलते हैं ज़िनकी परिकल्पना भी नहीं की और वो भी जिनसे मिल गौरान्वित होते हैं जनाब उनको कैसे भला कैसे भूल जाए तो मुखौटों के पीछे छिपे चेहरे हैं मुखौटों की दुनिया वाले लोग । लड़की को पटाना है तो लटका देते हैं । प्रोफाइल पर किसी सुन्दरी नाजनीन की तस्वीर । लड़कियों का रूप धारण किये ख़ुराफ़ाती लड़के, ख़ुराफ़ाती ज़हनियत तौबा ।

आज का मनचला युवा वर्ग
जाने कितनी बनाता आई०डी०
कुछ के साथ चलते प्रेम प्रसंग यहां
दूसरी पर आई०डी० पर बाक़ी ।

ऐसा नहीं है कि उनमें मेरा इशारा केवल युवकों पर ही है नहीं जी युवतियां भी कहां कम है । उनका भी यही हाल है ।

25 yrs. Service (Regd.)
AL KAUSAR HOLY HERBAL
HOSPITAL & RESERCH CENTRE
(A minority Unit of Islamic Medicine Under Art.30 (1) Const. of India)
Founder: **Al-Hajj Dr. ABDUR RASHEED**
Ph.D. (HOLISTIC HERBAL)
Medicine of Hazrat Mohammad (S.A.W)
By faith of ALLAH
Shyamganj Road, B.Deoghar - 814112
(Jharkhand) India
Kidney, Heart, Liver, Pancreas, Uterus, disorders, Pain Control, Asthama, Child Birth (Cardio, Uro, Nephro, Neuro, Gastroe, Gynae, Hemato, Diabeto Intercentral cardio, Bronco etc.)
Recharge your body, mind, psyco, soul, desire heart way of "Islamic medicine". Further treatment require or not feels within 7 to 19 days
(Rooms available)
Enquiry: 9955725769, E-mail: alkausarreached@gmail.com
Bank of India, Deoghar Branch A/c-446110100000871
IFS Code No. BKID 0004461

एक तरफ़ नहीं है
उनकी निगाहों का जाल ।
बहुत ऑपशन रखती है
छूटे गये एक तो कोई
नहीं मलाल ।।

ज़्यादा ही ख़ूबसूरत हो मोहतरमा तो स्वत: ही लोग चले आते हैं कमाल होता है चित्रिय आकर्षण । चित्र अच्छा हो, चरित्र कहां देखना है उसका वो तो बाद की बात है रोज़ टूटते बनते हैं यहां संबंध कुछ ख़याली पुलाव भी पकते हैं । स्थिति इस तरह की होती है–

बॉय फ्रेंड या गर्लफ्रेंड आना कानी करे
दे ब्लॉक की अँधियारी में फेंक ।
बहुतेरे मिल जाएंगे ।
क्या करना है एक ।।

बहुत ही विस्तृत मानसिकता वाले परिपक्व बुद्धि वाले लोग क्या कहने उनके । पूरी जमावड़ा है इस क़िस्म के लोगों का । हां महिलाएं महिलाओं की तारीफ़े कम करती है या ये कहूं कि सेल्फ़ी में व्यस्त रहती है तो ग़लत न होगा । लोग अपना-अपना वक्तव्य देते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार मनचाहे तो प्रसिद्ध लेखकों की छिक पर भी वाह कह दे न मन हो तो उनको कटघरे में खड़ा कर दे । शिक्षितों का अंगूठा छाप होना भी यहां बहुत लाभकारी है कुछ लोग तो दिन भर लाइक ही करते हैं और गिनते है । सब मस्तिष्क की माया है । रूप कुछ यूं दिखायी पड़ता है–

लेखन, विचार, कॉमेंट के
नित्य नये चलते हैं सीन ।
कुछ लेखक कमख्त है
कुछ प्रतिष्ठित पद पर आसीन ।।

ये प्रक्रिया तब तक अधूरी रहती है जब तक किसी हुस्न पर की तस्वीर पर कॉमेंट की वर्षा की तरह झड़ी न लग जाए । लोग कॉमेंट करके और तस्वीर वाला प्रतिक्रियाएं पढ़ के किसी सेलीब्रिटी से कमतर नहीं आंकता खुद को वो मर्द हो या जनानी । कुछ तो लाइक देकर ही काम चला देते हैं सभी को पूर्ण योगदान दिखता है यहां । रंगमंच से दृश्य कुछ सामने प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ अभिनय करते हैं ख़ामोश लोग लाइक देते हैं पर्दे के पीछे के कलाकारों की तरह, मूक और संवाद वाला अभिनय । बड़ी रंगीनियत वाली दुनिया है ये । इतना मंत्र मुग्ध कर दिया है लोगों को की

मोहतरमा के वस्त्रों पर फिगर पर
रोज़ होते व्याख्यान
बिना मुंह धोये ही लड़के-लड़कियों के
दर्शन कर फ़ोन के, खुलते नैन वातायान ।।

अधिकतर लोग मन की बात भी करते हैं एक तरफ़ चेहरों की दौड़ है दूसरी तरफ़ विचारों का गुम्फन है जनाब । कुंभ के मेले जैसी भीड़ । भक्तजन, मज़ाकिये, धार्मिक, राजनीतिक, देशभक्त, क़िस्म के लोग भी । कई रिश्ते भी बन जाते हैं । दिनोंदिन बढ़ती संख्या–

फ़ेसबुक की फ्रेंड रिक्वेस्ट में
खड़े मिले हैं हज़ार ।
एकाध रह जात है
बहुतों की लग गयी नैया पार ।।

डॉ॰ राज कुमारी
हिन्दी विभाग, ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज,
नयी दिल्ली

क़ुरआन ज्योति

(पृष्ठ 5 का शेष)

उनकी मांग यह थी कि हम अंधों के बीच जो आंखों वाला पाया जाता है, वह हमारी आंखें खोलने के बजाय अपनी आंखें भी बन्द कर ले, वरना हम ज़बरदस्ती उसकी आंखें फोड़ देंगे, ताकि देखने जैसी चीज़ हमारी धरती पर न पायी जाए । यह तरीक़ा जो उन्होंने अपना रखा था उस पर कुछ और कहने के बजाय अल्लाह अपने नबी को आदेश देता है कि उन्हें नूह का क़िस्सा सुना दो । उसी क़िस्से में वह अपने और तुम्हारे मामले का उत्तर भी पा लेंगे ।

70. यह चुनौती थी कि मैं अपने काम से बाज़ न आऊंगा, तुम मेरे विरुद्ध जो कुछ करना चाहते हो, कर गुज़रो, मेरा भरोसा अल्लाह पर है । (तुलना के लिए देखिये सूरा-11 (हूद) आयत 55)

71. सीमा का उल्लंघन करने वाले लोग वे हैं जो एक बार ग़लती कर जाने के बाद फिर अपनी बात की पक्षपात, दुराग्रह और हठधर्मी के कारण अपनी उसी ग़लती पर अड़े रहते हैं और जिस बात को मानने से एक बार इन्कार कर चुके हैं, उसे फिर किसी समझाने-बुझाने और किसी समुचित तर्क और प्रमाण से भी नहीं मानते । ऐसे लोगों पर अंतत: अल्लाह की ऐसी फिटकार पड़ती है कि उन्हें फिर कभी सीधे रास्ते पर आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता ।

धर्म नैतिकता का विकसित रूप

■ अमरपाल सिंह

आदिम युग से आधुनिक काल तक मानवीय चिंतन की धुरी मानव स्वयं रहा है । मानव का विकास किस प्रकार हो, उसमें सर्वांगपूर्णता किस प्रकार आये, मानवीय मूल्यों की संस्थापना किस भांति हो आदि-आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता रहा है । इसके परिणामस्वरूप जो व्यावहारिक समाधान सामने आया वह है–नैतिकता ।

नैतिकता का ही विकसित स्वरूप 'धर्म' है । यद्यपि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि नैतिकता और धर्म एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं, यह भी कहना औचित्यपूर्ण नहीं है कि धर्म में नैतिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, फिर भी, नैतिकता को प्रत्येक धर्म का अपरिहार्य अंग स्वीकार करना ही होगा । विश्व के सभी धर्मों में इसकी उपस्थिति किसी न किसी रूप में पायी जाती है ।

व्यक्ति के जीवन में जितना महत्व शिक्षा का है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान नैतिकता का है । नैतिक गुणों के बिना मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं । इसके अभाव में कोई भी शिक्षा उदात्त भावना और उत्कृष्ट चिंतन का व्यक्ति बनाने में सदा असफल ही होगी । नैतिकता का अवलंबन ही मनुष्य को सुसंस्कृत, आदर्श और चरित्रनिष्ठ नागरिक बना सकता है ।

मनुष्य की महानता, नैतिकता, सदाचरण के परिपालन पर अवलंबित है । यही वह सम्पदा है, जिसके कारण उसे सृष्टि में वरीयता मिली है, सृष्टि का मुकुटमणि होने का गौरव हासिल हुआ है । इसका आश्रय लेने पर वह अपने मन, बुद्धि और अहं भावना को परिष्कृत, परिमार्जित करके उसे आत्मतंत्र के आलोक में ला बिठाता है ।

अध्यात्म का तो संपूर्ण ढांचा ही सदाचरण की नींव पर टिका हुआ है । मनीषियों ने इसकी महत्ता और उपयोगिता का प्रतिपादन अपनी कृतियों में किया है । इसके परिपालन पर सर्वाधिक बल दिया है । वे व्यक्तित्व के विकास में आचरण की शुद्धता एवं नैतिकता को आधारशिला मानते हैं ।

जिन कार्यों का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व को निखारना, प्रगति-पथ पर अग्रसर कर आत्म विकास के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित कराना, और सत् के स्वरूप का बोध कराना होता है, उन्हें सदाचरण, नैतिक कर्म, कहते हैं । सत् के लिए किये गये आचरण को मनीषियों ने 'सदाचरण' और 'नैतिकता' की संज्ञा दी है । ऋषि, महापुरुष और पैग़म्बर कहे जाने वाले जीवन के मर्मज्ञों ने इसकी महत्ता को समझकर स्वयं को सदाचरण और नैतिकता के सांचे में ढालकर अपने व्यक्तित्व को सुगढ़, सुविकसित और सर्वांगपूर्ण बनाया था । उन्हीं को मानव नैतिकता की प्रतिमूर्ति के रूप में स्वीकार करने को सहज ही तैयार हो जाता है । उसी सदाचरण और नैतिक कर्म को हर स्तर की मानसिकता वाले निज की स्थिति के अनुसार जीवन में अपना कर विकास के चरम उत्कर्ष पर पहुंच सकते हैं ।

उन्होंने दान, दया और दमन (निरोध) के उपयुक्त अनेक उदाहरण अपने आचरण से प्रस्तुत किये । उन्होंने सत्य, तप, संयम और शांति को अपने आचरण में समाविष्ट करने पर बल दिया है और स्वाध्याय तथा ज्ञानदान करने में मानव का कल्याण निहित बताया है । उनका उपदेश है कि मानव का प्रमुख अलंकरण श्रद्धा, उदारता और नम्रता है । ये सभी कृत्य नैतिकता के विस्तृत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट हो जाते हैं । इन्हीं को जीवन में उतारने से मानव मात्र का कल्याण संभव है ।

आत्मिक और भौतिक दोनों ही स्तर की प्रगति में नैतिकता के तत्वों का समावेश आवश्यक है, क्योंकि कोई व्यक्ति इसी कसौटी पर अपने आपको प्रामाणिक सिद्ध करता है । यह प्रामाणिकता ही लौकिक क्षेत्र में जनविश्वास और जनसहयोग अर्जित करती है । आत्मिक क्षेत्र में वह इसी

आधार पर आत्म संतोष और दैवी अनुकम्पा का अधिकारी बनता है । स्वर्ग (जन्नत), मुक्ति आदि में भी इसी प्रवृत्ति की प्रधान भूमिका रहती है ।

व्यक्ति के जीवन में जितना महत्व शिक्षा का है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान नैतिकता का है । नैतिक गुणों के बिना मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं । इसके अभाव में कोई भी शिक्षा उदात्त भावना और उत्कृष्ट चिंतन का व्यक्ति बनाने में सदा असफल ही होगी । नैतिकता का अवलंबन ही मनुष्य को सुसंस्कृत, आदर्श और चरित्रनिष्ठ नागरिक बना सकता है ।

नैतिक नियमों के निर्धारण के लिए ज्ञानोपार्जन अत्यावश्यक है, शर्त यह है कि वह व्यक्तिवादी संकीर्ण चिंतन पर आधारित न हो, ज्ञानार्जन के लिए व्यक्ति को चिंतनशील, विवेकशील होना चाहिए । चिंतन जीवन का सैद्धांतिक पक्ष है । उसका व्यावहारिक पक्ष श्रेष्ठ कर्मों के रूप में परिलक्षित होता है । विचार मंथन से जो सिद्धांत निर्धारित हों, उनकी सत्यता की परख के लिए उन्हें व्यावहारिक क्षेत्र में उतारना होता है । उच्च आदर्शों का व्यवहार में आना ही नैतिकता है । साथ-साथ समाज की भी भलाई करता है । वह समाज के लोगों से सहानुभूति रखता है और उन्हें अपने उत्कृष्ट विचारों और श्रेष्ठ व्यवहारों से निरंतर ऊंचा उठाने का प्रयास करता है । वस्तुतः समाज से पृथक मनुष्य की नैतिकता का मूल्य एवं उपयोगिता ही नहीं है ।

वैयक्तिक जीवन में जिसे नैतिकता कहते हैं, वही सामूहिक रूप में विकसित होने के उपरांत सामाजिक सुव्यवस्था बन जाती है । प्रगति और समृद्धि की, सुख और शांति की, आधारशिला इसी पृष्ठभूमि पर रखी जाती है । पारिवारिक, सामाजिक, मर्यादाओं का परिपालन तथा श्रेष्ठ जीवन जीने की कला का मूल आधार नैतिकता को ही माना जा सकता है । इसके अभाव में राष्ट्रीय चरित्र का विकास नहीं हो सकता है ।

धन नहीं, वैभव नहीं, नैतिकता ही मनुष्य की वास्तविक श्रेष्ठ 'पूंजी' है । नैतिकता, समस्त स्वार्थी प्रवृत्तियों को मिटा देती है । इसका मूल आधार 'पूर्ण निस्स्वार्थता' है ।

नैतिकता क्या है ?

इस प्रश्न का उत्तर उतना सरल नहीं है जितना कि सामान्यतः समझा जाता है । नैतिकता वह है जिससे अधिक लोगों को अधिक सुख होता हो । इसमें 'सत्यता' अपरिहार्य नहीं है । राजनयिकों, व्यापारियों और जासूसी करने वालों को सत्य से कुछ परे होकर कार्य करना पड़ता है । कुछ विशेष परिस्थितियों में सामान्य जनता को भी सत्यता से कुछ दूर होकर स्वयं के क़ल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए भी, कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है, जैसे ठगों, चोरों, डाकुओं और आततायियों, आतंकवादियों के प्रति किये जाने वाले व्यवहारों में ।

कार्य के स्वरूप को देखकर भी इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है । कर्ता की नीयत और कार्य के परिणाम की विवेचना करने पर ही उसे माना जा सकता है ।

वस्तुतः नैतिकता का संबंध जीवन के समग्र स्वरूप से है । कोई व्यक्ति एक विषय में नियमों, आदर्शों का परिपालन करे और अन्य दूसरे विषयों में अनीति बरते, मर्यादाहीनता करे, तो उसे न धार्मिक कहा जा सकता है और न नैतिक ही । नैतिकता चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उच्च आदर्शों का, मर्यादाओं का, परिपालन है, केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, सामाजिक जीवन में भी ।

बुरा चिंतन और बुरा आचरण करने वाला समाज न सिर्फ़ अपनी जैसी ओछी प्रकृति की संतान पैदा करता है, वरन व्यक्ति में विद्यमान उन विभूतियों को भी अंकुरित होने से पहले कुचल कर रख देता है, जो संभावित महानता के रूप में व्यक्ति में पहले से ही विद्यमान थीं ।

उल्लेखनीय है कि हर व्यक्ति में गुण-अवगुण समान रूप से विद्यमान होते हैं । यदि कोई सद्गुणी है, नैतिक है, तो इसका कारण मात्र इतना ही है कि उसने अपनी उस विभूति को प्रयासपूर्वक उभार लिया है, प्रकट कर लिया है, दृश्यमान कर लिया है, और दोष को दबा दिया है, अव्यक्त कर दिया है, अदृश्य कर दिया है, जिसके कारण वह लौकिक दृष्टि से सदाचारी, नैतिक बन जाता है जिसका शुभ फल उसे परलोक में भी मिलता है और इस जीवन में सफलता पाता है ।

इसलिए प्रयत्न एवं पराक्रम को सदा नैतिकता और सदाचरण की दिशा में गतिशील रखना चाहिए ताकि सुषुप्ति को जागृति में परिवर्तित कर कुछ महत् और महत्वपूर्ण गुण हस्तगत किये जा सकें, एवं स्वयं को अविस्मरणीय जैसे बनाया जा सके । धर्मतत्व का प्रशिक्षण और प्रसार किये बिना लोक-जीवन का चारित्रिक, वैचारिक और नैतिक विकास नहीं हो सकता है ।

इस्लाम धर्म नैतिक उत्थान द्वारा संसार में 'भ्रातृत्व भावना' का प्रसार करता है । इसकी नैतिक दृष्टि में 'पर कल्याण' ही सर्वश्रेष्ठ और चरम लक्ष्य होता है । इस्लाम धर्म की यह स्पष्टोक्ति है कि मानव की उपलब्धियों का कोई महत्व नहीं है, महत्व उसमें मूल रूप से निहित सद्भावना का है, जो अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम करने को प्रेरित करती है । यही हमें अच्छाई और नैतिक उत्थान की दिशा में ले जाता है ।

इन्सान को सच्चे अर्थों में प्रेममय बना देना, उनसियत का सिरमौर बना देना, उसके नैतिक तत्वों को जाग्रत करना ही वास्तविक मानव-सेवा है । इस्लाम धर्म व्यक्ति के विकास और चरित्र निर्माण के द्वारा समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है । इसमें ध्यान, धारणा, समाधि, योग और साधना आदि पर अतिशय बल न देकर मनुष्य की नीति-निष्ठा को अधिक महत्व दिया गया है । और दोनों पक्षों में सम्यक संतुलन स्थापित किया गया है । प्रेम और सौहार्द को ही नैतिकता का मूलमंत्र माना गया है । सच्ची मनुष्यता को प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति ही समाज के आदर्श शासक भी हो सकते हैं, ऐसी इस्लाम धर्म की मान्यता है ।

इस्लाम धर्म ने नैतिकता को ही जीवन के प्रधान आचार के रूप में स्वीकार किया है । श्रद्धा, ज्ञान और व्यवहार इस्लाम धर्म के तीन महान रत्न हैं । व्यवहार की विवेचना अपने आप में संपूर्ण नीतिशास्त्र है । इस्लाम धर्म स्पष्ट रूप से कहता है कि 'पवित्रता इसमें नहीं है कि हम पूर्व की ओर मुख करके अल्लाह की, ईश्वर की इबादत (भक्ति-पूजा) करते हैं या पश्चिम की ओर, अपितु पवित्रता इस तथ्य में समाहित है कि हम ज़रूरतमंदों, ग़रीबों, मुहताजों, यात्रियों, अतिथियों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, समाज के अन्य प्राणियों की कितनी सेवा, सहायता करते हैं ।' यही मनुष्य का नैतिक दायित्व भी बताया गया है ।

इस्लाम धर्म की यह उद्घोषणा है कि 'तुममें से कोई भी तब तक धर्म में श्रद्धा रखने वाला, ईमान लाने वाला, नहीं कहा जा सकता, जब तक कि अपने भाई के लिए तुम वही वस्तु, वही व्यवहार नहीं चाहते, जो अपने लिए चाहते हो ।' 'तुम्हारे प्रति जो असत् है, बुरा है, वैसा आचरण दूसरों के प्रति न करो ।' यहां 'भाई' और 'दूसरों' शब्द का व्यापक अर्थ है, संकुचित दायरा नहीं ।

इस्लाम धर्म के प्रमुख ग्रंथ कुरआन मजीद की अनेक सूरतों में सदाचरण और समाज-व्यवहार पर प्रकाश डाला गया है । उन उद्धरणों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम धर्म नैतिकता के प्रचार-प्रसार पर कितना अधिक बल देता है । यह उल्लेखनीय है कि इस्लाम धर्म और उसका प्रमुख ग्रंथ कुरआन मजीद किसी देश-विशेष, जाति-विशेष या काल-विशेष का धर्म और ग्रंथ नहीं है । वह सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, तथा मानव-मात्र का कल्याण उसे अपेक्षित है । यह अलग बात है कि उसका प्रादुर्भाव अरब देश में, आज से लगभग 14 सौ वर्ष पूर्व हुआ था ।

हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) मानव मात्र के लिए सुख-शांति देने वाला सच्चा मार्ग, सीधा रास्ता, हमें दिखा गये हैं । उन्होंने नैतिकता के जिन नियमों, तत्वों को उजागर किया है, उनका पालन मानव को सुख-शांति और मुक्ति (स्वर्ग-जन्नत) देने वाला एक अमोघ साधन है जो सर्वसुलभ भी है । उनके बताए हुए कुछ नैतिक नियम, जो कुरआन मजीद में, जगह-जगह बताए गये हैं, अवलोकनीय हैं, मननीय हैं और अनुसरणीय हैं ।

ग़ज़ल

ग़ैरो के बदले सिर्फ़ खुदा को पुकारता
फिर ज़िन्दगी की दौड़ में ऐसे न हारता

वो पेड़ खुश्क हो गयीं जिसकी जड़ें तमाम
वो अपनी पत्तियों को कहां से निखारता

इक भीड़ नौकरों की कभी जिसके घर में थी
वो शख़्स होटलों में है सब्ज़ी बघारता

तन्क़ीद दूसरों पे तू करने से पेशतर
बेहतर था ये दिमाग़ी तवाजुन सुधारता

'खुर्शीद' का नसीब है गर्दिश में ही रहे
दो पल भी फिर सुकून के कैसे गुज़ारता ।

ख़ुर्शीद अनवर

उज्जैन, म०प्र०

इस्लाम की श्रेष्ठता

■ स्वामी विवेकानन्द

हर पैग़म्बर ने दुनिया को एक न एक महान सत्य का संदेश दिया है । जब हम उस सत्य संदेश का मनन करते हैं और तत्पश्चात उसके प्रचारक महापुरुष की जीवनी का अवलोकन करते हैं तो उस सत्य के प्रकाश में सारा जीवन विख्यात दिखलाई पड़ता है । महापुरुषों के शब्द उनके जीवन की सबसे बड़ी व्याख्या है । उनके प्रकाश में उनके जीवन की एक-एक घटना का महत्व प्रकट होने लगता है ।

शायद तुम पूछोगे उनके धर्म में क्या अच्छाई है ? पर यदि उसमें अच्छाई न होती तो वह अब तक जीवित कैसे रह पाता । जो अच्छा है, कल्याणकारी है, वही इस संसार में जीवित रह सकता है, शेष सब कुछ विनाश के अनन्त गहवर में प्रवेश कर जाता है । जो कल्याणकर है वही सबका दृढ़ है और इसी लिए वही अनन्त जीवन का भी उत्तराधिकारी होता है । इस जीवन में अपवित्र और दुराचारी का जीवनकाल होता ही कितना है ? क्या पवित्र साधु व्यक्ति उससे दीर्घायु नहीं होता ? निश्चित ! क्योंकि साधुता ही शक्ति है और पवित्रता ही बल है । यदि इस्लाम में कुछ अच्छाई, कोई शुचिता न होती तो वह आज तक जीवित कैसे रह पाता ? इस्लाम में यथेष्ट अच्छाई है । पैग़म्बर मुहम्मद साहब विश्व में समता और बराबरी के संदेशवाहक हैं । वे मानवजाति में, मुसलमानों में भ्रातृ भाव के प्रचारक थे ।

पैग़म्बर मुहम्मद साहब ने अपने जीवन के दृष्टांत से यह दिखला दिया कि मुसलमानों में संपूर्ण साम्य व भ्रातृ-भाव रहना चाहिए । ...तुर्किस्तान का सुल्तान अफ़्रीक़ा के बाज़ार में एक हब्शी गुलाम ख़रीद उसे शृंखलाबद्ध करके अपने देश में ला सकता है । किन्तु यदि यही गुलाम इस्लाम को अपना ले और उपयुक्त गुणों से विभूषित हो तो उसे तुर्की की शहज़ादी से निकाह का भी हक़ मिल जाता है । मुसलमानों की इस उदारता के साथ ज़रा इस देश (अमेरिका) में नीग्रो हब्शियों एवं रेड-इंडियन लोगों के प्रति किये जाने वाले घृणापूर्वक व्यवहार की तुलना तो कीजिए ।

हिन्दू भी और क्या करते हैं ? यदि आपके देश का कोई धर्म-प्रचारक भूलकर किसी सनातनी हिन्दू के भोजन को स्पर्श कर ले तो वह उसे अशुद्ध कहकर फेंक देगा । हमारा दर्शन उच्च और उदार होते हुए भी हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारी कितनी दुर्बलता का प्रचारक है । किन्तु अन्य धर्मावलंबियों की तुलना में हम इस दिशा में मुसलमानों को अत्यंत प्रगतिशील पाते हैं । जाति और वर्ण का विचार न कर, सबके प्रति समान बंधु भाव का आदर्श, यही इस्लाम की महत्ता है । इसी में उसकी श्रेष्ठता है ।

जिस प्रकार राजनीति में व्यक्ति सत्या-सत्य की चिंता न कर केवल एक दल का साथ देने लगते हैं, उसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों ने भी एक संप्रदाय विशेष को भी अपना सर्वस्व मान लिया है । पर यह धर्म नहीं है । संसार में ऐसे मूढ़ और अंधे भी कई हैं जो समीप में शुद्ध और मीठे पानी का कुआं होने पर भी खारे कुएं का पानी पिएंगे क्योंकि उस कुएं को उनके पूर्वजों ने खुदवाया था ।

अतएव मैंने अपने अल्प अनुभव से यही सीखा है कि धर्म में जो दोष एवं त्रुटियां लोग देखते हैं उनके लिए धर्म का कोई उत्तरदायित्व नहीं है । धर्म ने कभी मनुष्यों पर अत्याचार करने की आज्ञा नहीं दी, धर्म ने कभी स्त्रियों को चुड़ैल व डाइन कहकर जीवित जला देने का आदेश नहीं दिया । किसी धर्म ने कभी इस प्रकार अन्यायपूर्ण कार्य करने की शिक्षा नहीं दी । तब लोगों को ये अत्याचार व अनाचार करने के लिए किसने उत्तेजित किया ? कूटनीति ने, धर्म ने कदापि नहीं, और यदि इस प्रकार कूटनीति राजनीति धर्म का स्थान ग्रहण कर ले, धर्म का नाम धारण कर ले, तो यह दोष किसका है ? ...धर्म का अर्थ है हृदय के अन्तर्तम प्रदेश में सत्य की उपलब्धि करना...यदि तुमने यथार्थ में परम पिता के गृह में प्रवेश किया है, तो अवश्य ही उसके पुत्रजनों का दर्शन किया होगा, तब फिर यह क्यों कहते हो कि तुम उन्हें नहीं पहचानते ?

यदि तुम वास्तव में उन्हें नहीं पहचानते हो तो यह सत्य है कि तुम ईश्वर के गृह में प्रवेश नहीं पा सके हो । जननी अपने वत्स को किसी भी वेश में पहचान लेती है, पुत्र का छद्मवेष उसकी आंखों को धोखा नहीं दे सकता । सभी युगों व सभी महान नर-नारियों को पहचाने और यह ज्ञान प्राप्त करो कि उनमें परस्पर कोई भेद और कोई अन्तर और पार्थिक्य नहीं है ।

प्रस्तुति : राष्ट्रबन्धु "महापुरुषों की जीवन गाथाएं" से साभार उद्धृत)

प्रेस की स्वतंत्रता या पर्स की स्वतंत्रता ?

■ पी॰ साईनाथ

(प्रथम नीलाभ मिश्रा स्मृति व्याख्यान में उद्‌गार के मुख्य अंश।)

काश यह एक स्मृति व्याख्यान नहीं होता लेकिन यह मेरे मित्र नीलाभ मिश्रा की याद में है। जब मैं यहां व्याख्यान देने आ रहा था तो मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा, ''आज शाम आप सभागार में आये युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे। मैंने कहा, मैं लोगों से कहूंगा वे स्टेज के मध्य में आ जाएं, पुशअप करें और फिटनेस चैलेंज क़बूल करें। पुशअप्स से मुझे कोई परहेज नहीं है लेकिन मैं यहां जो बात करने आया हूं, वह है पुट डाउन।''



आज मीडिया की समस्या किसी अच्छे-बुरे अख़बार की नहीं है, एक किसी व्यक्ति या न्यूज़रूम में हल्ला मचाने वाले एंकरों की बात नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं ये कुछ लोग पागलपन को भी बदनाम करते हैं, लेकिन आज मैं मीडिया के ढांचे पर बात करूंगा।

आज शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र में तमाम तरह की दिक़्क़तें और संकट हैं, लेकिन वह अख़बारों में अगर रिपोर्ट किया भी जा रहा है तो उसमें किसी की कोई दिलचस्पी ही नहीं है। एक भी संपादकीय ऐसे विषयों पर नहीं लिखे जा रहे, क्योंकि संपादक वर्तमान सरकार को नाराज़ न कर बैठे, इस बात से डरे हैं।

जब यह बात होती है कि पत्रकारों को 'सत्ता को सच' बताना चाहिए। मैं इस मुहावरे से असहमत रहता हूं क्योंकि ऐसा लगता है हम सत्ता को मासूम और नौसिखिया मानते हैं। ऐसा लगता है आप जो सच बताएंगे, सत्ता उसका समाधान खोज निकालेगी। आज ज़रूरत है हम 'सत्ता का सच' लोगों को बताएं। लोगों को बताएं कि सत्यपाल सिंह (मानव संसाधन राज्यमंत्री) जैसे लोगों को महत्वपूर्ण कैबिनेट पदों पर क्यों नहीं रहना चाहिए ?

मैंने आज तक कभी भी मीडिया और बुद्धिजीवियों को इस क़दर डरा और सहमा नहीं देखा था, जैसा वे आज हैं। इससे पहले कि मैं मीडिया की संरचना के बारे में आपको बताऊं, क़रीब आधा दर्जन लोगों ने मुझसे कोबरापोस्ट स्टिंग के बारे में पूछा। वे मुझसे पूछ रहे थे-मुझे क्या लगता है कि आगे क्या होगा। सात चीज़े पहले से ही हो रही हैं-पहला, चुप्पी या आधिकारिक तौर पर ख़ारिज करना (वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है नब्बे फ़ीसदी मीडिया उसी रैकेट में है), दूसरा, काउंटर स्टिंग करने का दावा। तीसरा, यह कहना कि यह मेरी आवाज़ नहीं थी और इस क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गयी है। हमें इसे जांच के लिए विदेश के किसी फोरेंसिक लैब में भेजना होगा और उसकी रिपोर्ट आने में पांच साल लग जाएंगे। चौथा, स्टिंग करने वाले संस्थान और रिपोर्टर को डराना-धमकाना। पांचवां, मुक़दमे। छठा, इस मामले से फोकस ही शिफ्ट कर दिया जाए। जैसा हमने राडिया टेप्स मामले में देखा था।

राडिया टेप्स मामले को मीडिया ने सारा फोकस उसमें घिरे पत्रकारों की ओर कर दिया लेकिन उसमें मुख्य मुद्दा था-कैसे कुछ कारपोरेट यह तय कर सकते हैं कि सरकार में किसे कौन-सा मंत्रालय दिया जाएगा। सातवां, पिछले बीस वर्षों में मीडिया का जनता से टूटता रिश्ता। मीडिया किस तरह से लोगों की समस्याओं को दरकिनार करता है।

भारतीय मीडिया राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र है लेकिन वह पूंजी में क़ैद है । ग़रीब और हाशिये पर गये लोगों की बात न करना मीडिया का रणनीतिक स्वरूप है । यह एक गंभीर स्थिति है जब मीडिया का स्वामित्व कुछ कारपोरेट के हाथों में है । कारपोरेट मीडिया कभी भी समाज की बात नहीं करेगी, वह सत्ता के ख़िलाफ़ कभी भी आवाज़ उठाने नहीं जाएगा ।

मान लीजिए स्पेक्ट्रम का सौ फ़ीसदी निजीकरण हो जाए, उसका फ़ायदा किसको मिलेगा-अंबानी, टाटा, बिरला और इन्हीं के पास मीडिया का स्वामित्व भी है । आप खदानों का निजीकरण कर दें, फ़ायदा किसको होगा-अंबानी, टाटा, बिरला । तेल और नेचुरल गैस का निजीकरण कर दें, फ़ायदा किसको मिलेगा-फिर से टाटा, बिरला, अंबानी । स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र का स्वामित्व तेज़ी से इन्हीं मीडिया मालिकों के हाथों में जा रहा है ।

शायद फोर्ब्स समझता हो कि आठ मार्च को अरबपतियों की लिस्ट जारी करना एक प्रेरणादायी क़दम हो लेकिन ग़ौर कीजिए देश में ग़ैर-बराबरी का स्तर कितना गंभीर है । ग़ैर-बराबरी 1920 के दौर से भी ज़्यादा गंभीर आज के वक़्त है । 1991 में हमारे देश में एक भी अरबपति नहीं थे । वर्ष 2000 में यह संख्या 8 हुई । 2012 में 53 और 2018 में 121 । इन 121 लोगों के पास इस देश के जी॰डी॰पी॰ का 22 फ़ीसदी है । अब इसमें सबसे ऊपर कौन है, इस पर ग़ौर करना ज़रूरी है ।

देश का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का 19वां अमीर व्यक्ति, वही आपके देश का मीडिया मालिक भी है । मैं यक़ीन के साथ कह सकता हूं कि मुकेश अंबानी को अपने मीडिया चैनलों का नाम भी नहीं मालूम होगा ।

सवाल है ऐसे में हमें करना क्या चाहिए । हमें मीडिया का लोकतांत्रिकरण करना होगा । हमें मोनोपॉली (एकाधिकार) से लड़ना होगा । हमें मोनोपॉली ख़त्म करने के लिए सख़्त क़ानून लाने होंगे ।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में क्रॉस मीडिया ओनरशिप को लेकर कोई क़ानून नहीं है । पब्लिक ब्रॉडकास्टर को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है । एक वक़्त था जब राज्यसभा टी॰वी॰ के कार्यक्रम किसी अन्य चैनल से देखना ज़्यादा अच्छा था । ध्यान रहे सोमनाथ चैटर्जी तब लोकसभा अध्यक्ष थे ।

पेड न्यूज़ के ख़िलाफ़ भी सख़्त क़ानून लाने की ज़रूरत है । सबसे ज़रूरी है कि लोग छोटे-छोटे मीडिया पोर्टल की सहायता करें । आज यहां कितने लोग हैं जिन्होंने ख़बर की अहमियत समझते हुए कम से कम तीन पत्रिकाओं का सब्सक्रिप्शन लिया है । मुझे चिढ़ होती है जब लोग मीडिया पर चिंता ज़ाहिर करते हैं, लेकिन वे किसी भी मीडिया समूह की सहायता नहीं करते । स्वतंत्र मीडिया जो सत्ता के ख़िलाफ़ मुखरता से खड़ा रहे, उसके लिए ज़रूरत है आप मीडिया की सहायता करें, सहयोग करें, उसे चंदा दें ।

(साभार : www.newslaundry.com)

ग़ज़ल

हर एक गाम पे झेली हैं सख़्तियां मैंने
न पूछो ठोकरें खाईं कहां-कहां मैंने ।

असीर करके न सय्याद रख सकेगा मुझे
क़फ़स की बारहा तोड़ी हैं तीलियां मैंने ।

उसी पे चल के ज़माने ने पा लिया मंज़िल
रहे हयात में छोड़े थे जो निशां मैंने ।

चमन को बारहा बख़्शी है रौशनी यारो
जला-जला के खुद अपना ही आशियां मैंने ।

वहां-वहां पे हरम कर दिए गये तामीर
जबीने शौक़ झुकाई जहां-जहां मैंने ।

उसी को आज भी दोहरा रही है ये दुनिया
लिखी थी ख़ूने जिगर से जो दास्तां मैंने ।

अबस न मेरे नशेमन को छेड़ ऐ गुल्चीं
छुपा के रक्खी हैं तिनकों में बिजलियां मैंने ।

समझ रहा हूं बख़ूबी मैं हालो मुस्तक़बिल
रखी हैं नब्ज़े ज़माना पे उंगलियां मैंने ।

'शफ़ीक़' मुझसे न दुश्वारियों की बात करो
मसायबात की देखी हैं आंधियां मैंने ।

● शफ़ीक़ बनारसी

तलाक़ : औरत पर अत्याचार नहीं

■ मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी

इस्लाम वास्तव में एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था है । व्यक्तिगत, दाम्पत्य, पारिवारिक और सामाजिक, सारे पहलू तथा इनके वैचारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, भावनात्मक तथा आर्थिक और क़ानूनी एवं न्यायिक, सारे आयाम एक दूसरे से अभाज्य रूप से संबद्ध, संलग्न और इस प्रकार अन्तर्संबंधित हैं कि जीवन के किसी एक विशेष अंग, अंश, पक्ष या आयाम को 'समग्रता' से अलग करके नहीं समझा जा सकता । उपरोक्त भ्रम या आक्षेप, 'समग्रता' से 'अंश' को पृथक करके देखने से पैदा होते हैं ।

आक्षेप का एक कारण यह भी है कि 'कुछ तत्वों' की नीति ही इस्लाम के प्रति दुराग्रह, घृणा, विरोध और दुष्प्रचार की है । दूसरा कारण यह भी है कि स्वयं मुस्लिम समाज में कुछ नादान व जाहिल लोग, तलाक़ के इस्लामी प्रावधान को क़ुरआन की शिक्षाओं तथा नियमों के अनुकूल इस्तेमाल नहीं करते, जिससे स्त्री पर अत्याचार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

उनके इस कुकृत्य से, वे ग़ैर-मुस्लिम लोग, जो नादान मुसलमानों की ग़लती का शिकार हो जाने वाली औरत से सहानुभूति रखते हैं, यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यह ग़लती इस्लाम की है, त्रुटि इस्लामी विधान में है । और मुस्लिम समाज में पाए जाने वाले इस व्यावहारिक दोष का एक बड़ा कारक यह भी है कि हमारे देश के मुस्लिम समाज की उठान और संरचना उस 'इस्लामी शासन व्यवस्था' के अंतर्गत तथा उसके अधीन रहकर नहीं हो रही है (और न ही हो सकती है) जो इस्लाम के अनुयायियों के जीवन के हर क्षेत्र को पूरी व्यापक व समग्र जीवन व्यवस्था की एक पवित्र तथा न्यायपूर्ण व नैतिक लड़ी में पिरो देता है; जहां न पत्नी पर दुष्ट पति के अत्याचार की गुंजाइश रह जाती है, न उद्दंड व नाफ़रमान पत्नियों द्वारा पतियों के शोषण की गुंजाइश । (गत कई वर्षों से हमारे देश में पत्नियों के अत्याचार से पीड़ित व प्रताड़ित पतियों के संगठन काम कर रहे हैं तथा जुलाई 2009 में, ऐसे संगठनों के हज़ारों सदस्यों का जमावड़ा राजधानी दिल्ली में हुआ था)।

तलाक़–अत्यंत नापसन्दीदा काम

हलाल और जायज़ (वैध) कामों में सबसे ज़्यादा नापसन्दीदा और अवांछित काम इस्लाम में तलाक़ को माना गया है । दाम्पत्य-संबंध-विच्छेद (तलाक़) को इस्लाम उस अतिशय परिस्थिति में कार्यान्वित होने देता है जब दाम्पत्य संबंध इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएं कि दम्पत्ति, संतान, परिवार



और समाज के लिए अभिशाप बन जाएं । ऐसे में इस्लाम चाहता है कि पति व पत्नी एक-दूसरे से आज़ाद होकर अपनी पसन्द का नया जीवन शुरू कर सकें । अरबी शब्द 'तलाक़' में इसी 'आज़ाद होने' का भाव निहित है ।

इस्लाम इस बात को गवारा नहीं करता कि पति-पत्नी में आए दिन लड़ाई-झगड़ा, मार-पीट, गाली-गलौज का वातावरण रहे, बच्चे ख़राब हों, उनका भविष्य नष्ट हो, पति-पत्नी एक-दूसरे की हत्या करें/कराएं या आत्महत्या कर लें, पति घर छोड़कर चला जाए या पत्नी को घर से निकाल दे, परिवार अशांति व बदनामी की आग में जलता रहे लेकिन जैसा कि हमारे भारतीय समाज की दृढ़ व व्यापक परंपरा रही है, दोनों में संबंध-विच्छेद न हो । इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो तलाक़ को 'अत्याचार' कहने वाले लोग स्वयं, इसे पति व पत्नी के लिए, विशेषत: स्त्री के लिए 'वरदान' और 'न्याय' कहेंगे कि वह एक नरक-समान जीवन जीने पर मजबूर रहने के और पीड़ा, प्रताड़ना, अत्याचार, घुटन, कुढ़न व अशांति से ग्रस्त रहने के बजाय एक नया, शांतिमय व गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आज़ाद हो गयी । और यही विकल्प पुरुष को भी प्राप्त हो गया ।

दो अतियां

हमारे देश में, सेक्युलर क़ानून-व्यवस्था में कुछ समय पूर्व तलाक़ का प्रावधान किये जाने से परे, मूल तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता और धार्मिक परंपरा में तलाक़ की गुंजाइश ही नहीं है । दाम्पत्य जीवन चाहे जितना असमान्य, कुंठित, समस्याग्रस्त हो जाए, पति-पत्नी के संबंधों में चाहे जितनी कटुता आ जाए, दोनों के लिए दाम्पत्य-संबंध अभिशाप बनकर रह जाए, यहां तक कि एक-दूसरे के प्रति अत्याचार, अपमान, अपराध की परिस्थिति भी बन जाए, संबंध-विच्छेद किसी हाल में भी नहीं हो सकता । औरत के पास, मायके से डोली उठने के बाद, ससुराल से अर्थी उठने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं रहता ।

दूसरी तरफ़, पाश्चात्य सभ्यता में तलाक़ देना/लेना (कोर्ट के माध्यम से) इतना सरल और इतना अधिक प्रचलित है कि ज़रा-ज़रा सी बात पर तलाक़ हो जाती है । कच्चे धागे की तरह दाम्पत्य-संबंध टूट जाते/तोड़ दिए जाते हैं । 'सिंगिल पैरेंट फैमिली' का अभिशाप नन्हे-नन्हे बच्चे भी झेलते हैं और समाज भी झेलता है । पति-पत्नी दाम्पत्य जीवन की गरिमा व महत्व के प्रति संवेदनहीन होते जा रहे हैं । कुछ लोग तो पति-पत्नी ऐसे बदलते हैं जैसे मकान, लिबास और कारों के मॉडल ।

संतुलित, मध्यम-मार्ग

इस्लाम, भारतीय मूल-सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता की उपरोक्त दो अतियों के बीच एक संतुलित 'मध्यम मार्ग' अपनाता है । न तलाक़ को वर्जित, अवैध, असंभव बनाता है, न खेल-खिलवाड़ की तरह आसान । विशेषत: औरत पर, उपरोक्त दोनों अतियों (ज़्यादती) में जो अत्याचार और उसका जो बहुपक्षीय शोषण होता है वही आपत्तिजनक तथा आक्षेप का पात्र है, न कि इस्लाम का, तलाक़ का प्रावधान ।

इस्लाम में इस बात का प्रावधान है कि पति, अत्यंत असहनीय परिस्थिति में पत्नी को तलाक़ दे सकता है और स्त्री नियमानुसार विधिवत प्रक्रिया द्वारा पति से तलाक़ प्राप्त कर सकती है । यह प्रक्रिया विस्तार के साथ शरीअत ने निश्चित व निर्धारित कर दी है । अलबत्ता स्त्री को स्वयं तलाक़ देने का अधिकार न देने में इस्लाम ने इस तथ्य का भरपूर ख़याल रखा है कि स्त्री अपने स्वभाव, मनोवृत्ति, मानसिकता व भावुकता में पुरुष से भिन्न बनाई गयी है । उसकी भावनात्मक स्थिति इतनी नाज़ुक होती है कि वह बहुत जल्द अत्यंत भावुक हो उठती है । जिस प्रतिकूल एवं कठिन व असह्य परिस्थिति में पुरुष आत्मसंयम व आत्म-नियंत्रण द्वारा तलाक़ देने से रुका रहता है, संभावना रहती है कि वैसी ही परिस्थिति में स्त्री का आत्म-बल उसकी भावुकता व क्रोध से हार जाए और वह तलाक़ दे बैठे । इसे पाश्चात्य समाज ने सही भी साबित कर दिया है । अपनी पसन्द का चैनल देखने पर आग्रह करने वाली पत्नी ने अपनी पसन्द का चैनल देखने पर आग्रह करने वाले पति से रिमोट कंट्रोल न पाकर गुस्से में तलाक़ ले लिया । पति के खर्राटों से रात को नींद न आने पर परेशान और क्रोधित पत्नी ने तलाक़ ले लिया । ब्वाय-फ्रेंड के साथ मनोरंजन करने पर पति द्वारा एतिराज़ किये जाने पर पत्नी ने भावुक व क्रोधित होकर तलाक़ ले लिया । पति की किसी बात से अत्यधिक कष्ट या उसके किसी व्यवहार से अपमानित महसूस करके या किसी घरेलू झगड़े में भावुक होकर बिना बहुत दूर तक, बहुत आगे की सोचे, (पति के द्वारा तलाक़ देने की तुलना में) पत्नी द्वारा तलाक़ दे देना अधिक संभावित होता है ।

इसी वजह से इस्लाम स्त्री को तलाक़ लेने का

अधिकार तो देता है, तलाक़ देने का अधिकार नहीं देता । तलाक़ लेने की प्रक्रिया में इस्लामी शरीअत कुछ और लोगों को भी दोनों के बीच में डालती है और विधि के अनुसार कुछ समय तक समझाने-बुझाने की प्रक्रिया जारी रखने के बाद यदि विश्वास हो जाता है कि संबंध विच्छेद हो जाना ही औरत के लिए भलाई व न्याय का तक़ाज़ा है तो शरीअत उसे तलाक़ दिलाकर पति से आज़ाद करा देती है । इस प्रक्रिया को शरीअत की परिभाषा में 'ख़ुलअ़' कहा जाता है ।

तलाक़शुदा औरत के प्रति सहानुभूति

तलाक़ पर आपत्ति करने का एक सकारात्मक कारक भी है कि लोग तलाक़शुदा औरत से सहानुभूति रखते हैं लेकिन चूंकि वे उसके बारे में इस्लाम की पारिवारिक तथा सामाजिक व्यवस्था को जानते नहीं, इसलिए समझते हैं कि ऐसी अबला, औरत को कोई पूछने वाला, सहारा देने वाला नहीं है इसलिए तलाक़ उस पर साक्षात अत्याचार, शोषण और अन्याय है । लेकिन सच्ची बात यह है कि इस्लाम उसे बेसहारा, अबला और दयनीय बनाकर नहीं छोड़ता, उसने उसके लिए कई प्रावधान, कई स्तरों पर किए हैं, जैसे–

(1) विवाह के समय ही इस्लाम, पत्नी को पति से स्त्री धन (महर) दिलाता है । इस धन पर उसके पति या ससुराली नातेदारों का ज़रा भी हक़ नहीं होता, वह स्वयं उसकी मालिक होती है, कठिन व प्रतिकूल परिस्थिति में (जैसे तलाक़ के बाद) यह धन उसका सहारा बनता है ।

(2) विवाह के समय या दाम्पत्य जीवन में पति जो कुछ भी धन, गहने, सामग्री, संपत्ति पत्नी को देता है, तलाक़ होने पर उससे वापस नहीं ले सकता ।

(3) तलाक़ के बाद स्त्री वापस अपने मायके की ज़िम्मेदारी में चली जाती है । वहां माता-पिता या भाइयों पर उसकी आजीविका तथा भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी लागू हो जाती है । वह बेसहारा नहीं रह जाती ।

(4) मायके में पहुंचकर यदि तलाक़शुदा औरत दूसरा विवाह करना चाहे तो मायके वालों को न सिर्फ़ यह कि उसे इससे रोकने या पुनर्विवाह में रोड़े अटकाने का अधिकार नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से उनका कर्तव्य है कि उसकी पसन्द का रिश्ता ढूंढ़ कर उसकी शादी कराएं और उसका नया घर बसा दें ।

(5) औरत का उसके मृत माता-पिता के धन-संपत्ति में शरीअत ने निर्धारित हिस्सा रखा है । माता-पिता की छोड़ी हुई दौलत, मकान, जायदाद, फैक्ट्री, कारोबार, ज़मीन, कृषि-भूमि आदि में उसका हिस्सा क़ुरआन में सविस्तार निर्धारित कर दिया गया है (4:11,12,176)। इस निर्धारण को क़ुरआन ने 'अल्लाह की सीमाएं' (हुदूद-उल्लाह) कहा है जिसके अन्दर न रहने वालों को हमेशा के लिए नरक में जलने की घोर चेतावनी दी गयी है (4:14)। इसी तरह भाइयों और कुछ अन्य रिश्तेदारों के धन-संपत्ति में भी उसे हिस्सा दिया गया है । तलाक़शुदा औरत पुनर्विवाह कर ले तब भी और न करे तब भी वह हिस्से पाने की अधिकारी बनाई गयी है ।

(6) सामान्यत: कोई कुंवारा व्यक्ति किसी तलाक़शुदा स्त्री से शादी नहीं करता । इन्सानी प्रकृति के रचयिता ईश्वर ने इसी बात का ख़याल रखते हुए शरीअत में बहु-पत्नीत्व की गुंजाइश रखी है ताकि तलाक़शुदा औरतों को लोग दूसरी (या अतिविशिष्ट परिस्थितियों में तीसरी, चौथी) पत्नी बनाकर उनका सहारा बन जाएं ।

इतने प्रावधानों के साये में 'तलाक़' औरत के लिए अत्याचार व अभिशाप नहीं बन पाता । हां मुस्लिम समाज में नादानी, अज्ञानता के कारण पाई जाने वाली कुछ कमियों के कारण से कुछ मामलों में तलाक़शुदा औरत को कुछ कठिनाइयां अवश्य पेश आती हैं लेकिन ख़ुदा का ख़ौफ़ (परलोक की सज़ा का डर), इस्लामी नैतिकता, परिवार और समाज का दबाव आदि कुछ ऐसे कारक हैं, जो ऐसी औरत को सहारा उपलब्ध कराते रहते हैं । दूसरी तरफ़ मुस्लिम समाज में क़ुरआन, हदीस, शरीअत और नैतिकता के हवालों से शिक्षा व चर्चा हमेशा जारी रहती है, समाज-सुधार के प्रयत्न बराबर होते रहते हैं ।

परिणामस्वरूप अज्ञान व जिहालत का स्तर निरंतर नीचे गिरता रहता है और तलाक़शुदा औरत की उस तथाकथित दुर्दशा की स्थिति मुस्लिम समाज में बनने नहीं पाती जिसका बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार किया जाता या जिसको एक मुद्दा बनाकर रह-रहकर इस्लाम पर आक्षेप किया जाता, मुस्लिम समाज पर "तलाक़" के अत्याचार व अभिशाप होने का आरोप लगाया जाता, इस्लाम के प्रति घृणा का वातावरण बनाया जाता है । या सीधे-सादे देशबंधुओं में अज्ञानवश 'तलाक़-इस्लाम-मुस्लिम समाज' के हवाले से ग़लतफ़हमियां पायी जाने लगती हैं ।

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY

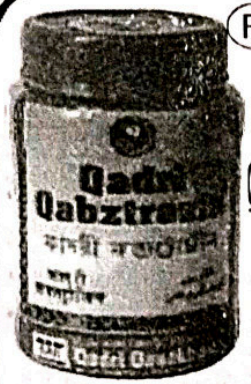

گیسٹک کے درد میں

قادری قبض ٹروجن

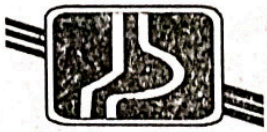

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر قبض، سینے کی جلن
اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے



گھٹیا کے
درد میں؟



زعفرانی تیل

کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔
گھٹیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی
مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشٹک چورن



جریان، کثرت احتلام،
سرعت انزال، ضعف باہ
اور جملہ امراض مردانہ
میں بہت مفید ہے

شوگر کی کامیاب دوا

ذیابطیش سی



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔
پیشاب کی زیادتی اور
ذیابطیش سے ہونے والی
کمزوری میں بے حد مفید ہے

Qadri Dawakhana

An ISO 9001:2008 Certified Company
B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24
(O) S-152, S. A. Farooquie Road. (Akra Road) Kolkata - 700 018
Ph. No. 2469-3173-2489-3539
www.qadridawakhana.com • E-mail : qadridawakhana80@yahoo.co.in

अनोखे व्यंग्यकार मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी

■ नवनीत कुमार शर्मा

'लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, इससे मुझे फ़र्क़ नहीं पड़ता । मैं तो यह देखता हूं कि मुझे क्या लिखना है । हां, मेरा लिखा लोगों को पसंद आता है तो यह मेरा सौभाग्य है और अगर नहीं आता है तो भी मैं ऐसा ही रहूंगा ।' कुछ साल पहले किसी साक्षात्कार में ये शब्द कहने वाले मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का 94 वर्ष की उम्र में 20 जून 2018 ई॰ की शाम को देहावसान हो गया ।

1923 में राजस्थान के टोंक में जन्मे मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी के निधन के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप ने व्यंग्य का ऐसा सरताज खो दिया है जिसके यहां सहजता के साथ व्यंग्य की वह धार है जिसमें कुछ लोग बह जाते हैं और कुछ कट जाते हैं । दिलचस्प यह है कि हर जुमले में व्यंग्य की बौछार करने वाला यह लेखक पाकिस्तान में बैंकिंग क्षेत्र में भी बड़ा नाम रहा । पिता अब्दुल करीम ख़ान यूसुफ़ी जयपुर एसेंबली के स्पीकर रहे । शिक्षित परिवार में पैदा होने वाले यूसुफ़ी ने जयपुर में शिक्षा पायी और बी॰ए॰ आगरा विश्वविद्यालय से और दर्शनशास्त्र में एम॰ए॰ अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी से किया ।

देश विभाजन के बाद वे परिवार सहित पाकिस्तान के कराची पहुंचे । व्यंग्य लेखन के लिए उन्हें सितारा-ए-इम्तियाज़ और हिलाल-ए-इम्तियाज़ जैसे बड़े सम्मान भी मिले । भारत विभाजन के दौरान जो ख़ूनी मंज़र रहा, वह कई लोगों पर कई तरह के प्रभाव लाया । सूक्ष्म कलाओं से जुड़े लोगों में से कुछ शायर हुए, कुछ अभिनेता बने लेकिन मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी ने व्यंग्य का रास्ता चुना । उनका व्यंग्य कचोटता है, हंसाता है और कहीं-कहीं रुलाता भी है । सूजन ऐसा शरारती और शोख़ कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के मिसरे 'राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा' को पानी के संबंध में उन्होंने यह कहकर पेश किया, 'राहतें और भी हैं गुस्ल की राहत के सिवा ।' ऐसे कई जुमले यूसुफ़ी के अध्ययन के दरवाज़े भी खोलते हैं ।

उन्हें हिन्दी के पाठक से परिचित करवाने का श्रेय शायर तुफ़ैल चतुर्वेदी को जाता है जो दो बार मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी साहब से मिलने पाकिस्तान गये और उनसे यह लिखित अनुमति लाये कि देवनागरी लिपि में इनके अनुवाद प्रकाशित किये जा सकते हैं । यह पुल न होता तो शायद उर्दू में लिखने वाले यूसुफ़ी साहब हिन्दी पाठक तक न पहुंचते । उनकी कई किताबों में से 'चिराग़ तले', 'ज़रगुश्त', 'आब-ए-गुम', 'ख़ाकम ब देहन' आदि हैं ।

तुफ़ैल चतुर्वेदी ने इनमें 'चिराग़ तले', 'धन यात्रा', 'मेरे मुंह में ख़ाक' और 'खोया पानी' का हिन्दी में अनुवाद किया । 'चिराग़ तले' का अनुवाद अभी अप्रकाशित है । बक़ौल तुफ़ैल चतुर्वेदी, उनके साहित्यिक प्रकाशन लफ़्ज़ को स्थापित करने में मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी साहब की बड़ी भूमिका है ।

'खोया पानी' की भूमिका में ज्ञान चतुर्वेदी लिखते हैं, 'उर्दू व्यंग्य बेहद सहज है । वह प्राय: फालतू के पांडित्य प्रदर्शन में नहीं पड़ता । आजकल का हिन्दी व्यंग्यकार अपनी रचनाओं में थानेदार, वकील और न्यायाधीश तो होता ही है, साथ ही कोड़े फटकारने वाला भी—और इस कोशिश में अपने लेखन में अधिकतर असहज हो जाता है । परसाईजी, शरदजी या त्यागीजी वहां महान हैं, जहां सहज हैं ।

हिन्दी वालों पर यह अतिरिक्त दबाव शायद आलोचकों का है कि व्यंग्य ऐसा हो, वैसा हो, इस डिजाइन का हो और सबसे बेहूदा बात कि कैसा न हो ? इस दबाव के चलते कई बार असहजता दिखायी पड़ती है । उर्दू व्यंग्य बेहद सहज है और सहज होना कितना कठिन हो सकता है, यह कोई यूसुफ़ी साहब जैसा एक पैराग्राफ़ लिखने की कोशिश करके कभी देख सकता है ।'

सच यह है कि मुश्ताक़ व्यंग्य विधा में अपने फन से इतने लोगों को मुश्ताक़ कर गये हैं कि वो अपनी रचनाओं के अलावा अपने चाहने वालों में भी झलकते रहेंगे । कहने को वो कराची के हो गये थे लेकिन वो सबके हैं, जयपुर के, आगरा के, अलीगढ़ के भी और हर देश में बैठे अपने मुरीद के भी ।

(सा॰ : दैनिक जागरण)

मेरा सन्नाटा

(1)

मेरा सन्नाटा अलग है
तुम्हारे सन्नाटे से
तुम्हारे सन्नाटे में है
कई प्रतिश्रुतियां
वेदना को भेदती
कई चंचरिया
...और
मेरे सन्नाटे में है
कुछ आपस में टकराती आवाज़ें
पल-पल जीवन को
बिखेरती हुई आवाज़ें
तब
तब लगता है मुझे
नहीं है जीवन
एक सुन्दर गीत
ये है
एक अरण्यरोदन
जिसमें गूंजता सिर्फ़
मेघनाद ।।

(2)

तलाश

गर तलाश हो मेरी
तो ढूंढ़ना किसी
ख़ामोश लम्हे में मुझे,
किसी अंधेरे में पड़ी
किताब का अधूरा
अंश हूं मैं,
जो न पूरी हो सके
वो ख़्वाहिश हूं मैं,
रेत में दीखता
सराब हूं मैं,
किसी महफ़िल में
आता भूल से
मेहमां हूं मैं,
जो न पूरा हो सके
वो ख़्वाब हूं मैं,
राह भटका
मुसाफ़िर हूं मैं,
फिर आया कहता
आख़िरी
शब्द हूं मैं ।।

(3)

कारवां

ये कारवां है
उम्मीदों का
भीड़ है
ख़्वाबों की
चलो
एक लय में साथी
हाथों में बंधी
उंगलियों से
दूर तक चलेंगे साथ
हौसलों के
करते क़दमताल
चलो
साथ बढ़े साथी
नये जज़्बे की
मिले मंज़िल
आशाओं से सजाये
फिर नये घर
उत्कर्ष विचारों के
दरों पर बांधे वंदनवार
चलो
साथ बढ़े साथी
ये कारवां है उम्मीदों का ।

अर्चना ठाकुर
तेजपुर, सोनितपुर (असम)

कहानी

हार की जीत

■ सुदर्शन

मां को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनन्द आता है, वही आनन्द बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवद्-भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता । वह घोड़ा बड़ा सुन्दर था, बड़ा बलवान । उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाक़े में न था । बाबा भारती उसे 'सुलतान' कहकर पुकारते अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख-देखकर प्रसन्न होते थे । उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी । अब गांव से बाहर एक छोटे-से मन्दिर में रहते और भगवान का भजन करते थे । "मैं सुलतान के बिना नहीं रह सकूंगा," उन्हें ऐसी भ्रान्ति-सी हो गई थी । वे उसकी चाल पर लट्टू थे । कहते, "ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो ।" जब तक संध्या समय सुलतान पर चढ़कर आठ-दस मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता ।

खड़गसिंह उस इलाक़े का प्रसिद्ध डाकू था । लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे । होते-होते सुलतान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची । उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा । वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया । बाबा भारती ने पूछा, "खड़गसिंह, क्या हाल है ?"

खड़गसिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, "आपकी दया है ।" "कहो, इधर कैसे आ गये ?"

"सुलतान की चाह खींच लाई ।"

"विचित्र जानवर है । देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे ।"

"मैंने भी बड़ी प्रप्रांसा सुनी है।"

"उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी !"

"कहते हैं देखने में भी बहुत सुन्दर है ।"

"क्या कहना ! जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है ।"

"बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं ।"

बाबा भारती और खड़गसिंह अस्तबल में पहुंचे । बाबा ने घोड़ा दिखाया घमण्ड से, खड़गसिंह ने देखा आश्चर्य से । उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परन्तु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुज़रा था । सोचने लगा, भाग्य की बात है । ऐसा घोड़ा खड़गसिंह के पास होना चाहिए था । इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा । इसके पश्चात् उसके हृदय में हलचल होने लगी । बालकों की-सी अधीरता से बोला, "परन्तु बाबाजी, इसकी चाल न देखी तो क्या?"

दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया । घोड़े को खोलकर बाहर गए । घोड़ा वायु-वेग से उड़ने लगा । उसकी चाल को देखकर खड़गसिंह के हृदय पर सांप लोट गया । वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसन्द आ जाए, उस पर वह अपना अधिकार समझता था । उसके पास बाहुबल था और आदमी भी । जाते-जाते उसने कहा, "बाबाजी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा ।"

बाबा भारती डर गए । अब उन्हें रात को नीन्द न आती । सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी । प्रति क्षण खड़गसिंह का भय लगा रहता, परन्तु कई मास बीत गए और वह न आया । यहां तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाईं मिथ्या समझने लगे । संध्या का समय था । बाबा भारती सुलतान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे । इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता । कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते थे । सहसा एक ओर से आवाज़ आई, "ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना।"

आवाज़ में करुणा थी । बाबा ने घोड़े को रोक लिया । देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है । बोले, "क्यों तुम्हें क्या कष्ट है ?"

अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, "बाबा, मैं दुखियारा हूं । मुझ पर दया करो । रामावाला यहां से तीन मील है, मुझे

वहां जाना है । घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा ।''

''वहां तुम्हारा कौन है ?''

''दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा । मैं उनका सौतेला भाई हूं ।''

बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे-धीरे चलने लगे । सहसा उन्हें एक झटका-सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई । उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है । उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख़ निकल गई । वह अपाहिज डाकू खड़गसिंह था । बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात् कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, ''ज़रा ठहर जाओ ।''

खड़गसिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गरदन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ''बाबाजी, यह घोड़ा अब न दूंगा ।''

''परन्तु एक बात सुनते जाओ।'' खड़गसिंह ठहर गया ।

बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ''यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है । मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा । परन्तु खड़गसिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं । इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा ।'' ''बाबाजी, आज्ञा कीजिए । मैं आपका दास हूं, केवल घोड़ा न दूंगा ।

''अब घोड़े का नाम न लो । मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूंगा । मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना ।''

खड़गसिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया । उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परन्तु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना । इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? खड़गसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परन्तु कुछ समझ न सका । हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दीं और पूछा, ''बाबाजी, इसमें आपको क्या डर है ?''

सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, ''लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन-दुखियों पर विश्वास न करेंगे ।'' यह कहते-कहते उन्होंने सुलतान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा हो ।

बाबा भारती चले गए । परन्तु उनके शब्द खड़गसिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे । सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है ! उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाईं खिल जाता था । कहते थे, ''इसके बिना मैं रह न सकूंगा।'' इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं । भजन-भक्ति न कर रखवाली करते रहे । परन्तु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी । उन्हें केवल यह ख़याल था कि कहीं लोग दीन-दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें । ऐसा मनुष्य, मनुष्य नहीं देवता है ।

रात्रि के अंधकार में खड़गसिंह बाबा भारती के मन्दिर पहुंचा । चारों ओर सन्नाटा था । आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे । थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मन्दिर के अन्दर कोई शब्द सुनाई न देता था । खड़गसिंह सुलतान की बाग पकड़े हुए था । वह धीरे-धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा । फाटक खुला पड़ा था । किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परन्तु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था । खड़गसिंह ने आगे बढ़कर सुलतान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बन्द कर दिया । इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे । रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था । चौथा पहर आरम्भ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया । उसके पश्चात्, इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े । परन्तु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई । साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन-मन भर का भारी बना दिया । वे वहीं रुक गए । घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया । अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अन्दर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो । बार-बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार-बार उसके मुंह पर थपकियां देते । फिर वे सन्तोष से बोले, ''अब कोई दीन-दुखियों से मुंह न मोड़ेगा ।''

घरेलू नुस्ख़े



■ ग्लू की शीशी में रखा हुआ ग्लू यदि कड़ा हो गया हो तो उसमें थोड़ा-सा सिरका मिलाकर रख दें। ग्लू इस्तेमाल करने लायक़ हो जाएगा।

■ कपड़ों की आलमारी या आपके वार्डरोब में कीड़े हो जाते हों तो उनमें कपड़ों के बीच में कलौंजी की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर रखें।

■ अपनी 200 मिली माइश्चराजर की बोतल में आधा चाय का चम्मच नीम का तेल मिला दें। यह आपकी त्वचा के लिए तो लाभदायक है ही साथ ही इसे हाथ-पैर में लगाकर सोने से मच्छर आपके पास भी नहीं फटकेंगे।

■ आर्टीफिशियल ज्वेलरी पर हर दो-तीन महीने बाद कम से कम दो बार पारदर्शी रंग की नेल पॉलिस की पर्त चढ़ाएं। इससे ज्वेलरी काली नहीं पड़ेगी।

■ अगर आप शाकाहारी हैं तो फ्रिज़ में अंडा रखने की जगह ख़ाली रहती होगी। इस स्थान पर आप टमाटर और नींबू रख सकती हैं।

■ क्राकरी के दाग़ हटाने के लिए उन्हें बेकिंग सोडा के घोल से धुलें। दाग़ ख़त्म हो जाएंगे और क्राकरी में चमक आ जाएगी।

■ बच्चों के जूते के फीते बांधते समय गांठ लगाने के बाद उसे गीले कपड़े से दो-तीन बार रगड़ दें। फीते की गांठ बार-बार नहीं खुलेगी।

■ शू पालिस सूख गयी हो तो पालिस की डिब्बी में दो-तीन बूंद मिट्टी का तेल डाल दें। पालिस पुनः इस्तेमाल लायक़ हो जाएगी तथा इससे जूतों में चमक भी आएगी।

■ घर पर यदि चींटियां आ जाएं तो उनके ऊपर पिसी हल्दी डाल दें साथ ही जहां से चींटियां आ रही हों उस स्थान पर भी हल्दी डाल दें।

■ चिलम वाली तम्बाकू और पुराने गुड़ का लेप लगाकर पट्टी बांधने से कांच के टुकड़े निकल जाते हैं तथा घाव भी प्रायः भर जाता है।

■ पिसी हुई फिटकरी फांक कर तुरंत गर्म दूध पी लें। ये अंदरूनी चोट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है।

■ कड़वा तेल या घी चम्मच में गरम करके उसमें थोड़ी-सी हल्दी पीस कर छोड़ दें, फिर रुई का फाहा पानी में भिगोकर उसको छौंक दें। छौंकी हुई रुई को घाव पर पट्टी से बांध दें। अगर मवाद पड़ जाता है तो थोड़ा-सा बोरिक पाउडर और मोम रुई का फाहा डालने से पहले छोड़ दें। चोट से अगर ज़्यादा ख़ून बह रहा है तो कच्चा देशी घी का फाहा चोट पर थोड़ी देर के लिए दबा दें।

■ रक्त बह रहा तो तो गूलर के पत्ते पीसकर लगाएं। रक्त बहना बन्द हो जाता है और घाव भी शीघ्र भर जाता है।

■ कटे हुए स्थान पर हल्दी पीस कर भर दें। रक्त बहना बंद हो सकता है।

■ पिसी हुई हल्दी 3 ग्राम फांक कर ऊपर से गरम-गरम दूध पीना चोट के लिए गुणकारी है।

■ आमा हल्दी, चोट सज्जी और थोड़ा-सा प्याज पीस कर उसका लेप मोच वाले स्थान पर लगा दें।

■ खांड और नमक मिलाकर खाने से चोट और मोच में आराम मिलता है।

■ 5 ग्राम बारीक पिसी मेंहदी की पत्ती, बीस ग्राम तिल्ली के तेल में पका कर लेप करें और कंडे की आग से सेकें। इससे चोट और मोच में फ़ायदा हो सकता है।

इस्लाम की आस्थाएं

■ शेख़ अली तंतावी

ईमान की उपलब्धि यही दिल का अमल (कैफ़ियत व हालत) है जिसका सारांश हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने अपने एक मशहूर कथन में, जिसे "जवामिउल कलिम" कहा जा सकता है, ऐसे व्यापक और साफ़ अंदाज़ में बयान फ़रमा दिया है कि किसी इन्सान की वर्णनशैली सुभाषिता एवं साहित्यिकता और सटीकता में उसका मुक़ाबला नहीं कर सकती और जो आप (सल्ल॰) के नबी होने की निशानियों में से है। "एहसान" (उत्तमता) की परिभाषा बयान करते हुए आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

"अल्लाह की इबादत इस प्रकार किया करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, क्योंकि अगर तुम उसे न देख सकोगे तो वह तो तुम्हें ज़रूर देख रहा है।" (हदीस)

अल्लाह को याद रखना

ईमान की उपलब्धियों में से पहली उपलब्धि हर समय अल्लाह को याद रखना है। मैंने किसी बुज़ुर्ग के बारे में (जिनका नाम मुझे याद नहीं) कहीं पढ़ा था कि उनके व्यवहार सुलूक (ख़ुदा की याद में मग्न रहने) का प्रारंभ इस प्रकार हुआ। उनके एक नेक और इबादतगुज़ार मामा थे। उन्होंने एक दिन अपने मामा से कहा कि मुझे ऐसा अमल बताइए कि जिसके नतीजे में मैं आप जैसा हो जाऊं। उन्होंने कहा कि हर रोज़ तीन बार कहा करो, "अल्लाह मुझे देख रहा है और वह मेरी हर बात की ख़बर रखता है।" वे एक सप्ताह तक यह दुहराते रहा। इसके बाद उनके मामा ने हुक्म दिया कि रोज़ाना हर नमाज़ के बाद तीन बार यही दुहराओ। उन्होंने यह अमल भी शुरू कर दिया, एक सप्ताह

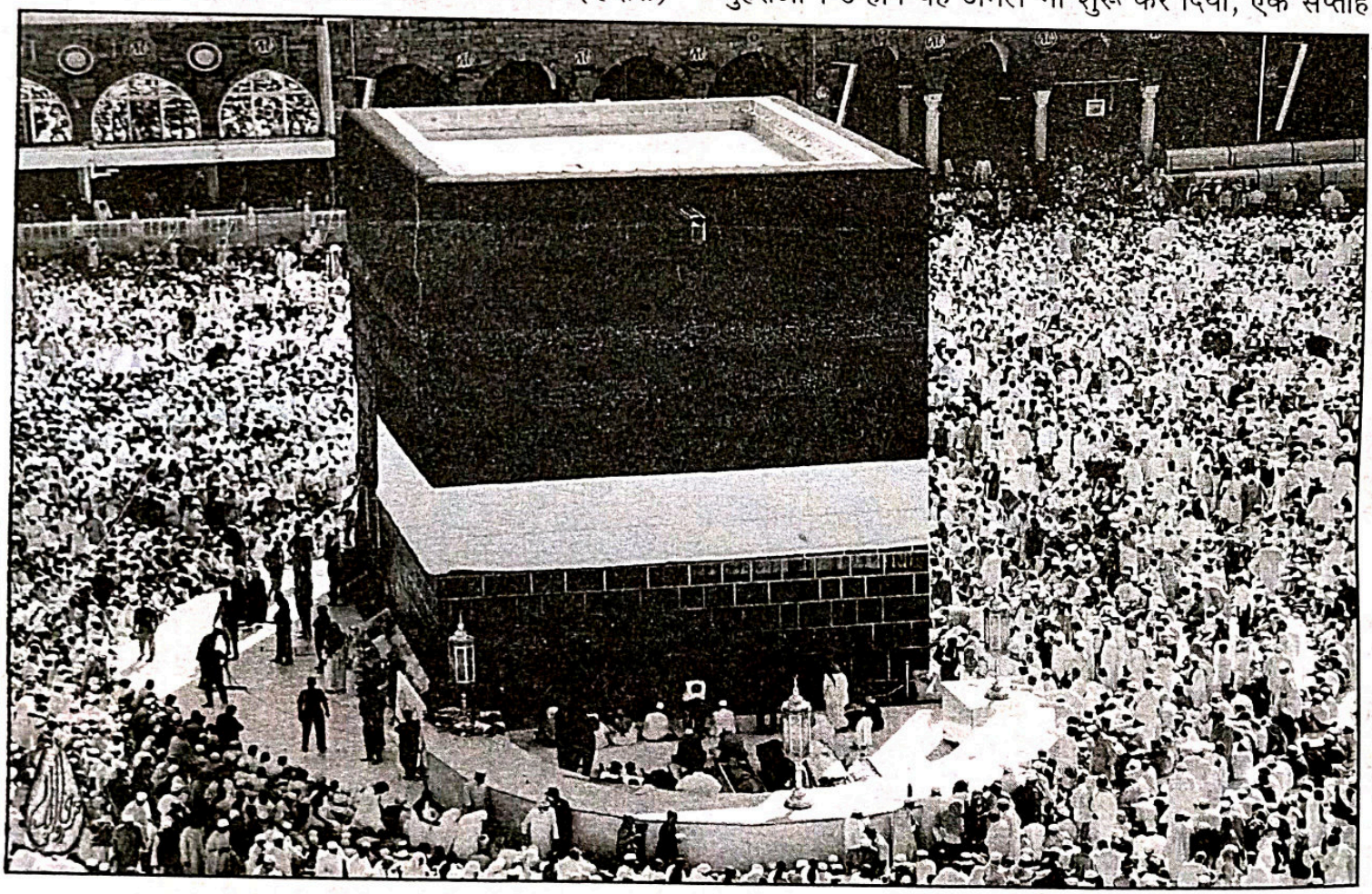

ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण

और गुज़र गया । फिर उन्होंने हुक्म दिया कि अब यही बात ज़बान हिलाए बग़ैर दिल में दुहराते रहो, इस प्रकार तुम हमेशा ज़िक्र करने वाले और हर वक़्त अल्लाह की तरफ़ ध्यान रखने वाले हो जाओगे ।

क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने जितना ज़िक्र का हुक्म दिया है, उतना किसी और चीज़ का नहीं दिया और जितनी प्रशंसा ज़िक्र करने वालों की की है, किसी और की नहीं की । अरबी शब्दकोश के अनुसार ज़िक्र दो क़िस्म का है । एक दिल में याद रखना और दूसरा ज़बान से ज़िक्र करना । और ये दोनों क़िस्में क़ुरआन मजीद में वर्णित हैं ।

अगर आप चाहते हैं कि आपमें ज़िक्र करने वाले का गुण पैदा हो जाएं तो अपने दिल में, यानी अपनी चेतना में अल्लाह को याद कीजिए । चाहे आप अकेले हों या किसी महफ़िल में, बाज़ार में हों या रास्ते में, आप हर समय और हर हाल में यह बात याद रखें कि अल्लाह आपको देख रहा है ।

अत: आपसे कोई ऐसी हरकत न होने पाए जो आपके पालनहार को नापसन्द हो । कोई फ़र्ज़ अदा करें तो आपके मन-मस्तिष्क में यह बात रहनी चाहिए कि अल्लाह के हुक्म का पालन कर रहे हैं । इसी प्रकार अगर हराम कामों से बचें तो यह सोचकर बचें कि उनसे अल्लाह तआला ने मना किया है । वैध (हलाल) काम करते वक़्त भी आपकी नीयत ऐसी होनी चाहिए कि आप सवाब (प्रतिफल) के पात्र हों । और अगर किसी समय आपके सामने दो रास्ते आ जाएं तो उनमें से वह राह चुनिए जो आपको जन्नत (स्वर्ग) से क़रीब करे और जहन्नम (नरक) से दूर ले जाए । और अगर कभी भूलकर गुनाह कर बैठें और फिर आपको एहसास हो कि आपने ग़लत काम किया है तो तुरंत तौबा कीजिए और अल्लाह तआला से माफ़ी मांगिए ।

"हक़ीक़त में जो लोग परहेज़गार हैं, उनका हाल यह होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख़याल उन्हें छू भी जाता है तो वे फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ़ नज़र आने लगता है कि उनके लिए काम करने का सही तरीक़ा क्या है ।" (क़ुरआन, 7:201)

इसके अलावा ज़बान से भी अल्लाह को याद कीजिए, इसलिए कि बेहतरीन ज़िक्र ज़बान का ज़िक्र है । शर्त यह है कि यह ज़िक्र दिल की गहराई से किया गया हो । अगर दिमाग़ कहीं और हो और जो कुछ आप ज़बान से अदा कर रहे हों, दिल में न उतरे तो यह बोल निरर्थक होगा, निरुद्देश्य और बेमाना । जिस प्रकार शाम (सीरिया) में केक बेचने वाले आवाज़ लगाते हैं "अल्लाह करीम" तो उनका मक़सद अल्लाह का ज़िक्र नहीं, बल्कि केक बेचना होता है । या सब्ज़ी बेचने वाले पुकारते हैं–"अल्लाह दाइम (अल्लाह सदैव रहने वाला है)" वग़ैरह । और कभी-कभी ज़बान का ज़िक्र गुनाह भी बन जाता है । मिसाल के तौर पर कोई आदमी शराब पीते समय "बिस्मिल्लाह" (शुरू अल्लाह के नाम) पढ़े या पेशेवर गानेवालियों के अश्लील गीतों पर "सुब्हानल्लाह" कहा जाए ।

सबसे बेहतर ज़िक्र क़ुरआन मजीद की तिलावत (पाठ) है । सिवाय उन मौक़ों के जिनके लिए नबी (सल्ल॰) ने ख़ास ज़िक्रों की हिदायत फ़रमाई है । मिसाल के तौर पर रुकूअ और सजदे की दुआएं (ज़िक्र) या वे दुआएं जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) से उद्धृत हैं ।

भय और आशा की दशा

मोमिन जहां हर वक़्त अल्लाह के अज़ाब से डरता रहता है, वहीं वह इस आशा से बहुत प्रसन्न रहता है कि अल्लाह अपने रहमो-करम से क्षमा कर देगा । जब उसे ख़याल आता है कि अल्लाह तआला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला और सख़्त सज़ा देने वाला है तो उस पर भय की लहर दौड़ जाती है, फिर उसे याद आता है कि वह कृपालु और क्षमावान है और सबसे बड़ा रहम करने वाला है तो उसे आशा की किरण नज़र आने लगती है । ईमान में ये दो अलग-अलग दशाएं इस कारण हैं कि इन्सान पर अगर हर वक़्त भय का ही राज रहे और उसका दिल इतना प्रभावित हो जाए कि

अल्लाह की कृपा और रहमत से ही मायूस हो जाए तो यह आयत उस पर सही साबित होगी कि "अल्लाह की रहमत से तो विधर्मी (काफ़िर) लोग ही मायूस हुआ करते हैं" (क़ुरआन, 12:87)। और अगर उसके दिल में हर वक़्त सिर्फ़ आशा (उम्मीद) ही उमड़ती रहे और अल्लाह की पकड़ से बेख़बर हो जाए तो उस पर यह आयत सही साबित होती है कि, "अल्लाह की चाल से वही क़ौम निडर होती है जो तबाह होने वाली हो।" (क़ुरआन, 7:99)

हम पहले बता चुके हैं कि सर्व जगत का स्रष्टा अल्लाह सृष्टि के समान नहीं है। इसलिए उससे डरने का अंदाज़ भी वह नहीं है, जैसे सृष्टि की किसी चीज़ से डरा जाता है। मिसाल के तौर पर आप अकेले और निहत्थे हों और कोई शेर दहाड़ता हुआ आप पर हमलावर हो जाए तो आप हक़ीक़त में डर जाएंगे, लेकिन अल्लाह का भय शेर से डरने के समान नहीं है। शेर का ख़तरा आपकी जान पर से टल भी सकता है, लेकिन अगर अल्लाह, जो शेर को पैदा करने वाला और पालनहार है, आपको शेर के हवाले करना चाहे तो उसके इस फ़ैसले को, जो उसने आपके ख़िलाफ़ जारी कर दिया है, कोई भी टाल नहीं सकता।

इसी प्रकार गरजती-चिंघाड़ती बाढ़ बढ़ती चली आ रही हो और आप उसके रास्ते में खड़े हों और उससे बचने की बज़ाहिर कोई सूरत नज़र न आती हो, ऐसी दशा में भी आप ज़रूर भय महसूस करेंगे, लेकिन यह भय व डर भी अल्लाह के भय के समान नहीं है। अल्लाह तआला में तो यह शक्ति है कि अगर वह चाहे तो बाढ़ को रोक सकता है, सुखा सकता है और लौटा भी सकता है। फिर सैलाब से तो भागना भी संभव है और बचने की भी संभावना भी। लेकिन जब अज़ाब आएगा तो उससे कहीं भी भागा नहीं जा सकता। इन्सान बीमारी से, बलाओं से, दोस्तों के बिछुड़ने से भयभीत रहता है, लेकिन यह भय भी अल्लाह के भय जैसा नहीं है। ये तमाम बातें भी तो उसी के अधिकार में हैं। वह चाहे तो आपको मुसीबत में गिरफ़्तार कर दे और चाहे तो सुरक्षित रखे। इस कायनात में दूसरी कोई ताक़त नहीं जो अल्लाह की तरफ़ से भेजी हुई मुसीबत को टाल सके।

अतः मोमिन पर लाज़िम है कि वह भय और आशा की दशा में रहे जब नमाज़ के लिए खड़ा हो और ज़बान से कृपाशील और दयावान के शब्द उच्चारित करे तो उम्मीद और आशा की कैफ़ियत महसूस करे और जब "(अल्लाह) हिसाब के दिन का मालिक है" कहे तो उस पर भय छाया हुआ हो। आजकल अधिकांश मुसलमानों पर भय के मुक़ाबले में उम्मीद की कैफ़ियत का अधिक ज़ोर है। और माफ़ कर दिये जाने की उम्मीद और आरज़ू, अज़ाब से बचने की कोशिश पर हावी है।

इसके अलावा अगर मुसलमान अपने धार्मिक कर्तव्यों (दीनी फ़राइज़) को पूरा करता है (चाहे वह बहुत-से जायज़ कामों का छोड़ने वाला हो) और हराम कामों से बचता रहे (चाहे वह मकरूह कामों से बच न सके) तो उसकी गिनती भी अल्लाह से डरने वाले परहेज़गारों में होगी। लेकिन जन्नत (स्वर्ग) में ऊंचे दरजों से वंचित रहेगा। इसकी मिसाल उस विद्यार्थी की-सी है जो कम दर्जे की सफलता प्राप्त करता है, और विशेष स्थान और उच्च श्रेणी की सफलता प्राप्त कर पाने से वंचित रहता है। ऐसी दशा में उसे क्लास (स्कूल) से तो नहीं निकाला जाता, अलबत्ता उसकी सफलता मध्यम श्रेणी की होती है।

अल्लाह पर भरोसा

अल्लाह का इरशाद है–"अगर तुम हक़ीक़त में अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस पर भरोसा करो।"

(क़ुरआन, 10:84)

क़ुरआन में एक जगह और इरशाद है–"अल्लाह को वे लोग पसन्द हैं जो उसके भरोसे पर काम करते हैं।"

(क़ुरआन, 3:159)

इन आयतों में जिस भरोसे का ज़िक्र है वह अस्ल में क्या है ? उसकी हक़ीक़त क्या है ?

हम पहले यह बात बयान कर चुके हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं वे नफ़ा भी देती हैं और नुक़सान भी पहुंचाती हैं। इसी प्रकार प्रकृति के नियम नफ़ा के कारक भी हैं और नुक़सान के भी। तो क्या 'भरोसा' के माने यह है कि हम इस कायनात (सृष्टि) की चीज़ों और प्राकृतिक नियमों के नफ़ा और नुक़सान से मुंह मोड़ लें और सूझबूझ तथा उपायों से काम लेना छोड़ दें ?

सूफ़ियों के गिरोह में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं

जो संसाधनों और उपायों को छोड़ना ही को अल्लाह पर भरोसा करना समझते हैं । ये लोग रोज़ी (आजीविका) कमाने के लिए भी काम नहीं करते, बल्कि प्रतीक्षा करते रहते हैं कि उनका हिस्सा बिना हाथ हिलाये उन तक पहुंच जाए । वे मरीज़ का इलाज नहीं करते-कराते और यह उम्मीद रखते हैं कि दवा के बग़ैर ही मर्ज़ अच्छा हो जाएगा । रेगिस्तानों में सफ़र करते वक़्त ज़ोद-राह (यात्रा सामग्री) साथ नहीं रखते और समझते हैं कि रोज़ी (आजीविका) बिना मशक़्क़त और मेहनत के उन्हें मिलती रहेगी । वे तालीम (शिक्षा) हासिल करने के विरोधी हैं, उनका मानना है कि इल्म (ज्ञान) खुद से प्राप्त हो जाएगा । ये सब बातें इस्लामी शरीअत (विधान) के ख़िलाफ़ हैं । शरीअत का तो हुक्म यह है–

''तुम ज़मीन में चलो-फिरो और खुदा की रोज़ी तलाश करो ।'' (कुरआन, 62:10)

और यह भी आदेश है–''सफ़र में ज़ोद-राह (पाथेय) लेकर चलो ।'' (कुरआन, 2:197)

और मशहूर हदीस है–''इल्म (ज्ञान) प्राप्त करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है ।''

पैग़म्बर (सल्ल०) का फ़रमान है–''ऐ अल्लाह के बन्दो ! ज़रूरत के वक़्त दवा का इस्तेमाल करो ।''

ग़ैर-मुस्लिम समाज में, जो भौतिक बुनियादों पर क़ायम है और सिर्फ़ भौतिकवादी जीवन ही उसके जीवन का मक़सद है, बहुत-से लोग यह अक़ीदा रखते हैं कि भौतिक साधन ही परिणाम प्राप्ति का एकमात्र साधन हैं । यानी दवा खुद ही स्वास्थ्य प्रदान करती है और कोशिश और प्रयत्न ही किसी मक़सद को हासिल करने का वास्तविक उपाय है । हालांकि यह बात तथ्य के विरुद्ध है । अधिकांशत: देखने में आता है कि तमाम साधन और उपाय मौजूद और एकत्र होते हैं, लेकिन इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं होते । कई बार आप दवा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोग से छुटकारा नहीं मिलता । अधिकांशत: अस्पताल के एक ही कमरे में एक ही मर्ज़ के दो मरीज़ होते हैं, डॉक्टर भी एक ही होता है, दवाएं भी एक ही क़िस्म की दी जाती हैं, लेकिन उनमें से एक मर जाता है और दूसरा तन्दुरुस्त हो जाता है । कभी-कभी किसान नये-नये औज़ारों से खेती करता है, अच्छे बीज इस्तेमाल करता है, क़ीमती खाद डालता है लेकिन तेज़ गर्मी या सर्दी की लहर आ जाती है या झुलसा देने वाला सूखा या सब कुछ बहा ले जाने वाली बाढ़ आ जाती है और तमाम कोशिशें और उपाय कुछ भी काम नहीं आते हैं ।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि न तो सिर्फ़ साधन और उपाय ही यक़ीनी नतीज़ों की प्राप्ति के माध्यम हैं और न उपायों का छोड़ देना ही बुद्धिसंगत कार्यशैली है । बल्कि अक़्ल का तक़ाज़ा और शरीअत (इस्लामी विधान) का हुक्म भी यह है कि पहले तो तमाम उपाय और साधन अपनाए जाएं, फिर परिणाम प्राप्ति के लिए अल्लाह से दुआ मांगी जाए । फ़ारसी में एक कहावत है, ''ऊंटनी को रस्सी से बांधो और अल्लाह पर भरोसा करो ।'' अपने सबक़ को पूरी तरह याद करो, फिर अल्लाह पर भरोसा करते हुए परीक्षा में सफलता की दुआ मांगो । यही हक़ीक़ी (वास्तविक) भरोसा है ।

संसाधनों को नज़रअंदाज़ करना और प्राकृतिक नियमों से काम न लेना भरोसा नहीं है । और यह भी 'भरोसे' के विपरीत है कि व्यक्ति यह भूल जाए कि लाभ-हानि का मालिक वास्तव में केवल अल्लाह है । अल्लाह से हटकर दूसरी चीज़ों को यह समझने लगे कि वे उसे लाभ-हानि पहुंचा सकती हैं तो यह अल्लाह पर भरोसा (तवक्कुल) के ख़िलाफ़ है । साधन और उपायों का करना भी ज़रूरी है । संसाधनों से काम लेने का हुक्म शरीअत ने दिया है । प्राकृतिक नियमों का पालन भी इसी प्रकार हो सकता है । लेकिन चूंकि सफल करना अल्लाह के अधिकार में हैं, इसलिए सिर्फ़ भौतिक संसाधन और उपाय कर लेना भी काफ़ी नहीं है । अत: अल्लाह पर हक़ीक़ी भरोसा करने वाला वह आदमी है जो मक़सद हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश को काम में लाए और तमाम उपायों से काम ले और यह यक़ीन रखे कि सफलता प्रदान करने वाला सिर्फ़ अल्लाह है । अल्लाह ही पर भरोसा करे और उसी से अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्ति की दुआ मांगे ।

कृतज्ञता

हक़ीक़ी शुक्रगुज़ारी यह है कि सभी प्रयासों और दुआ के बाद भी सफलता प्राप्त हो या न हो, बन्दा अपने रब के

फ़ैसले पर ख़ुश रहे–

"और जो कोई शुक्र करता है, उसका शुक्र उसी के लिए लाभप्रद है ।" (क़ुरआन, 27:40)

"अलबत्ता जो शुक्रगुज़ार (कृतज्ञ) बन्दे बनकर रहेंगे, उन्हें वह उसका बदला देगा ।" (क़ुरआन, 3:144)

शुक्र अस्ल में ईमान का फल है । इन्सानों में से भी अगर कोई आदमी आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है और आप उसका शुक्रिया अदा नहीं करते तो आप न सिर्फ़ कोताही कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ दुर्व्यवहार (बदसुलूकी) कर रहे हैं, हालांकि वह तो एक ज़रिया (साधन) है, हक़ीक़ी एहसान (उपकार) करने वाला तो अस्ल में अल्लाह है जिसने आपको सुनने और देखने की नेमत प्रदान की । स्वास्थ्य और शांति दी और दुनिया की तमाम चीज़ें आपके अधीन कर दीं । बल्कि इनके अलावा भी आपको इतनी और ऐसी-ऐसी नेमतें दीं जिनकी गणना और उन्हें परिधि में ले सकता संभव नहीं । अस्ल में इन्सान को किसी नेमत की क़दर और क़ीमत का अंदाज़ा उसके न रहने के बाद होता है । अगर दांत में दर्द हो रहा हो तो आदमी ख़याल करता है कि सबसे बड़ी नेमत यह है कि दर्द दूर हो जाए । फिर जब दर्द दूर हो जाता है तो यह नेमत उसे याद भी नहीं रहती । अगर किसी को किसी वक़्त एक रुपये की ज़रूरत पड़ जाए और वह उसे किसी तरह न मिले तब उसे दौलत की क़दर मालूम हो जाती है । लेकिन फिर जब वही शख़्स दौलतमंद हो जाता है तो उसे दौलत की अहमियत याद नहीं रहती । इसी प्रकार अगर बिजली का संपर्क टूट जाए और पूरा घर अंधेरे में डूब जाए उस वक़्त एहसास होता है कि रोशनी कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन फिर जब रोशनी लौट आती है तो उस नेमत की क़दर व क़ीमत का एहसास ख़त्म हो जाता है ।

अगर हम अल्लाह की असीम नेमतों की गणना नहीं कर सकते तो क्या उसका शुक्र भी अदा न करें ? नहीं ! उसका शुक्र अदा कीजिए । ज़बान से शुक्र इस प्रकार अदा कीजिए कि उसकी बड़ाई, तारीफ़ ज़बान पर हर वक़्त रहे और कहिए, "सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं" और 'ऐ मेरे रब ! सारी बड़ाई तेरे ही लिए है ।" "ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है" और "मेरे रब सब तारीफ़ें सिर्फ़ तेरे ही लिए हैं ।" और अपने अमल से इस प्रकार शुक्र अदा कीजिए कि जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं, उनमें से उन लोगों को हिस्सा दीजिए जो उन नेमतों से वंचित हैं । दौलतमंद का शुक्र यह है कि वह ग़रीबों की माल से मदद करे । ताक़तवर का शुक्र यह है कि कमज़ोरों की सहायता करे । अधिकार प्राप्त लोगों का शुक्र यह है कि हक़दारों को उनका हक़ दिलवाए और उनके साथ न्याय और इन्साफ़ करे । अगर आप ख़ुशहाल हैं, आपके दस्तरख़ान पर तरह-तरह के खाने सजे हैं, लेकिन आपका पड़ोसी भूखा रहं जाता है तो आप नाशुक्रे (कृतघ्न) हैं, चाहे आप ज़बान से हज़ारों बार "अल्लाह तेरा शुक्र है" कहें । अतः दिल से अपने नेमत देने वाले अल्लाह का शुक्र इस प्रकार अदा कीजिए, जैसा कि उसने बताया है और हमेशा उसी की रिज़ा (ख़ुशी) पर राज़ी रहिए । आपकी क़िस्मत में जो लिख दिया गया है उस पर संतुष्ट रहिए । आप न तो अपनी हालत पर कुढ़ें और न मौजूद नेमतों को कम समझें और न ही किसी दूसरे से (उस पर अल्लाह के इनामों की वजह से) हसद (ईर्ष्या) करें ।

जिस आदमी में शुक्रगुज़ारी की कैफ़ियत पैदा हो जाए और वह अल्लाह तआला की रिज़ा पर राज़ी रहते हुए–

1. दिल से उसका शुक्र अदा करे और दिल से उसकी नेमतों को याद रखे ।
2. अमल से शुक्र का इज़हार करे और महरूम (वंचित) लोगों की मदद करे, और
3. ज़बान से उसका शुक्र अदा करता रहे,

तो वह यक़ीनी तौर पर अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन्दा बन जाएगा ।

धैर्य

मुसलमानों के लिए दोहरी नेमतें हैं । अगर उसे कोई लाभ प्राप्त होता है और वह उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो उसे उसका अज्र और सवाब (प्रतिफल) मिलता है, और अगर उसे कोई नुक़्सान पहुंचता है और वह उस पर धीरज (सब्र) रखता है, तब भी उसे अज्र व सवाब मिलता है । इस्लामी दृष्टिकोण से किसी शुक्रगुज़ार मालदार के अज्र व सवाब की तुलना अगर की जा सकती है तो सिर्फ़ किसी ग़रीब धैर्यवान (साबिर) के अज्र व सवाब से की जा सकती है । बल्कि उस ग़रीब का अज्र मालदार से भी ज़्यादा है–

"और हम ज़रूर सब्र (धैर्य) से काम लेने वालों को उनका अज्र उनके अच्छे कामों के अनुसार देंगे ।"

(क़ुरआन, 16:96)

इस सांसारिक जीवन में सिर्फ़ ऐश और आराम ही नहीं, इसमें तकलीफ़ें और कष्ट भी हैं । बीमारी, ग़रीबी, प्रियजनों की जुदाई, दोस्तों की बेवफ़ाई और शांति से वंचित हो जाना, ये सब चीज़ें इस जीवन के स्वभाव के कभी न बदलने वाले और अपरिवर्तनीय तत्व हैं । किसी कवि ने कहा है–

अर्थात "कड़वाहट जीवन के स्वभाव का अभिन्न अंश है और तू चाहता है कि जीवन प्रत्येक कड़वाहट और मलिनता से पाक हो । ज़माने यानी ज़िन्दगी से उसके स्वभाव के ख़िलाफ़ मांग करने वाले की मिसाल उस आदमी जैसी है, जो पानी के अन्दर आग की चिंगारी तलाश करे ।"

क़ुरआन में अल्लाह का इरशाद है–"और हम ज़रूर तुम्हें भय, भूख, जान-माल और आमदनियों के घाटों में ग्रस्त करके तुम्हारी आज़माइश करेंगे । इन दशाओं में धैर्य से काम लेने वालों को शुभ-सूचना दे दो ।" (क़ुरआन, 2:155)

सब्र करने वालों को शुभ-सूचना इसलिए दी गयी है कि ये लोग वक़्त के साथ-साथ मुसीबतों को भूलकर कष्टों से नजाज पा जाते हैं और सवाब (प्रतिफल) पाते हैं । और जो धैर्य नहीं रखते, वे कष्टों और दुखों का बोझ उठाए फिरते हैं और उन्हें कुछ हासिल नहीं होता ।

मुसीबतें और तकलीफ़ें इस जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं, इनसे बचे रहना मुमकिन नहीं । अब दो ही उपाय हैं । या तो आप इनका इलाज सब्र से करें और सवाब पाएं या उन पर कुढ़ते और जलते रहें । यह दशा आपकी मुसीबत में अभिवृद्धि तो कर सकती है, आपकी तकलीफ़ की दवा नहीं बन सकती । यह तो है सब्र की पहली क़िस्म यानी मुसीबतों पर सब्र करना । सब्र की दूसरी क़िस्म यह है कि आप ख़ुद को गुनाहों से बचाकर रखें । एक नवजवान हर तरफ़ अश्लीलता और नग्नता देखता है । उसका मन उसे देखकर व्यभिचार की ओर खींचता है, ऐसी हालत में उस नवजवान का सब्र यह है कि वह ख़ुदा के ख़ौफ़ की वजह से आंखें मूंद लेता है । उसे अवैध स्वादों के तमाम रास्ते मालूम हैं लेकिन अपने आपको उस तरफ़ जाने से रोकता है । एक सरकारी मुलाज़िम को रिश्वत पेश की जाती है जो उसके छह महीने के वेतन के बराबर है । वह ज़रूरतमंद भी है इसके बावजूद उसकी तरफ़ हाथ नहीं बढ़ाता, यह उसका सब्र है ।

विद्यार्थी का सब्र यह है कि परीक्षा देते समय उसे मौक़ा मिलता है कि वह किताब से नक़ल करके चोरी का काम करे, और बावजूद इसके कि उसकी सफलता का दारोमदार उसी पर था, लेकिन वह चोरी यानी नक़ल नहीं करता । आदमी के मन को गुनाहों से मज़ा मिलता है । अब अगर कोई आदमी सामर्थ्य रखने के बावजूद उनसे रुका रहता है तो वह निश्चय ही धैर्यवान कहलाने का पात्र है ।

सब्र की तीसरी क़िस्म यह है कि ख़ुदा के आदेशों के पालन में जो दुख और कष्ट होता है, उसे बरदाश्त किया जाए । मिसाल के तौर पर सदा के मौसम में फ़ज्र (सुबह की नमाज़) के वक़्त मज़ेदार नींद और गर्म बिस्तर का आराम छोड़कर नमाज़ के लिए उठना या आग बरसाते गर्म मौसम में रमज़ान के महीने में भूख-प्यास बरदाश्त करना या अपने मन को जो, माल और दौलत से मुहब्बत करता है, ज़कात या सदक़ा (दान) देने, यानी ग़रीबों पर माल ख़र्च करने पर तैयार करना आदि ।

इसी प्रकार वर्तमान उपद्रव एवं फ़ितने से भरे दौर में, जबकि दीन (धर्म) उसी प्रकार दुर्लभ हो गया है जिस प्रकार अपने प्रारंभिक काल में था, धर्म पर क़ायम और जमे रहना भी सब्र है । आज के ज़माने में दीन पर क़ायम रहना उतना ही कठिन है जितना आग के अंगारों पर खड़ा होना । लोग दीनदार (धर्मपरायण) लोगों की हंसी उड़ाते हैं और वक़्त के हाकिम व शासनाधिकारी उनके पीछे पड़े रहते हैं । उन्हें तरह-तरह से सताया जाता है । जो व्यक्ति ये सब तकलीफ़ें अल्लाह की ख़ातिर और सवाब की ग़रज से बरदाश्त करता है, उसके ऊपर क़ुरआन की ये पवित्र आयतें चरितार्थ होती हैं–

"जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं ।" (क़ुरआन, 29:59)

"ये वे लोग हैं जिन्हें उनका प्रतिदान दो बार दिया जाएगा, उस साबित-क़दमी के बदले जो उन्होंने दिखायी ।"

(क़ुरआन, 28:54)

''यह सद्गुण प्राप्त नहीं होता मगर उन लोगों को जो सब्र करते हैं, और यह मक़ाम हासिल नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े नसीब वाले हैं ।'' (क़ुरआन, 41:35)

शरीअत के आदेशों का पालन करना

यह बात हम पहले बता चुके हैं कि ईमान दिल का छुपा हुआ अमल है जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता । इन्सान तो सिर्फ़ बाहरी दशा ही देख सकता है । इसलिए हमने मोमिन और ग़ैर-मोमिन में फ़र्क़ और अन्तर की कसौटी आदमी के ज़ाहिरी आमाल और कर्मों को निश्चित किया है । यानी इस्लाम ईमान का द्योतक है । इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है 'फ़रमांबरदारी' (आज्ञापालन)।

बेटा बाप की फ़रमांबरदारी उस भरोसे की वजह से करता है जो उसे बाप पर है । इसी तरह पराजित व्यक्ति विजयी की आज्ञा का पालन डर की वजह से करता है । लेकिन एक मुसलमान अपने पालनहार के आदेशों का पालन बिल्कुल किसी ग़रज़ या मतलब के बग़ैर ही करता है । उसका हर हुक्म मानता है, चाहे उसका फ़ायदा और हिकमत उसकी समझ में न आए और हर उस काम से दूर रहता है जिससे मना कर दिया गया हो, चाहे मना करने की वजह उसे मालूम न हो सके ।

यह आज्ञापालन जो मुसलमान अपने रब का करता है, उसके दो पहलू हैं । एक अमली (व्यावहारिक) पहलू जिसका सूचक ज़बानी इक़रार और व्यावहारिक आज्ञापालन है । इसकी चर्चा अल्लाह ने चाहा तो इस किताब के उस भाग में की जाएगी जो इस्लाम के स्पष्टीकरण के लिए ख़ास है, और दूसरा पहलू क़ल्बी यानी अंदरूनी है और इस वक़्त हम इसी पहलू से बात करेंगे, यानी इस वक़्त हम ईमान के बारे में वार्ता कर रहे हैं ।

ईमान से मुराद यह है कि शरीअत के आदेशों पर दिल पूरी तरह रज़ामन्द हो और नफ़्स को मुकम्मल इत्मीनान प्राप्त हो । साथ ही फ़र्ज़ों को अदा करना और हराम कामों को तर्क करना स्वेच्छा से हो, यानी आज्ञापालन के कारण दिल में न क्लेश पैदा हो और न खिन्नता । अल्लाह तआला का इरशाद है कि–

''(ऐ मुहम्मद !) तुम्हारे रब की क़सम, ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने आपसी मतभेदों में तुमको न्याय करने वाला न मान लें ।'' (क़ुरआन, 4:65)

यह तो अमली पहलू है । और,

''फिर जो कुछ तुम फ़ैसला करो उस पर अपने दिल में कोई तंगी न पाएं, बल्कि दिल से स्वीकार कर लें ।'' (क़ुरआन, 4:65)

यह उसका क़ल्बी यानी अंदरूनी पहलू है । मानो जब तक पैग़म्बर (सल्ल॰) के आदेशों को दिल से सही न मान ले और पूरी तरह राज़ी और संतुष्ट न हो, सिर्फ़ आदेशों पर अमल कर लेना मोमिन होने के लिए काफ़ी नहीं है–

''ईमान लाने वालों का काम तो यह है कि जब वह अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ बुलाए जाएं ताकि रसूल उनके मुक़दमों का फ़ैसला करे तो कहें कि हमने सुना और आज्ञापालन किया । ऐसे ही लोग सफलता पाने वाले हैं ।'' (क़ुरआन, 24:51)

कुछ लोग हमेशा इस्लामी शरीअत के हर आदेश या निषेध के बारे में यह पूछते हैं कि उसकी हिकमत (तत्वदर्शिता) क्या है ? मानो वे कोई हुक्म उस वक़्त तक स्वीकार नहीं करना चाहते जब तक उन्हें उसकी हिकमत या फ़ायदा मालूम न हो जाए । वैसे यह सत्य है कि इस्लामी क़ानून के हर हुक्म में हिकमत मौजूद है जो कभी तो हमें क़ुरआन और हदीस से मालूम हो जाती है और कभी चिंतन-मनन एवं विश्लेषण से स्पष्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम उनकी हक़ीक़ी हिकमत (मूल निहित हित) को न समझ सकें । तो क्या इस आधार पर कि हम उसकी हिकमत तक नहीं पहुंच सके, हम अपने रब का हुक्म मानने से इन्कार कर देंगे ?

ज़रा कल्पना कीजिए कि आप अपने बेटे को हुक्म देते हैं, लेकिन वह कहता है कि जब तक उसका मक़सद और फ़ायदा मालूम न हो जाए मैं न मानूंगा । हालांकि हो सकता है मौक़ा ऐसा हो कि विस्तार से बातचीत की गुंजाइश ही न हो या कोई ऐसा राज़ हो जिसे बयान करना मस्लहत (हित) के ख़िलाफ़ हो, तो क्या आप उस बेटे को नाफ़रमान न ख़याल करेंगे, और क्या आपकी यह इच्छा न होगी कि वह हर सूरत में आपका हुक्म माने, इसलिए कि वह आपका बेटा है और आप उसके बाप हैं ।

अल्लाह के जो हुक़ूक़ (अधिकार) बन्दों पर हैं उन्हें

इस हक़ पर अनुमान नहीं किया जा सकता जो बाप को बेटे पर हासिल है । अल्लाह का एक हक़ यह है कि उसके आदेशों का पालन हरहाल में करें चाहे हमें पसन्द हों, चाहें न हों, यह जाइज़ नहीं कि टाल-मटोल के लिए बहाने ढूंढ़ें या अपने ग़लत कामों के लिए फ़िक़्ह की किताबों से ऐसी बातें तलाश करें जिससे हमारी इच्छाएं पूरी हो सकें । न यह जाइज़ है कि ग़ैरों की तहज़ीब और रस्म व रिवाज में से जो बातें हमने ले ली हैं, उन्हें सही साबित करने के लिए इस्लामी नियमों की ग़लत व्याख्या करें और इस कोशिश में सीधे रास्ते से भटक जाएं ताकि हम यह कह सकें कि हमारा धर्म इन रस्मों और रिवाजों के प्रतिकूल नहीं है । फिर जब सामूहिक रिवाज बदल जाए या ग़ैरों की तहज़ीब का स्रोत पश्चिम से पूर्व की तरफ़ स्थानांतरित हो जाए तो हम अपनी तर्कशैली भी बदल दें और नयी व्याख्या शुरू कर दें ।

इनमें से कोई तरीक़ा भी ठीक नहीं है, बल्कि इस इस्लामी क़ानून से हुक्म हासिल करना और उस पर अमल करना, फिर उस हुक्म पर हरहाल में प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही उस मोमिन की शान है जो इस सच्चे दीन की सच्चाई पर ईमान रखता है ।

गुनाहों से तौबा और माफ़ी

अल्लाह ने मानव स्वभाव में दुनिया की मुहब्बत डाल दी है । इसीलिए इन्सान हर वक़्त आरज़ुओं का ताना-बाना बुनता रहता है । माल व दौलत और औरतों से मिलन उसे बहुत पसन्द है । गुस्से और बदले की भावना उसकी घुट्टी में है । फिर उस पर शैतान मुसल्लत है जो हर वक़्त उसे बदकारी और अश्लीलता के सब्ज़ बाग़ दिखाता रहता है और गुनाह के काम उसके सामने ख़ूबसूरत बनाकर पेश करता है । इसके अलावा उसके अन्दर गुनाहों की ओर खींचने वाला मन मौजूद है जिसे सिर्फ़ बुरे और हराम कामों की चाह और इच्छा रहती है, और इन कामों में शैतान उसकी मदद करता है । इन सब बातों का नतीजा यह निकलता है कि इन्सान बड़ी आसानी से अल्लाह की नाफ़रमानी और गुनाह कर गुज़रता है ।

इन हालात में अगर किसी से गुनाह हो जाए तो नाफ़रमानी (अवज्ञा) की सज़ा और गुनाहों के नतीजों से बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए ?

अल्लाह ने अपनी असीम कृपा से गुनाहगार लोगों के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है । अल्लाह अपने बन्दों से फ़रमाता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं और तुम ऐसे हो सकते हो गोया तुमने गुनाह किया ही न था । बल्कि इसकी भी उम्मीद है कि गुनाहों के बदले तुम्हारे कर्म पत्र (आमालनामे) में नेकियां दर्ज कर दी जाएं, उसी प्रकार जैसे किसी व्यापारी ने अपने खाते में आपके नाम रक़म डाल रखी हो लेकिन फिर वह न सिर्फ़ यह कि यह रक़म आपके नाम से काट दे और खाता साफ़ कर दे, बल्कि इतनी ही रक़म आपकी तरफ़ से अपने खाते में जमा कर ले । अल्लाह तआला का इरशाद है–

"मगर यह कि कोई (गुनाहों के बाद) तौबा कर चुका हो और ईमान लाकर नेक अमल करने लगा हो, ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा, और वह बड़ा क्षमाशील और रहम करने वाला है ।"

(क़ुरआन, 25:70)

तौबा का दरवाज़ा उस वक़्त तक खुला है, जब तक आदमी तन्दुरुस्त और ठीक-ठाक है । इस दशा में अगर सच्ची तौबा कर लेता है तो उसकी तौबा स्वीकार कर ली जाती है । यह दरवाज़ा सिर्फ़ मौत के वक़्त बन्द होता है । जब जान निकलने के क़रीब होती है और इन्सान हक़ीक़त का सामना कर रहा होता है और अपनी आंखों से उन बातों को देख रहा होता है जिनकी ख़बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने दी थी, तो ऐसे वक़्त में तौबा करने से कुछ हासिल नहीं होता है । इसलिए कि तौबा अस्ल में नाम है–"अपने इरादे और अधिकार से अल्लाह की नाफ़रमानी (अवज्ञा) छोड़कर आज्ञापालन की ओर लौटने का ।"

और उस वक़्त यानी जान निकलते वक़्त तो उसे जबरन लौटाया गया है । इसलिए यह तौबा और इक़रार उसे फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता क्योंकि अब तो उसका अधिकार ही छिन चुका है । अल्लाह का इरशाद है–

"हां, यह जान लो कि अल्लाह पर तौबा की क़बूलियत (स्वीकृति) का हक़ उन्हीं लोगों के लिए है जो नादानी की वजह से कोई बुरा काम कर बैठते हैं और उसके बाद जल्द ही तौबा कर लेते हैं । ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी कृपादृष्टि से फिर ध्यान देता है, और अल्लाह सारी बातों की

ख़बर रखने वाला और गहरी समझ रखने वाला पूरा जानकार है। मगर तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम किये चले जाते हैं, यहां तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक़्त आ जाता है उस वक़्त वह कहता है कि अब मैंने तौबा की। इसी प्रकार तौबा उनके लिए भी नहीं है जो मरते दम तक अधर्मी रहें। ऐसे लोगों के लिए तो हमने दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है।" (क़ुरआन, 4:17,18)

तौबा की पहली शर्त यह है कि तौबा करने वाला हर बुरे काम से अलग हो जाए। ग़ौर कीजिए, आप रास्ते में चले जा रहे हैं। एक आदमी खिड़की खोलकर आप पर गन्दा पानी फेंक देता है। आप उसे बुरा-भला कहते हैं। वह आप से माफ़ी भी मांगता है लेकिन साथ ही गन्दा पानी बराबर डालता जाता है। क्या आप उसके माफ़ी मांगने को क़बूल कर लेंगे ?

तौबा आत्मा भी रखती है और शरीर भी। तौबा की आत्मा गुनाह के बुरा होने का एहसास पैदा करना है और शरीर गुनाहों से दूर रहना है। इस बात को इस उदाहरण से समझिए कि एक आदमी एक रास्ते पर चला जा रहा है। उसे एक शिलालेख नज़र आता है। उसे पढ़कर वह जान लेता है कि यह रास्ता वह नहीं है जिस पर उसे जाना है। यानी उसे एहसास हो जाता है कि वह ग़लत रास्ते पर चल रहा है। अस्ल में यह महसूस कर लेना ही बुनियादी बात है। इसलिए कि अगर ग़लती का एहसास ही न हो तो सही रास्ता मिल ही नहीं सकता। लेकिन जान लेने के बावजूद अगर व्यक्ति उस पर अमल न करे और ग़लत रास्ते ही पर चलता रहे तो उसका वह जान लेना उसे कोई फ़ायदा नहीं देगा। उसका यह तरीक़ा अपनाना न सिर्फ़ बहुत बड़ा गुनाह होगा बल्कि परिणाम के लिहाज़ से भी बहुत ही ख़तरनाक होगा। इसलिए कि जो आदमी जानता ही नहीं कि वह ग़लत राह पर चल रहा है उसे तो फिर भी किसी हद तक मजबूर ठहराया जा सकता है, लेकिन जो जानता है और जानने के बावजूद ग़लत राह पर चल रहा है उसके पास तो कोई बहाना भी नहीं।

तौबा की दूसरी शर्त यह है कि जो बुराइयां और गुनाह वह कर चुका है उनके बदले नेकियां करे और जो ग़लतियां कर चुका है उनका सुधार करे यानी अपना चरित्र बदलकर

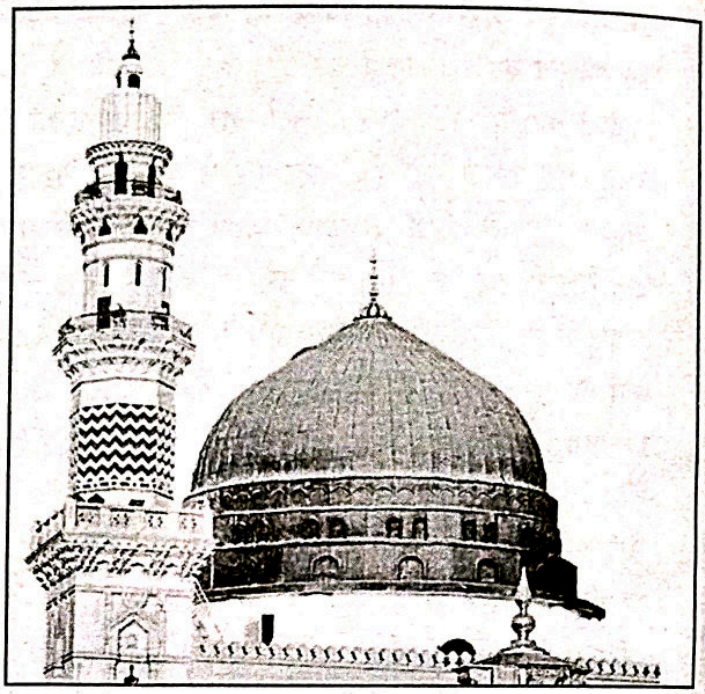

और सही राह अपनाकर अपनी तौबा को पूरा-पूरा और वास्तविक रंग दे। अल्लाह का इरशाद है–

"तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमो-करम का तरीक़ा लाज़िम कर लिया है। यह उसका रहमो-करम ही है कि अगर तुममें से कोई नादानी के साथ किसी बुराई का जुर्म कर बैठा हो फिर उसके बाद तौबा कर ले और अपना सुधार कर ले तो वह उसे माफ़ कर देता है और नर्मी से काम लेता है।" (क़ुरआन, 6:54)

"...अलबत्ता वे लोग इससे बच जाएंगे जो तौबा करके अपनी नीति में सुधार कर लें। अल्लाह क्षमाशील और दया करने वाला है।" (क़ुरआन, 3:89)

"...अलबत्ता जो इस रवैये को छोड़ दें और अपनी नीति में सुधार कर लें और जो कुछ (सत्य) छुपाते थे उसे बयान करने लगें उनको मैं माफ़ कर दूंगा।" (क़ुरआन, 2:160)

और सुधार यह है कि आप हक़ीक़त में गुनाह करना छोड़ दें और आपका दोबारा गुनाह न करने का संकल्प सच्चा संकल्प हो। अब अगर आपने पक्का इरादा और सच्चा संकल्प कर लिया, इसके बाद फिर किसी वक़्त मन प्रभावी हो गया या हालात ने मजबूर कर दिया और आप कोई गुनाह कर बैठे और फिर आपने तौबा की तो दोबारा आपकी तौबा क़बूल हो जाएगी। शर्त यह है कि आपके बुनियादी संकल्प में विचलन न पैदा होने पाए और अपने दिल में यह न कहने लगें कि जब इच्छाओं से मजबूर होऊंगा, गुनाह कर लूंगा और

बाद में तौबा कर लिया करूंगा । स्पष्ट है कि ऐसी तौबा सच्ची तौबा न होगी और न स्वीकार की जाएगी ।

यह नियम तो उस तौबा का है जो अल्लाह के अधिकारों के बारे में की जाए । इसमें यह काफ़ी है कि आप अपने पिछले गुनाहों पर शर्मिन्दा होकर गुनाह के कर्म करने से रुक जाएं और आइन्दा (भविष्य में) गुनाह न करने का सच्चा और पक्का संकल्प कर लें । लेकिन इन्सानों के अधिकारों का मामला इससे भिन्न है । अगर आपने किसी पर जुल्म किया है या किसी का माल खा लिया है या किसी को शारीरिक कष्ट दिया है या किसी की तौहीन की है या किसी के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दी है या ग़ीबत की है या चुग़ली खाई है या बदनाम किया है, तो इन सब कामों या इनसे मिलती-जुलती सूरतों में ज़रूरी है कि हक़दार को उसका हक़ अदा किया जाए या फिर वह खुद ही अपने हक़ को छोड़ दे और आपको माफ़ कर दे या अल्लाह तआला आप पर यह कृपा कर दे कि उसे आपसे राज़ी कर दे, वरना आपकी तौबा क़बूल न होगी और क़ियामत के दिन मज़लूम को आपकी नेकियां दे दी जाएंगी या उसके गुनाह आपके खाते में डाल दिए जाएंगे ।

गुनाह कितने ही ज़्यादा क्यों न हों, तौबा का दरवाज़ा बन्द नहीं होता । इसलिए किसी को अल्लाह तआला की रहमत से मायूस न होना चाहिए । अल्लाह की रहमत (कृपा) और क्षमा से मायूसी सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है । अल्लाह का फ़रमान है–"(ऐ नबी) कह दो कि ऐ मेरे (अल्लाह के) बन्दो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है! अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाओ, यक़ीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है ।"(कुरआन, 39:53)

गोया तौबा नाम है बुराइयों को छोड़कर नेकी की तरफ़ लौटने का और क्षमा-याचना से मुराद है । अल्लाह से मग़फ़िरत हासिल करना । क्षमा-याचना का हुक्म खुद इस्लामी विधान ने दिया है और इसकी बहुत प्रेरणा दी गयी है । अल्लाह का इरशाद है–

"वही है जिसने तुमको धरती से पैदा किया है और यहां तुमको बसाया है, अत: तुम उससे माफ़ी चाहो और उसकी तरफ़ पलट आओ ।" (कुरआन, 11:61)

"देखो ! अपने रब से क्षमा-याचना करो और उसकी तरफ़ पलट आओ, बेशक मेरा रब रहम करने वाला है और अपनी सृष्टि से प्रेम करता है ।" (कुरआन, 11:90)

"और ऐ मेरी क़ौम के लोगो ! अपने पालनहार से क्षमा चाहो फिर उसकी तरफ़ पलटो ।" (कुरआन, 11:52)

इस प्रकार के उपदेश विभिन्न नबियों की ज़बानी कुरआन मजीद में बयान किये गये हैं जिसमें हर नबी अपनी क़ौम को नसीहत करता है और उन्हें अपने रब से माफ़ी मांगने और उसके अज़ाब से निजात पाने का तरीक़ा सिखाता है ।

तौबा करने वाले की तौबा अल्लाह अपने करम और एहसान से क़बूल फ़रमा लेता है । यह तो उनके बारे में है जो गुनाह कर लेने के बाद तौबा करते हैं । इसके विपरीत वे लोग जो गुनाह का इरादा करने और गुनाह करने से पहले होश में आ जाते हैं और खुदा के भय की वजह से उस गुनाह की अति प्रबल इच्छा होने के बावजूद उससे रुककर तौबा कर लेते हैं, उनका अज्र व सवाब (प्रतिफल) बहुत ज़्यादा है । मिसाल के तौर पर एक आदमी शैतान के धोखे में आकर व्यभिचार पर आमादा हो जाता है और फिर जब उसके तमाम साधन उपलब्ध होते हैं या उस पर अमल करने के क़रीब होता है, उसे अल्लाह याद आ जाता है और वह ऐसी हालत में व्यभिचार से रुक जाता है जबकि उस पर कामभावना पूरी तरह सवार है और दिल में इच्छा मौजूद है, मगर ऐसे लोग कम ही होते हैं ।

अल्लाह के उन ख़ास बन्दों के सिवा, जिन्हें उसने अपनी कृपा से इसकी तौफ़ीक़ प्रदान की हो, दूसरों के लिए यह अमल बहुत कठिन है । इसलिए किसी को इस क़िस्म का तजुर्बा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए । बुराई से सुरक्षित रहने की सूरत यही है कि उससे दूर रहा जाए, उसके तमाम रास्ते बन्द कर दिए जाएं और ऐसे लोगों से अलग रहा जाए जो ग़लत कामों में रुचि रखते हैं या उन्हें करने की प्रेरणा देते हैं । अरबी की एक कहावत है "दोस्त और साथी अपने साथ घसीटने वाला होता है" और इन्सान अपने दोस्त का मज़हब (धर्म) अपना लेता है । एक प्राचीन कहावत है कि "आप मुझे सिर्फ़ इतना बता दें कि आपके दोस्त और साथी कौन लोग हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या हैं ।" अत: नवजवानों को सतर्क और होशियार रहना चाहिए और हर वक़्त अल्लाह तआला से मदद और सहायता की दुआ करनी चाहिए ।

Since 1980

action

Campus
Jiyo Zindagi Yaaron

RED CHIEF

मारूफ़ शू पैलेस

G.E. Road, Charoda, Distt.-Durg (C.G.), Ph. : 9906033786, 08959791786

आपके शहर में अतुल का भव्य शो-रूम

ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा माईलेज, ज़्यादा ताक़त, ज़्यादा मुनाफ़ा

मारूफ़ मोटर्स के अधिकृत विक्रेता

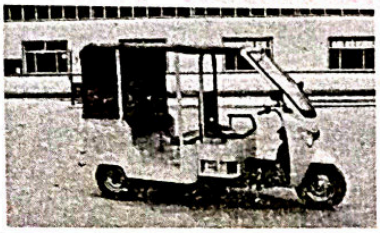

ATUL

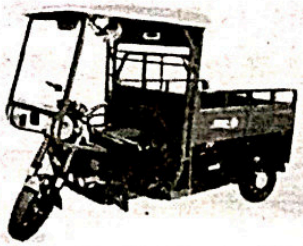

मेन ब्रांच : पंचशील नगर (पश्चिम), रेल नगर के सामने जी॰ई॰ रोड, चरोदा-भिलाई, मोबा॰ : 0788-6544786

ईंधन
जो बनाए ज़िन्दगी

go gas™

अधिकृत विक्रेता

मारूफ़ गैस

तत्काल गैस कनेक्शन उपलब्ध

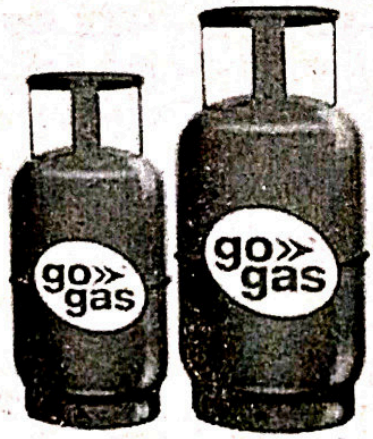

वाजिब दरों तत्काल गैस कनेक्शन उपलब्ध घरेलू-व्यावसायिक एवं औद्योगिक

मेन ब्रांच : पंचशील नगर (पश्चिम),
रेल नगर के सामने जी॰ई॰ रोड, चरोदा-भिलाई,
मोबाइल : 0788-6998786, 9406092786, 9691492786

पैरों के गोखरू और उसका इलाज

■ डॉ॰ राजन टी॰ डी॰

आपको गोखरू (कॉर्न) ने कितनी बार परेशान किया है ? पांव के तलुवे पर उभरी मांस की यह गांठ हालांकि बहुत छोटी लगती है, मगर इससे पैदा होने वाला दर्द बहुत तीखा होता है ।

गोखरू और ठेटें (केलस) के उभरने का सबसे सरल कारण या व्याख्या यह दी जा सकती है कि यह इन्सान के ठीक तरह से खड़ा न होने के कारण होता है । आपके दो पांव हैं और आपके प्रत्येक पांव पर कितना वज़न या दबाव पड़ता है, इस पर भी ज़रा ध्यान दीजिए । जिस व्यक्ति का वज़न 60 किलोग्राम है, उसके प्रत्येक पांव पर 30-30 किलोग्राम वज़न का दबाव आता है । यह दबाव या वज़न पांव के दाब क्षेत्र में समान मात्रा में बंट जाता है ।

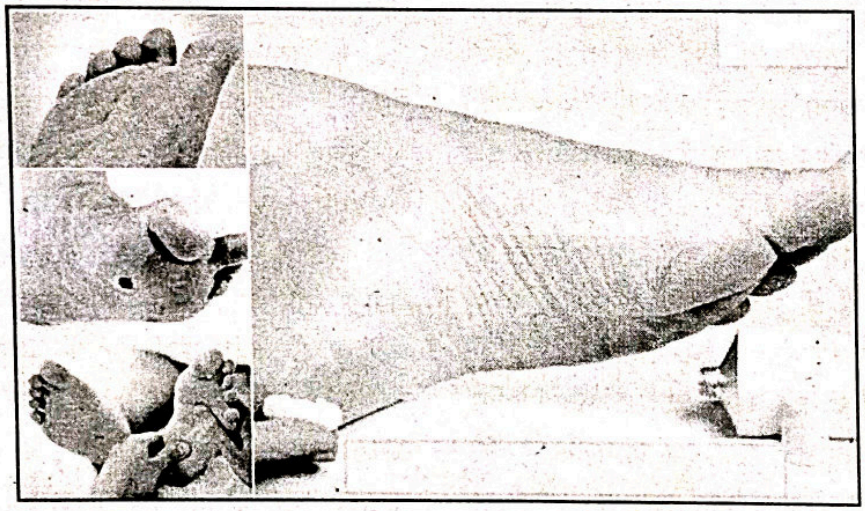

यदि किसी कारणवश पांव की सतह (तलवा) ऊबड़ खाबड़ हो जाता है तो ज़मीन छू रहे भागों पर दबाव की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है ।

हमारी त्वचा खारिश (अस्वाभाविक छेड़छाड़) और अत्यधिक दबाव का जवाब बहुत ही अनोखे ढंग से देती है । एक ही जगह पर बार-बार रगड़ लगने (घर्षण होने) से उस जगह की त्वचा मोटी होती चली जाती है । जैसे-जैसे रगड़ लगना जारी रहता है । वहां त्वचा का प्रोटीन-कैरोटिन, जमा होता रहता है । जब त्वचा की अतिरिक्त परतें आसपास फैलने लगती है तो उसे कैलस या कैलसिटी (गांठ या गांठ पड़ना) कहते हैं । जब त्वचा की परतों का यह जमाव छोटे से क्षेत्र में सीमित रहता है (कुछ मिलीमीटर व्यास तक) तो उसे गोखरू (कॉर्न) कहते हैं ।

दर्द

● गोखरू आमतौर पर त्वचा पर उभरे एक बिन्दु से शुरू होता है । जैसे-जैसे इस पर ज़्यादा त्वचा ऊतक जमा होते जाते हैं, वैसे-वैसे वह बिन्दु मांस में अन्दर धंसता जाता है, इसलिए समय बीतने के साथ-साथ गोखरू भी चौड़ा होता जाता है । कुछ सप्ताहों या महीनों में यह मक्का के दाने का आकार ले लेता है, जिसका शिखर या सिरा पांव के भीतर गहराई में दबा होता है । उसकी सतह सपाट मगर मोटी होती है ।

● यदि गोखरू दबाव वाले भाग में निकला है तो वहां चलते समय रोगी को बहुत दर्द होता है और रोगी को चलने-फिरने में तकलीफ़ होती है । दूसरे हाथ पर निंकली गांठ कम दर्द करती है क्यों यह सपाट होती है ।

ख़ानदानी दोष

● कुछ लोगों के हाथों-पांवों में गांठें और गोखरू जल्दी-जल्दी निकलते रहते हैं । ढीले और पांव में सही आने वाले जूते पहनने के बाद भी सह समस्या बार-बार उठती है । कुछ लोगों के हाथों-पांवों में कई गांठे-गोखरू निकलते हैं जो बहुत दर्द करते हैं । ये बहुत ज़्यादा नहीं होते और छोटे-मोटे ख़ानदानी दोष के कारण भी ये हो जाते हैं ।

जटिलताएं

● ये गांठें और गोखरू अपने आप नुक़्सानदायक नहीं होते । फिर भी, इनकी वजह से चलना, खड़ा रहना तथा पांवों की मदद से होने वाला हर काम मुश्किल हो जाता है । बहुत ही कम मामलों में बैक्टीरिया इन गांठों में घुसकर इन्फैक्शन पैदा कर पाते हैं । इनकी वजह से गांठों-गोखरूओं

में पस पड़ जाती है और रोगी को तेज़ दर्द और बुख़ार हो जाता है ।

इलाज

● गांठों और गोखरूओं के इलाज में दो अवस्थाएं होती हैं । पहली अवस्था में दूषित गांठ को निकालना और दूसरी अवस्था में दुबारा गांठ या गोखरू न बनने देना ।

● गांठ के रूप में उभरी हुई त्वचा को किसी धारदार ब्लेड से धीरे-धीरे खुरचा जा सकता है । पांव को पानी में कुछ देर तक भिगोए रखने से यह काम आसान हो जाता है ।

● गांठ को उस समय तक खुरचा जाना चाहिए, जब तक नीचे से सामान्य त्वचा न निकल आए । गोखरू को बहुत संभाल कर खुरचना होता है क्योंकि यह उल्टे शंकु (कोन) की,शक्ल का होता है । जैसे-जैसे खुरचने का काम बढ़ता जाता है, नीचे की सतह ऊपर वाली से छोटी होती चली जाती हैं और इसके अंत में एक बिन्दु जैसा रह जाता है ।

● यह काम किसी डॉक्टर या इस काम में सिद्धहस्त किसी व्यक्ति से ही करवाना चाहिए और यह किसी छोटे से क्लीनिक में भी किया जा सकता है । बहुत धीरे-धीरे और ध्यान से गोखरू निकालना, डॉक्टर और मरीज़, दोनों के लिए एक आनन्ददायक अनुभव होता है । रोगी डॉक्टर को उस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए धन्यवाद देता है जिसने उसे अनेक सप्ताहों से परेशान कर रखा था ।

● कभी-कभी गोखरू को बहुत गहराई तक जाकर काटने की भी ज़रूरत पड़ती है । मगर यह काम किसी ऐसे ऑपरेशन थियेटर में किया जाता है जहां सामान्य खुरचने से न निकल पाने वाले गोखरू का इलाज किया जाता है ।

खुरचे बिना इलाज

● बिना ऑपरेशन के गोखरू का इलाज सेलिसिलिक एसिड नामक मरहम लगाकर किया जाता है । सेलिसिक एसिड ऊपरी त्वचा को धीरे-धीरे छिलके की तरह उतार देता है और गांठ पतली होती चली जाती है ।

कॉर्न कैप कैसे लगाएं ?

● कॉर्न कैप चिपकने वाली बैंडेज या पट्टी होती है जिसमें एक गोल छल्ला होता है जो गोखरू के आसपास फिट हो जाता है । छल्ले के बीच में 40 प्रतिशत गाढ़ा सेलिसिलिक एसिड होता है जो गोखरू को घोलता या गलाता है । यह बैंडेज 2-3 दिन लगाए रखने से गोखरू बहुत ही मुलायम हो जाता है । मोम की तरह मुलायम हो गयी इस गांठ को, कान के मोम की तरह, उभारकर निकाला जा सकता है ।

● कुछ रोगियों का गोखरू इतनी आसानी से नहीं निकलता, इसलिए उस गांठ को दोबारा निकालने की कोशिश करने से पहले उस गोखरू पर एक और कॉर्न कैप लगानी चाहिए और उसे कुछ दिन तक यूं ही लगे रहने देना चाहिए ।

कॉर्न कैप्स से सावधान रहें

● कॉर्न कैप्स में गोखरू को नरम के लिए सेलिसिलिक एसिड होता है । मगर ऐसा भी हो सकता है कि वह एसिड गोखरू के आसपास की त्वचा को भी नुक़्सान पहुंचाए । इसलिए बैंडेज लगाने से पहले गोखरू के आसपास रूई लगा देनी चाहिए । इस प्रकार सामान्य त्वचा पर एसिड का असर नहीं होगा ।

गोखरू/गांठ न पड़ने देना

● जैसा कि बताया जा चुका है कि बार-बार रगड़ लगने से गोखरू और गांठें पड़ जाती हैं इसलिए ऐसी किसी भी वजह को, जिससे रगड़ लगती हो या किसी विशेष बिन्दु पर ज़्यादा दबाव पड़े, दूर कर देना चाहिए ।

● पांव में सही जूता-चप्पल तरीक़े से पहने । नरम और सपाट सतह वाले चप्पल जूते ख़रीदें ।

● कुछ जूते पंजों पर तो आरामदायक लगते हैं, मगर जब उन्हें अस्ल में पहना जाता है तो वे कुछ जगहों पर ऊबड़-खाबड़ लगते हैं । यदि पांव का पंजा जूते के अगले भाग में दबता है तो पांव के अंगूठों या सबसे छोटी उंगुली पर गांठ बन सकती है । कुछ के पंजों के बीच वाले भाग में गोखरू बन जाता है ।

हड्डियों का विकार

● जिन रोगियों को चलते समय कठिनाई आती है या किसी शारीरिक विकलांगता अथवा हड्डियों में विकृति के कारण ठीक से चल या खड़े नहीं हो पाते उन्हें बैसाखी या जयपुर जूता जैसे कृत्रिक अंग सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने चाहिए । अपनी मुद्राओं या चाल-ढाल में आवश्यक सुधार करके वे गोखरूओं या गांठों को न्यूनतम कर सकते हैं ।

● एड़ी की हड्डी में कांटे जैसी बढ़वार हो सकती है जो बार-बार गांठ या गोखरू पैदा कर सकती है । फालतू

बढ़ आयी या निकल आयी हड्डी को घिर कर दूर करने के लिए छोटा-सा ऑपरेशन करना पड़ सकता है । उस जगह पर रगड़ कम करने के लिए बढ़ आयी हड्डी के आसपास कभी-कभी इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं ।

गोखरू बनाम गांठ

● अक्सर ऐसा होता है कि रोगी सोचता है, उसके पांव में गोखरू बन गया है जबकि वहां गांठ (वार्ट) बन गया होता है । गांठ त्वचा का वायरस इन्फैक्शन होता है । इसके अंतर्गत त्वचा का रोगी भाग खुरदुरा और उठा हुआ हो जाता है । इन्सान के हाथों और शेष शरीर के विपरीत उसके पांव ज़मीन और उसके कुल वज़न के बीच दबते हैं । इसके परिणामस्वरूप पांव के वार्ट्स अन्दर की ओर धंसते जाते हैं ।

इस ऊबड़-खाबड़पन की वजह से त्वचा के दोषी भाग पर त्वचा प्रोटीन और केराटिन इकट्ठा होने लगता है । कुछ सप्ताहों के बाद वहां कड़े मांस की गांठ बनने लगती है जिसमें और गोखरू में सामान्य इन्सान अन्तर नहीं कर पाता ।

● फिर भी, इन दोनों में आसानी से अन्तर किया जा सकता है । उस गांठ को साधारण रूप से चुटकी में दबाइए और देखिए कि उसमें दर्द होता है या नहीं । गोखरू में दर्द नहीं होता जबकि वार्ट दर्द करता है । दूसरी ओर, गोखरू पर दबाव पड़ने से बहुत तेज़ दर्द होता है । गोखरू को चुटकी में दबाने से दर्द नहीं होता जबकि चुटकी में दबाने पर वार्ट दर्द करता है । गोखरू पर सीधा दबाव पड़ने से दर्द होता है ।

● पांव में निकले वार्ट का इलाज गोखरू के इलाज से कुछ अलग होता है । खुरचने में उभर कर ऊपर तो आ जाएगा मगर पूरी तरह से दूर नहीं होगा । वायरल बढ़वार को पूरी तरह नष्ट करने के लिए विशेष वार्ट लोशन 3-4 सप्ताह तक लगाना पड़ता है । आजकल "क्रायो थेरापी" जैसी नयी-नयी तकनीकें भी आ गयी हैं जिनमें विशेष उपकरणों के इस्तेमाल से वार्टों को नकारा कर दिया जाता है ।

मूल कारण का इलाज कीजिए

● जिन लोगों के पांवों में बार-बार गोखरू बनते जाते हैं, वे त्वचा रोग विशेषज्ञों (स्किन स्पेश्यलिस्टों) से सलाह लेते हैं । इसका कारण स्वयं रोगी के पास होता है । अक्सर गोखरू निकल जाने के बाद रोगी खुशी-खुशी घर लौटता है और पाता है कि कुछ सप्ताहों के बाद एक और गोखरू उसी जगह पैदा हो गया ।

● गोखरू निकल जाने के बाद रोगी डॉक्टर की वह हिदायत भूल जाता है जिसके अंतर्गत डॉक्टर ने रोगी से अपना जूता बदलने या भीतर मुलायम सोल (पतावा) इस्तेमाल करने की सलाह दी थी । वह उस कष्टदायक सैंडल या जूते को तब तक पहनता रहता है, जब तक उसे दूसरा गोखरू निकलवाने फिर से डॉक्टर का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ता । इसलिए गोखरू निकालने के साथ-साथ उसकी जड़ भी निकाल फेंकिए ।

● गोखरू और गांठ का इलाज करना अब कोई जटिल काम नहीं रह गया है । रोगी भाग पर पूरा-पूरा ध्यान देने और किसी विशेषज्ञ से सही इलाज करवाने से रोगी को दर्द से लंगड़ाना नहीं पड़ेगा ।

"ज़माने की क़सम, इन्सान वास्तव में घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, और अच्छे कर्म करते रहे, और एक-दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की ताकीद करते रहे ।"

(क़ुरआन, 103:1-3)

A Well Wisher

KOLKATA

'कान्ति' मासिक का आगामी विशेषांक

पश्चिमी जगत और मुसलमान

मुसलमानों ने पश्चिमी जगत को किस रूप में देखा, समझा और जाना ? इस विषय पर बहुत ही कम साहित्य उपलब्ध है। जबकि पश्चिमी जगत के लोगों के मुसलमानों के साथ संपर्क पर बहुतायत चीज़ें उपलब्ध हैं। ब्रिटिश मूल के अमेरिकी इतिहासकार एवं विचारक बर्नार्ड लुइस (BERNARD LEWIS) ने इस विषय पर विस्तृत अध्ययन किया है और ''द मुस्लिम डिस्कवरी ऑफ़ यूरोप'' (The Muslim Discovery of Europe) नामक पुस्तक लिखी है, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इसकी उपादेयता और महत्व के मद्देनज़र 'कान्ति' (मासिक) के प्रस्तुत विशेषांक में इस पुस्तक के महत्वपूर्ण अंशों को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। साथ ही पेश की गयी हैं इस विषय पर कुछ अन्य सामग्रियां।

पृष्ठ लगभग : 120, मूल्य : 60 रुपये

संपादक, 'कान्ति' (मा०), दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल
इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025
ई-मेल : **editorkanti@yahoo.com**

ध्वनि प्रदूषण का बढ़ता ख़तरा

● सूरज कांत शर्मा

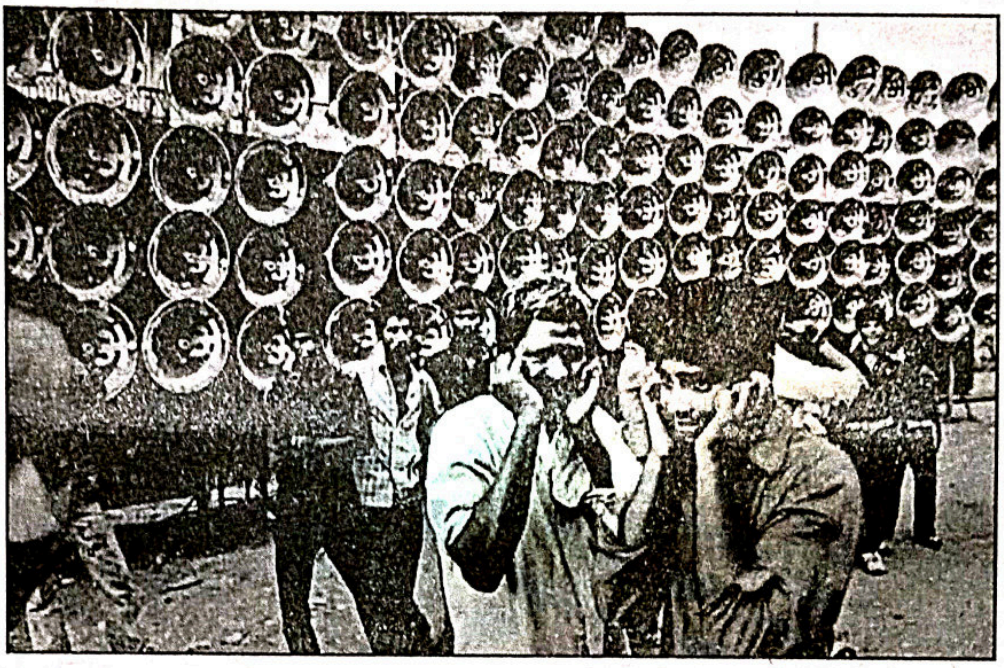

बच्चे किसी भी समाज/देश अथवा क़ौम का भविष्य होते हैं । वे जितने अधिक सुशिक्षित होंगे, भविष्य उतना ही अधिक उज्ज्वल होगा । परन्तु यह तभी संभव है यदि वे शांतमय वातावरण में सुविधापूर्वक अधिक से अधिक पढ़-लिख सकें, चिंतन-मनन कर सकें । परन्तु यदि विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आने वाली लाऊड स्पीकरों व डी॰जे॰ इत्यादि की तेज़ आवाज़ें उनको निरंतर परेशान करती रहेंगी, तो वे क्या चिंतन-मनन कर पाएंगे ?

''पंजाब में शादियों, पार्टियों और धार्मिक स्थलों पर ऊंची आवाज़ पर चलने वाले म्यूजिक और इसके चलते होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर लगाम न लगा पाने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है । जस्टिस एस॰एस॰ सारों एवं जस्टिस अवनीश सिंगन की खंडपीठ ने कहा कि ऊंची आवाज़ में और ख़ासतौर पर देर रात चलने वाले हाई वॉल्यूम म्यूजिक पर जब क़ानून बनाकर पाबंदी लगाई जा चुकी है तो सरकार ऐसा करने वालों पर कार्रवाई करने से क्यों डर रही है ।''

(संदर्भ : दैनिक सवेरा टाईम्स, 25 जुलाई, 2017)

अपनी बात को सुस्पष्ट करते हुए कोर्ट ने कहा कि ''किसी को धार्मिक उपदेश सुनने हैं तो ख़ुद सुने औरों को परेशान क्यों किया जा रहा है ।'' (संदर्भ : उपरोक्त वही)

अब यहां प्रश्न यह उठता है कि जब देश का संविधान हमें किसी भी धर्म को मानने और उसके प्रचार व प्रसार की स्वतंत्रता प्रदान करता है तो हम संबंधित धर्म का प्रचार व प्रसार करने के लिए, धर्म की विशेषताओं को दूसरों तक पहुंचाएंगे । तभी वे हमारे धर्म के प्रति आकर्षित होंगे । तभी हमारा धर्म प्रचार सफल माना जाएगा । यदि हम अपने घर के भीतर ढोलकी-चिमटा आदि लेकर बिना डी॰जे॰ व लाऊड स्पीकर के धर्म के गुणगान करते रहेंगे तो दूसरों को कैसे ज्ञात होगा कि हम धार्मिक हैं । अपने धर्म का भली-भांति पालन करते हैं और फिर कहा भी गया है : जंगल में मोर नाचा किसने देखा ।

यह ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छानुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने और उसका प्रचार व प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता है । परन्तु इस स्वतंत्रता का अर्थ यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि आप रात भर डी॰जे॰ आदि लगाकर स्वयं तो माता का जागरण करें लेकिन पड़ोसियों को परेशान करें । यदि आपकी दृष्टि में यही धर्म है तो फिर अधर्म की परिभाषा क्या होगी ? यह भी तो हो सकता है कि जिस जगह आप धर्म की आड़ में जागरण आदि का कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं उसके आसपास कुछ ऐसे विद्यार्थी हों जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हों । स्मरण रहे, बच्चे किसी भी देश/समाज का भविष्य होते हैं, आधार स्तंभ होते हैं । किसी नयी बन रही बिल्डिंग के अगर आधार स्तंभ कमज़ोर हों, तो उस पर बिल्डिंग भी ज़्यादा मज़बूत नहीं बन पाएगी ।

जहां जागरण के लिए डी॰जे॰ आदि चलाया जा रहा है,

वहां आसपास में यदि कोई दिल का रोगी रहता होगा तो उस पर क्या गुज़रती होगी, यह तो वही बता पाएगा । यह भी हो सकता है कि आसपास में कोई अन्य व्यक्ति बीमार चल रहा हो, शोर-शराबे से उसे मानसिक परेशानी अथवा घबराहट हो रही हो । धर्म का अनुपालन, प्रचार व प्रसार करते समय यदि हम दूसरों की सुख-सुविधा का ध्यान रखेंगे तभी धर्म साधना सफल मानी जाएगी । अन्यथा मात्र शोर-शराबा ही कहा जाएगा ।

देश प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है । नये-नये आविष्कार सामने आ रहे हैं । ऐसे में, धर्म के प्रचार के लिए निर्धारित धार्मिक स्थलों का भीतरी स्थान ही धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए अधिक उपयुक्त होगा । ऐसे में, डी॰जे॰ आदि की ध्वनि उतनी ही रखनी चाहिए ताकि उसकी ध्वनि धार्मिक स्थल से बाहर दूसरों के लिए परेशानी का कारण न बन सके ।

हिन्दू धर्म के अनुयायियों का मानना है कि ईश्वर संसार के कण-कण में व्याप्त है । ऐसे में ईश्वर के प्रत्येक मनुष्य की वाणी में भीं विद्यमान मानना होगा । अब यदि ईश्वर वाणी में पहले से विद्यमान है तो चुपचाप उसका स्मरण करने से उसकी प्रसन्नता आपके प्रति होनी चाहिए ऐसे में, डी॰जे॰, लाऊड स्पीकरों आदि के माध्यम से तड़क-भड़क वाले आडम्बरों की आवश्यकता ही क्या रह जाती है ।

यदि हम लाऊड स्पीकरों व डी॰जे॰ आदि के माध्यम से ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें यह मानना होगा कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है और न ही वह प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है । वह तो हम सबसे कहीं बहुत दूर पहाड़/मंदिर आदि में बैठा है और उसे बहुत ही कम सुनाई देता है परन्तु ऐसा, व्यक्ति सर्वव्यापक कण-कण में विद्यमान व ईश्वर नहीं हो सकता ?

आधुनिक विज्ञान व चिकित्सकों का मानना है कि ध्वनि प्रदूषण विभिन्न प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करता है । अधिक शोर से दक्षता व एकाग्रता में कमी आती है और थकान देता है तो वहीं तेज़ ध्वनि तरंगें पुराने मकानों में दराड़े लाने व उन्हें बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती हैं । संगीत की तेज़ तरंगों से जो ध्वनि प्रदूषण फैलता है वह तनाव को वढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होता है । तनाव के चलते बल्डप्रेशर, कई प्रकार के मानसिक रोग व दिल की बीमारियों और डायबिटीज रक्त में शर्करा वृद्धि आदि कई



प्रकार के रोगों में वृद्धि होती है ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से किये गये एक अध्ययन के अनुसार हृदय रोगों के लिए ज़िम्मेदार कारकों में से एक ध्वनि प्रदूषण को माना जाता है ।

ध्वनि प्रदूषण के कारण अनिद्रा व गंभीर चिड़चिड़ापन जैसे रोग अस्तित्व में आते हैं । यही नहीं, नपुंसकता का ख़तरा बढ़ता है । इस संबंध में हुए ताज़ा शोध के मुताबिक़, ''किसी शोर वाले इलाक़े में रहने वाले पुरुषों में नपुंसकता का ख़तरा रहता है । ख़ासकर सोते समय लगातार शोर की स्थिति बने रहने से यह ख़तरा ज़्यादा होता है ।''

दक्षिण कोरिया स्थित सयोल नेशनल यूनीवर्सिटी के जिन यंग मिन ने कहा है–''नपुंसकता बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या है । अगर स्थितियां ऐसी ही बनी रहीं तो भविष्य में सामान्य गर्भ धारण मुश्किल हो जाएगा । मिन ने कहा कि नपुंसकता की समस्या से जूझ रहे पुरुषों को जानना होगा कि प्रदूषण उनकी स्थिति का कारण हो सकता है । इससे पहले महिलाओं में बांझपन के पीछे भी ध्वनि व अन्य प्रदूषण की भूमिका मिल चुकी है ।''

(संदर्भ : दैनिक जागरण, 20 जून 2017)

ऐसे में विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक संगठनों को भावी पीढ़ियों व मानवता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में लाऊड स्पीकरों व डी॰जे॰ इत्यादि का उपयोग अति संयम से करना ही श्रेयस्कर होगा ।

बिजली : सुविधाएं लें, मगर सावधानी के साथ

■ ज्योति प्रकाश खरे

(झांसी उ०प्र०)

विद्युत एक नितांत उपयोगी शक्ति है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरीक़े से नहीं हुआ तो यह प्राणघातक भी सिद्ध हो सकती है । घरों में आग लगने जैसी दुर्घटनाएं आये दिन होती रहती हैं, कभी-कभी तो लोग विकलांग होते और मृत्यु के शिकार होते भी देखे गये हैं । यदि मनुष्य अपनी बुद्धि-विवेक से सतर्कता एवं जागरूकता बरतें तो निश्चय ही इन संकटों से बच सकता है ।

मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के विद्युत विशेषज्ञ के अनुसार केवल पांच प्रतिशत घर ऐसे हैं जहां पर विद्युत की फिटिंग सही तरीक़े से हुई मिलेगी । उन्होंने आग लगने का प्रमुख कारण उनके प्लग, तार और फ्यूज में प्राय: टिन के मोटे तारों का इस्तेमाल किया जाता है, जो शीघ्र पिघल नहीं पाते । साकेटों के टूटे या चटखे होने के फलस्वरूप तारों के सिरे बाहर की तरफ़ निकल कर आ जाते हैं, इनसे स्पर्श होने पर दुर्घटना होने का ख़तरा रहता है ।

पंखे में तीन पिन वाले प्लग का ही प्रयोग करें

पेडस्टल पंखे का स्विच ऑन करने से पूर्व यह देख लें कि तार के खुले सिरे कहीं साकेट में तो नहीं फंसा दिये हैं ? अनभिज्ञता के कारण यदि ऐसा हो गया हो तो पंखे के स्टैंड में विद्युत प्रवाह दौड़ने लगेगा, पंखे में तार लगाते समय तीन पिन वाले प्लग का ही प्रयोग सही ढंग से करना चाहिए ।

शार्ट सर्किट से बचने के लिए तारों को पी०वी०सी० ट्यूब के अन्दर बंद करें

विवाह संस्कार एवं पूर्व त्योहारों या मांगलिक अवसर पर रंग-बिरंगे बल्बों की झालरें बनायी जाती हैं । उत्सवों के समाप्त होने के उपरांत उनमें से बल्ब तो निकाल लिए जाते हैं परंतु करंट को बंद करने का ध्यान बहुधा नहीं रहता । कई मासूम बच्चे इस भूल का शिकार बनते देखे गये हैं । शार्ट सर्किट के ख़तरे से बचने के लिए तारों को सदैव धातु के पाइप अथवा पी०वी०सी० ट्यूब के अन्दर बंद करना ही अधिक उपयुक्त समझा जाता है ।

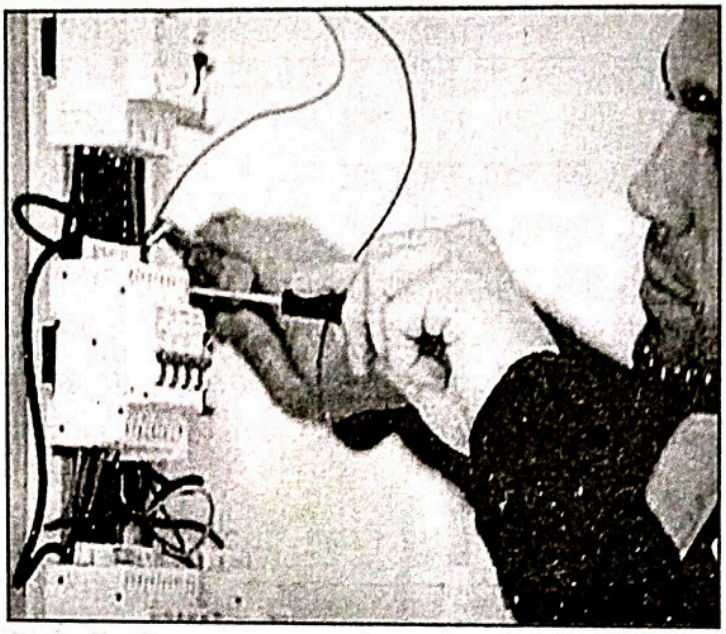

तारों की फिटिंग सावधानी से करें

स्नान घरों में काम आने वाली मशीन, फ्रिज तथा गरम पानी करने के रॉड आदि कुछ विद्युत उपकरण तो ऐसे हैं जो हमेशा पानी और गीले स्थान पर रखे होते हैं । उनके तारों की फिटिंग बड़ी सावधानी से की जानी चाहिए ।

आई०एस०आई० प्रामाणिकता का प्रतीक चिह्न

आई०एस०आई० को सरकारी मार्क समझा जाता है । घरों में प्लग लगाते समय यह अवश्य देखें कि यह मार्क प्लग के ऊपर लगा है या नहीं । यह प्रामाणिकता का प्रतीक चिह्न है । नक़ली चीज़ का प्रयोग क़तई न करें । भारतीय बिजली नियमों के अंतर्गत तीन पिन वाला प्लग ही घरों में लगाएं । इसके ऊपर का भाग कहीं चटका न हो, बड़ी सतर्कता के साथ देख लेना चाहिए । प्लग को खोलने से पता चलेगा कि ऊपर के सिरे में हरा, दाहिनी ओर लाल (करंट वाला) तथा बायीं ओर काला (न्यूट्रल) तार लगा है । लाल और काले तार को यदि बदल कर लगाया जाए तो तार के दूसरे सिरे से जुड़े विद्युत उपकरणों में करंट चालू रहेगा, भले ही स्विच बंद क्यों न हो । लाल और अर्थ के तारों को एक-दूसरे के स्थान पर लगाया जाए तो फ्यूज तो नहीं उड़ेगा पर उपकरण की किसी भी धातु में करंट फैलता मिलेगा ।

ढीले तारों से बनी रहती चिंगारी भड़कने की आशंका

तारों की सेटिंग ठीक करने के लिए प्लास्टिक या लकड़ी के विद्युत अवरोधी हत्थे वाले पेंचकस का प्रयोग करना चाहिए । ढीले तारों से चिंगारी भड़कने की आशंका बनी रहती है । कहीं छुटपुट तार फैले भी हों तो उन्हें निकाल फेंकना दुर्घटना को रोकना ही कहा जा सकता है । ख़रीदते समय पिन प्लग पर अंकित नम्बर को ज़रूर देखें । 5 एम्पीयर का प्लग एक हज़ार वाट से अधिक क्षमता वाले विद्युत उपकरण में ही लगाएं । रेडियो, टेबल लैम्प तथा टी॰वी॰ कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनमें 5 एम्पीयर वाला प्लग ही पर्याप्त होता है । प्लग में लगे तारों को खींच कर बाहर आ जाएं । अर्थ वायर के बाहर खिंच आने पर उपकरण क्रियाशील तो बना रहेगा, पर ख़तरा उत्पन्न कर सकता है ।

अर्थ के तार को बिस्तर के नीचे न दबाएं

गीजर, हीटर तथा हेयर ड्रायर का उपयोग करते समय अत्यधिक सतर्कता की जानी चाहिए । एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले उपकरणों में ट्रांसफ़ार्मर का अन्दर होना नितांत आवश्यक है । बिजली की इस्त्री का तार लंबा हो तो उसे मोड़ना नहीं चाहिए, उसे काटकर छोटा कर देने की विधि ही अधिक उपयुक्त है । इससे शार्ट सर्किट होकर आग लगने का ख़तरा नहीं रहता । किसी अर्थ के तार को बिस्तर के नीचे न दबाएं, आंखों के सामने ही रखें जिससे उसके घिसने आदि का पता भी चलता रहता है ।

प्लग में चिटचिटाने की आवाज़ आये तो तुरंत बन्द करें

काले टेप से तार के टुकड़ों को न मिलाएं । अच्छा तो यही रहेगा कि इस प्रयोजन हेतु एक लंबा तार ही लिया जाए । विद्युत नियमों के अनुसार किसी उपकरण अथवा प्लग में कहीं भी चिटचिटाने की आवाज़ आये तो उसे तुरंत बन्द कर दें । रेडियो और टेलीविज़न के सर्किट से स्विच ऑफ़ न रहने के कारण उनके कलपुर्ज़ों में ज्यों का त्यों करंट बना रहता है ।

यदि सर्किट न्यूनाधिक मात्रा में ख़राब हो तो उसी क्षण प्लग को अलग कर दें । स्टोव

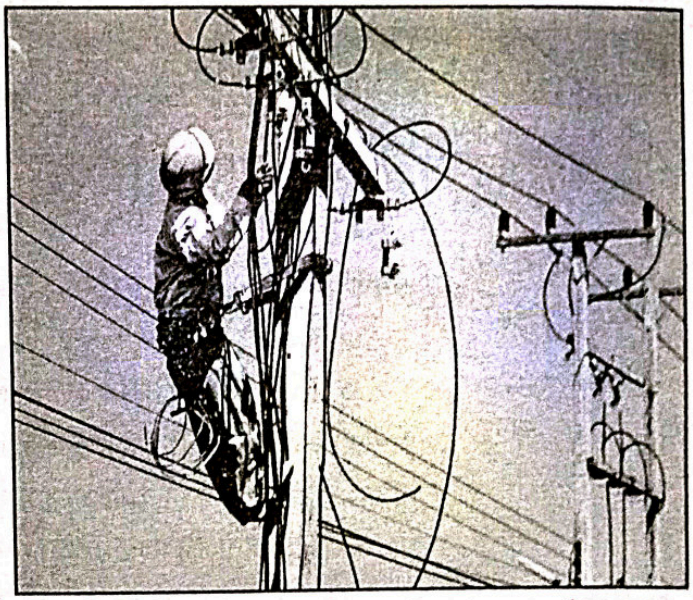

या हीटर में जाली का होना अत्यंत आवश्यक है ।

तारों की क्षमतानुसार ही लोड डालें

पानी गरम करने के लिए जब आप रॉड का इस्तेमाल करते हैं तो बर्तन में उंगली डालने से पहले स्विच ऑफ़ अवश्य करें । सॉकेट में संलग्न तारों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही उस पर लोड डालें । क्षमता से अधिक यंत्र लगाए जाएंगे तो तारों में गर्मी बढ़कर अग्निकांड का रूप बन सकती है ।

छत वाटर प्रूफ़ बनाएं

दीवारों के अन्दर खुले तारों का जाल न बिछाएं । वर्षा के दिनों में पानी तारों से स्पर्श होगा तो करंट को पूरे घर में फैलते देर नहीं लगेगी । इसके लिए छत वाटर प्रूफ़ बनाएं । मानसून आने से पूर्व इसे तारकोल से पुतवा भी सकते हैं ।

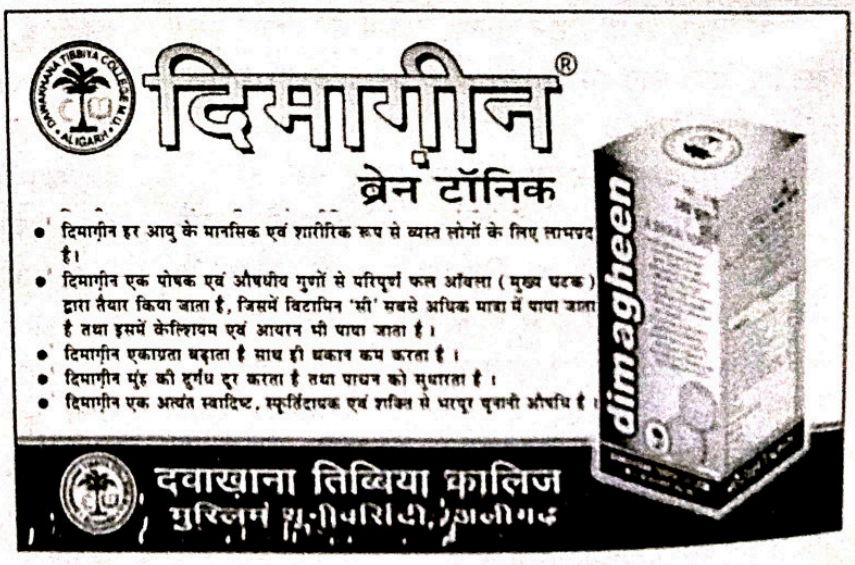

मानव समाज में पिता की भूमिका

● ज़हीर ललितपुरी

हमारे देश के हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध आदि लगभग सभी धार्मिक मानव समुदायों, संप्रदायों और वर्गों के परिवारों में पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है, हालांकि वर्तमान अर्थतंत्र और भौतिकवाद की चकाचौंध में जहां एक ओर सन्तान अपने माता-पिता के प्रति ज़िम्मेदारियों को निभाने में उदासीन दिखाई देती है और दूसरी तरफ़ माता-पिता भी अपनी सन्तान के प्रति ज़िम्मेदारियों को निभाने के मामले में उदासीन दिखाई देते हैं । फिर भी अधिकतर माता-पिता अपनी सन्तान के प्रति ज़िम्मेदारियों का निर्वाह इस प्रकार करते हैं कि उनका समाज में स्वत: महत्व स्थापित हो जाता है । इसलिए सन्तान की भी ज़िम्मेदारी है कि वे अपने माता और पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी निष्ठा और लगन से करें ।

वास्तव में परिवार में माता-पिता दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में पिता परिवार का मुखिया होता है । संसार के अधिकतर क्षेत्रों और समुदायों में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है, इसलिए मानव समाज में पिता का बहुत महत्व है । हिन्दु धर्म में पिता को ईश्वर जैसा और ईश्वर को पिता तुल्य माना जाता है और उसे परम पिता परमेश्वर मानकर पिता की उपमा दी जाती है ।

ईसाई धर्म की मान्यताओं में ईसा मसीह के बाप होने के नाते ईश्वर को सारे संसार का बाप माना जाता है । इस्लाम धर्म में पिता को ईश्वर की उपमा नहीं दी गयी है और न ही ईश्वर को मनुष्य जाति का पिता माना गया है क्योंकि वह सृष्टि का रचयिता है और संसार का निर्माता है । इस्लाम धर्म में आदम अलैहिस्सलाम को समस्त मानव जाति का पिता माना गया है जिन्हें ईश्वर ने बनाया है । संसार में पैदा होने वाले समस्त मनुष्य आदम की और उसकी सन्तानों की सन्तान हैं । इस धर्म में भी पिता का महत्व बताया गया है । ईश्वर के बाद पिता का स्थान और भूमिका सर्वोपरि है । अतएव पिता का आज्ञापालन और सम्मान करना सन्तान का परम कर्तव्य है ।

अतीत की तरह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में भी पिता मानव समाज का आधार है । क्योंकि परिवार मानव समाज की धुरी है, पिता के बिना परिवार और परिवार के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती । वैज्ञानिक दृष्टिकोंण से भी सृष्टि के विकास का माध्यम पिता है । क्योंकि जीवन की उत्पत्ति का प्रारम्भ पिता से होता है । जिस प्रकार संसार के किसी प्राणी, जीवधारी, पशु, पक्षी, तितली, भंवरे, कीट, पतंगे, जीवाणु, कीटाणु, रोगाणु की उत्पत्ति बिना पिता और माता या नर मादा के नहीं हो सकती । उसी प्रकार एक पुरुष और स्त्री के मिलन के बिना मानव समाज की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । हर एक प्राणी अपने पिता का अंश है जिसे मां के खून और दूध से विकसित किया जाता है । मनुष्य के जन्म के बाद उसकी परवरिश, देखरेख,

Chhattisgarh Leading Tailors & Clothiers



N.Y

KING OF SUITINGS

NU-YORK

Ashirwad Towers, Beside Raj Talkies,
G.E. Road, Raipur-C.G.
Ph. : 2226924 (O), Mumtaz Bhai, Atif : 9685784144

पालन पोषण शिक्षा दीक्षा में पिता की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता । यद्यपि बहुत से मनुष्य मां के सहारे पर या अन्य रिश्तेदारों और समाज के व्यक्तियों के सहारे पर भी पलते बढ़ते है लेकिन पिता के बिना उसकी वैसी परवरिश होना संभव नहीं होती जैसी एक पिता करता है । कोई अन्य व्यक्ति भी किसी अन्य पुरुष के बच्चे की परवरिश तक तक नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं को उसके पिता जैसा न समझे ।

बच्चों के लालन पालन में मां की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किन्तु उसकी अनुपस्थिति में या अभाव में एक आदर्श पिता मां की भूमिका का भी निर्वाह स्वयं करता है । अक्सर पत्नी से संबंध टूटने पर या पत्नी की मृत्यु के बाद एक पिता अपनी संतान की मां की तरह देखभाल करता है । वह परिवार की आर्थिक व्यवस्था के लिये घर से बाहर रह कर दिनरात मेहनत करता है, व्यवसाय, धंधा, मज़दूरी अथवा नौकरी करता है और घर में आकर बच्चों की देखभाल करता है, उनके लिये खाना बनाता है, उनकी निज्य क्रियायें करवाता है, धुलाता-नहलाता है, बर्तन, कपड़े और बिस्तर साफ करता है, उनकी पढ़ाई लिखई की व्यवस्था करता है, उनका होमवर्क भी करता है और सुलाने के लिये कहानियां और लोरियां भी सुनाता है ।

अक्सर पत्नी के अभाव में भी अपनी संतान के हित में पिता अपनी दूसरी शादी नहीं करता और आजीवन त्याग कर विधुर का जीवन गुज़ारता है । अगर किसीं की पत्नी दिव्यांग, अशक्त या बीमार होती है तो वह उसकी भी सेवा करता है और संतान का लालन पालन भी । अपनी संतान की परवरिश के साथ-साथ एक व्यक्ति को अपने माता-पिता, भाई-बहन और अन्य रिश्तेदारों वे समाज और देश के प्रति अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है । इसके बावजूद एक आदर्श पिता अपनी संतान के प्रति दायित्वों के निर्वाह में कोई कमी नहीं छोड़ता ।

इस प्रकार हम देखते हैं प्रत्येक धर्म की शिक्षाओं के अनुसार, सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार, प्रत्येक देश के क़ानून के अनुसार पिता के कांधों पर संतान को पैदा करने के बाद उसकी परवरिश की ज़िम्मेदारी रखी गई है ।

इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार, संतान की परवरिश के साथ-साथ पिता की यह भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी संतान को उत्तम शिक्षा और संस्कार दें जिससे मानव जीवन व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके । वास्तव में समाज में चरित्रवान, सभ्य, सुसंस्कृत, ईमानदार, नैतिक, दयावार और मानवतावादी मनुष्यों को तैया करने में पिता की अहम भूमिका है । पिता के कई स्वरूप हैं । पिता जन्मदाता है ।

पिता पालन-पोषण करने वाला है । पिता अपनी संतान का मार्गदर्शक है । वह अपनी संतान का गुरू, उस्ताद और शिक्षक भी है । एक अनुशाषित परिवार में पिता की भूमिका परिवार ओर संतान के संरक्षक, नियामक, प्रशासक और प्रबंधक की होती है । वह अपने परिवार का अध्यक्ष, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, न्यायाधीश, खाद्य एवं रसद आपूर्ति अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, विकास अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, बैंक मैनेजर, परिवहन अधिकारी आदि-आदि सब कुक होता है लेकिन वह अपनी संतान और परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा एक सेवक, चपरासी, नौकर और दास की तरह भी करता है । वह समाज में संतान के पब्लिक रिलेशन्स अधिकारी की भूमिका का निर्वाह भी करता है । वस्तुतः एक सामान्य पिता और एक आदर्श पिता अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार समस्त मोर्चों पर अपने कर्तव्यो व दायित्वों का निर्वाह करता है ।

अतः परिवार, समाज, राष्ट्र और अन्तराष्ट्रीय वैश्विक प्रतिष्ठानों का दारोमदार पिता के कंधों पर टिका है । इसलिए परिवार, समाज, राष्ट्र, और अंतराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों के सदस्यों का उत्तदायित्व है कि ऐसे पिताओं के जीवन, सम्मान और सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा से करें जो उनके निर्माण और सुचारू रूप से संचालन में सहयोग के अपनी संतान को तैयार करते हैं ।

आख़िर एक पिता समाज, राष्ट्र और संसार को ऐसी संतान देता जो सरहदों पर जान की बाजी लगाकर अपने देश के नागरिकों की रक्षा करता है, जो पुलिस के रूप में डियूटी देते हुए आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करती है, जो प्रशासन, न्याय और अन्य मानव जीवन के हर क्षेत्र में अपनी सार्थक भूमिका अदा करते हुए नागरिकों के जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करती है । इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने और दूसरों के पिताओं को सम्मान करे तथा उनके प्रति अपने के कर्तव्यों का निर्वाह करे ।

बलात्कार और मृत्युदंड

● प्रो॰ अब्दुल मुग़नी

संसद के पिछले सत्र में बलात्कार के लिए मृत्युदंड के प्रस्ताव पर गृहमंत्री ने अपनी जो निजी सहमति जताई है, वह एक सही घोषणा है । यद्यपि उन्होंने अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों की आम राय की शर्त रखकर प्रस्ताव पर क़ानून को व्यवहार रूप देने की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है । हालांकि बलात्कार की दिन प्रतिदिन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इसके विरुद्ध शिक्षाप्रद दंड की अत्यधिक आवश्यकता है ।

बलात्कार एक पाशविक कर्म है, जिसके भयंकर दुष्प्रभाव पूरे समाज को भयावह स्थिति में ले जा रहे हैं । भौतिक प्रगति के वर्तमान काल में इस प्रकार के निर्मम अपराध में वृद्धि मानवता के लिए विनाशकारी है, यह हत्या से भी अधिक गंभीर बर्बरता है । अत: इसकी सज़ा मृत्यु से कम नहीं होना चाहिए, बल्कि बलात्कारी दरिंदों को सार्वजनिक रूप से पत्थर मार-मार कर मौत के घाट उतार देना चाहिए, ताकि उनके अपमान व तिरस्कार से आपराधिक प्रवृत्ति के अन्य लोगों में डर पैदा हो और वह अपने परिणाम के डर से इस घिनौने और घृणास्पद अपराध की ओर उन्मुख न हो सकें ।

बलात्कार महिला का सबसे बड़ा अपमान है । आज महिलाओं के अधिकार-हनन की चर्चा है और उनकी सत्ता में अधिकाधिक भागीदारी की मांग भी हो रही है, ताकि उनकी शक्ति बढ़े और अक्षमताएं दूर हों और वे हर प्रकार से पुरुषों के समान हो जाएं । अतएव महिलाओं पर आपराधिक हमलों के विरुद्ध नारी संगठन भी आवाज़ उठाते हैं । अब प्रश्न ये है कि इस दुष्कर्म के विरुद्ध मृत्युदंड के प्रस्ताव को ये संगठन क्या अपनी रणनीति बनाते हैं ? साथ ही क्या वे मृत्युदंड के लिए क़ानून बनवाने की हर संभव कोशिश करेंगे ?

इस प्रश्न का उत्तर तो नारी अधिकारों के इच्छुक सभी राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को देना है, मगर इस सिलसिले में महिला संगठनों का दायित्व सबसे अधिक है और यदि ये संगठन इसके क्रियान्वयन में लापरवाही अथवा आलस करते हैं, तो महिला अधिकारों के प्रति निश्चेष्टता और अक्षमता के आरोप से बच नहीं सकते । महिलाओं का संरक्षण प्रकृति की मांग और सामाजिक व्यवस्था का एक बुनियादी उसूल ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण एजेंडा भी है । सभी राजनीतिक दल इसके लिए हो-हल्ला मचा रहे हैं । फिर भी बलात्कार के लिए मृत्युदंड अभी तक एक प्रस्ताव मात्र है, जिसको क़ानून बनाने के लिए शर्तें लगाई जा रही हैं ?

इस प्रश्न का एक ही उत्तर है और वह है आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के मिश्रित समाज की बेहयाई ने लोगों को लज्जाहीन, बुद्धिविहीन, विवेकहीन तथा चरित्रहीन बना दिया है । औद्योगिक क्रान्ति, वैज्ञानिक प्रगति और 20वीं शताब्दी के दो विश्व युद्धों को झेलने के बाद यूरोप और अमेरिका में जिस सभ्यता का विकास हुआ और जो देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ़्रीक़ा पर छा गयी ।



इस सभ्यता ने नारी स्वतंत्रता और समानता के नारे लगाकर अस्वाभाविक ढंग से महिलाओं और पुरुषों को स्वच्छंदता प्रदान कर दी । शैक्षणिक संस्थानों से लेकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों और प्रशासनिक विभागों तक, राजनैतिक और आर्थिक आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में वे एक-दूसरे के निकट आ गये ।

दोनों के स्वच्छन्द मिलाप ने यौनाच्छा, स्त्रीत्व के प्रति कुविचार, नग्नता और अश्लीलता का एक बवंडर उत्पन्न कर दिया । इस दूषित वातावरण में महिलाओं को कहीं का नहीं रखा । औरत तिरस्कृत हो रही है, उस पर अत्याचार हो रहे हैं, घर और बाहर दोनों का बोझ उसके शक्तिहीन कंधों पर पड़ रहा है, उसके सतीत्व को आहत किया जा रहा है । हद यह है कि बच्चियों के जन्म पर रोक लग रही है और परिणामत: पुरुषों की तुलना में नारियों की संख्या कम होती जा रही है । यह असंतुलन नैतिकता के पतन के साथ-साथ मानव जाति की तबाही का माध्यम भी बन रहा है ।

आज प्रगतिशील कहलाने वाली सभ्यता में 'ब्वाय फ्रेंड', 'गर्ल फ्रेंड', और आगे बढ़कर 'कॉल गर्ल' तक का रिवाज पनप रहा है । पुरुष और नारी के संबंध विवाह के बंधनों से आज़ाद हो रहे हैं । तलाक़ के मामलों में वृद्धि हो रही है । पति-पत्नी के बीच दरार और झगड़ा सामान्य बात है । पारिवारिक संबंध टूट रहे हैं, बच्चे माता या पिता या दोनों के स्नेह से वंचित हो रहे हैं । ये निराशा को भी जन्म दे रही है और मानसिक-अवसाद को भी । सिनेमा और टेलीविज़न पर दिखायी जाने वाली फ़िल्में और पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित नग्न व अश्लील विज्ञापन अमानवीयता के उदाहरण मात्र हैं । नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है । अप्राकृतिक यौनेच्छा के तमाशे वहशीपन को उभार रहे हैं । मानव, पशु बन रहा है, मानवीय प्रकृति विकृत हो रही है ।

डार्विनवाद के बन्दरों की संतान क्या अपनी वास्तविकता की ओर लौट रही है ? यौन विकृति की यह पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है ? यह समाज के 'रोगग्रस्त' होने की दलील है, जिसमें शिक्षा भी उल्टा असर दिखा रही है, परिवार नियोजन परिवारों के बर्बादी का कारण बन रहा है ।

इस परिप्रेक्ष्य के मामले की संवेदनशीलता पर विचार किया जाए तो कहना पड़ेगा कि बलात्कार के लिए प्रभावी दंड के साथ-साथ मिश्रित समाज की अश्लीलता पर प्रतिबंध भी आवश्यक है, ताकि मानवता मौत के मुंह में जाने से बच सके । इस संदर्भ में बसे पहले स्त्री-पुरुष की शारीरिक संरचना और उनके आपसी संबंधों को नज़र में रखता होगा ।

इस संदर्भ में सबसे पहले स्त्री-पुरुष की शारीरिक संरचना और उनके आपसी संबंधों को नज़र में रखता होगा । नर और रानी आदम और हव्वा (अलैहि०) की संतान हैं, जो धरती पर शताब्दियों से जीवन व्यतीत कर रही हैं । इन्होंने घर बनाए हैं, परिवार बनाए हैं, समाज बनाए हैं । इनके परिश्रम से वैज्ञानिक प्रगतियां हुई हैं । इनके बीच एक-दूसरे के लिए आकर्षण हैं, परन्तु आधुनिकयुग में वह कशमकश बन गयी है, जिससे सभ्यता नित् नयी उलझनों का शिकार हो रही है । इस परिस्थिति का कारण स्त्री-पुरुष के शारीरिक व मानसिक अन्तर को नज़रअंदाज़ करना है । दोनों की शारीरिक व मानसिक आवश्यकताएं भिन्न हैं । पुरुष पिता है, भाई है, पति है, औरत माता, बहन और पत्नी है । प्रत्येक व्यक्ति का पुत्र नर और पुत्री नारी है, लेकिन आज भी राजनैतिक व आर्थिक परिस्थितियों ने लिंगों के इस भेद को कृत्रिम तरीक़े से मिटाने की कोशिश की है, जिसके लिए कभी स्वतंत्रता का नारा लगाया जाता है, कभी समानता का, कभी सत्ता में भागीदारी का, ये सब खोखले नारे हैं । इन नारों ने महिलाओं के वास्तविक अधिकारों और घरेलू जीवन को ख़तरे में डाल दिया है, उनकी आबरू दांव पर लगी हुई है । बेपर्दगी और नग्नता को कला और संस्कृति का नाम दिया जा रहा है ।

इस रुझान ने स्नेह व अनुराग की वास्तविक भावनाओं को समाप्त करके जिंसी उलझन और टकराव का ऐसा वातावरण बना दिया है, जिसमें महिलाओं पर आपराधिक हमला प्रतिदिन की घटना बन गयी है । इसलिए मिश्रित समाज और उसकी अश्लीलता पर पाबंदी लगानी होगी । प्रश्न है कि बलात्कार के लिए मृत्युदंड किसको दिया जाएगा? यूरोप और अमेरिका में तो आपसी सहमति से अवैध यौन-संबंध को बलात्कार माना ही नहीं जाता । इसलिए 'रेप' का अर्थ 'व्यभिचार' या 'बलात्कार' किया जाता है, जबकि अवैध संबंध पर हाल में 'व्यभिचार' हैं और दंड योग्य है, चाहे ये संबंध दोनों की आपसी सहमति और खुशी से हों अथवा एक व्यक्ति की ज़बरदस्ती से । निकाह और तलाक़ के नियम इसीलिए बनाए गए हैं कि दोनों यौन संबंधों का वास्तविक आनन्द लें और परिवार की प्रगति का

माध्यम बनें, जिस पर समाज और मानवता के वर्तमान व भविष्य की उन्नति निर्भर है । लेकिन आज पश्चिम से प्रभावित विश्व में ये नियम अप्रभावी हो रहे हैं, इसलिए कि मिश्रित समाज ने नारी आकर्षण को एक नियमित और ख़तरनाम कशमकश में बदल दिया है । स्त्रियों और पुरुषों की सीमाएं टूट रही हैं, उनके कार्य टकरा रहे हैं, उसका परिणाम यह है कि वातावरण में घुटन है, बेचैनी और अवश्विास है । इस परिस्थिति ने स्त्री-पुरुष दोनों को कामुक बना दिया है । फ़िल्मों के अभिनेत्री को 'हीरो' व हीरोइन बना देना इसी अवस्था को दर्शाता है ।

दूषित वातावरण की पराकाष्ठा यह है कि ये नायक और नायिकाएं लड़कों और लड़कियों के आदर्श बन गए हैं ।

संक्षेप में यह कि बलात्कार के लिए मृत्युदंड का क़ानून अवश्य बने और उसके साथ-साथ मिश्रित समाज की अश्लीलता पर भी प्रतिबंध लगाए जाएं, ताकि बलात्कार के कारण ही समाप्त हो जाएं, और अवैध यौन संबंधों का नियंत्रण संभव हो सके ।

इस उद्देश्य के लिए आधुनिक सामाजिक व्यवस्था और पश्चिमी संस्कृति में आधारभूत सुधार की आवश्यकता है । समाज में न्याय व शांति के लिए चहुंमुखी सामाजिक क्रान्ति अपेक्षित है । इस अपेक्षित सुधार क्रान्ति का मार्ग निम्न बिन्दुओं द्वारा प्रशस्त हो सकता है–

(1) जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष के अंधाधुंध मेलजोल पर पाबंदी लगाई जाए ।

(2) सहशिक्षा को समाप्त किया जाए । बालक व बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्थापित करके उनके लिए पृथक शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार कराए जाएं ।

(3) फ़िल्मों, पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों में कहानियों और विज्ञानों के भीतर औरत के नग्न अंगों का प्रदर्शन न किया जाए ।

(4) स्त्री की सम्मानजक वेशभूषा को रिवाज दिया जाए ।

(5) पर्दे के योग्य स्त्रियों का आत्मविश्वास बढ़ाया जाए ।

(6) रोज़गार व व्यापार में महिलाओं व पुरुषों के कार्य क्षेत्र पृथक हों ।

(7) महिलाओं को उन्नति व विकास के पूरे अवसर दिये जाएं, लेकिन उनकी सतीत्व को दाव पर न लगाया जाए ।

(8) अवैध यौन संबंध हर हाल में ग़ैर-क़ानूनी घोषित किये जाएं ।

(9) निकाह व तलाक़ में क़ानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किये जाएं ।

(10) स्त्री व पुरुष की माता-पिता की ज़िम्मेदारी समाप्त न हो ।

उपरोक्त तरीक़ों से दोनों स्त्री-पुरुषों में जो परिवार और समाज के आधारभूत तत्व है, लज्जा, आपसी आदर, सत्कार और धैर्य संतुष्टि के वे सकारात्मक और निर्माण योग्य एहसासात उत्पन्न होंगे, निके अभाव में वास्तविक संस्कृति, बल्कि मानवता की कल्पना नहीं की जा सकती है ।

अकारण

ऐसा अक्सर होता है कि
डॉक्टर एक गोली रोज़ के हिसाब से
3 दिन के लिए 3 गोली लिखता है ।
दवाई दुकान वाला 10 या 15 गोली का
पूरा स्ट्रिप थमाने का आग्रह करता है ।
स्ट्रिप से काट कर 3 गोली देने में
आनाकानी ही नहीं साफ़ मना करता है !
मजबूरी में मरीज़ पूरा स्ट्रिप ले जाता है ।
न केवल अनावश्यक दाम देने पड़ते हैं
बल्कि महंगी दवाइयां बेकार जाती हैं !
खांसी का सीरप या कोई टॉनिक
बड़े पैक में ही सामान्यत: बेचा जाता है ।
2-4 दिन में मात्र कुछ चम्मच पीने के बाद
उठाकर एक किनारे रख दिया जाता है...
हर घर में ये बची हुई ढेरों क़ीमती दवाइयां
कचरे में पड़ी-पड़ी धूल खाती रहती हैं !
एक अनुमान के अनुसार करोड़ों रुपयों की
दवाइयां इस प्रकार बरबाद होती रहती हैं !
हमारे जैसे ग़रीब देश को सोचना ज़रूरी है !

ओम प्रकाश बजाज
इन्दौर, म०प्र०

जीने दो सबको

■ मनोहर चमोली 'मनु'

एक बार की बात है । जंगलवासियों ने शेर को अपना राजा चुन लिया । शेर अपनी मांद में आराम कर रहा था । एक बिल्ली आयी । वह दूध पीने लगी । शेर दहाड़ा । बिल्ली से कहने लगा–'मुझसे पूछे बिना दूध कैसे पी लिया ?'

बिल्ली ने हंसते हुए कहा–'जीभ से पिया । हम बिल्लियों को दूध बेहद पसंद होता है । हम दूध नहीं पिएंगे तो क्या घास खाएंगे !' शेर को गुस्सा आ गया । वह दहाड़ते हुए बोला–'मैं सारी बिल्लियों को आदेश देता हूं कि आज ही इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चली जाएं ।'

बिल्ली ने आंखें मटकाते हुए कहा–'हां-हां । एक यही जंगल नहीं है, जहां हम रहें । हम जा रहे हैं ।'

जंगल की सारी बिल्लियों ने जंगल छोड़ दिया । शेर मांद में आराम करता रहा । एक दिन की बात है । शेर को मांद में सांप ही सांप दिखायी देने लगे । वह जहां भी नज़र डालता, उसे रेंगते हुए सांप दिखायी देते । शेर चिल्लाया । वह दहाड़ते हुए कहने लगा–'तुम मेरी मांद में क्या कर रहे हो । भागो यहां से ।'

एक सांप ने जवाब दिया–'कहां जाएं । रहने को और खाने को ठिकाना तो चाहिए ।'

शेर ने कहा–'मैं आदेश देता हूं कि इस जंगल में एक भी सांप नहीं रहेगा । चलो दफा हो जाओ मेरे जंगल से । नहीं तो मार दिए जाओगे ।'

बूढ़ा सांप बोला–'ठीक है ठीक है । जा रहे हैं ।' जंगल के सभी सांप किसी दूसरे जंगल में चले गये ।

शेर चैन से रहने लगा । लेकिन यह चैन कुछ ही दिनों के बाद शोरगुल में बदल गया । उसकी मांद में चूहे ही चूहे हो गये । चूहे दिन हो या रात । कुछ न कुछ कुतरने में लगे रहते ।

शेर की नींद उड़ गयी । उसे गुस्सा आ गया । वह ज़ोर से दहाड़ा । शेर को मांद छोड़कर बाहर निकलना पड़ा । उसने देखा कि जंगल में चूहे ही चूहे हो गये हैं । वे यहां-वहां घूम रहे हैं । शेर सिर पकड़ कर बैठ गया । चूहों का शोर बढ़ता ही जा रहा था । अब वह उसकी खाल नोंचने लगे थे । शेर बड़ी मुश्किल से बचता-बचाता दूसरे जंगल की ओर भागने लगा ।

पेड़ पर एक लंगूर बैठा हुआ था । उसने शेर को पुकारते हुए पूछा–'अरे । जंगल के शेर । कहां भाग रहे हो ? हुआ क्या ?'

शेर ने सारा क़िस्सा सुनाया । लंगूर हंसते हुए बोला–'जैसा बोओगे, वैसा काटोगे ।'

शेर चौंका । पूछने लगा–'मतलब ?'

लंगूर ने कहा–'मतलब यह कि यह सब तुम्हारा किया-धरा है ।' 'मेरा ? क्या बकते हो ?' शेर ने पूछा ।

लंगूर ने कहा–'क्या तुमने बिल्लियों को जंगल से नहीं भगाया ?'

शेर ने कहा–'हां । उन्हें मैंने ही भगाया । तो ?'

लंगूर बोला–'तो यह कि बिल्लियों के न रहने से चूहे बेख़ौफ़ हो गये । उनकी आबादी बढ़ती चली गयी । तुमने सांपों को भी भगा दिया । चूहों ने उत्पात तो मचाना ही था । अरे । इतना भी नहीं समझते । यह जंगल हम सबका है । हम सब यहां एक-दूसरे की ज़रूरत है । कोई भी ख़ुद पर भला कैसे निर्भर हो सकता है । ख़ुद को ज़िंदा रखना है तो दूसरों को भी जीने देना होगा । समझे कुछ ।'

शेर का सारा माजरा समझ में आ गया । वह समझ गया कि जंगल में छोटे से छोटे जीव का रहना भी ज़रूरी है ।

लंगूर ने पूछा–'अब कहां चल दिए ?'

शेर ने जवाब दिया–'सबको वापस बुलाता हूं ।' यह कहकर शेर घने जंगल की ओर चला गया ।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली–110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223

संपादक : डॉ० [redacted]

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

इस्लाम आपसे क्या चाहता है ?

इस्लाम में पति पत्नी के अधिकार	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	55.00
इस्लाम में मानव-अधिकार	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इस्लाम की शीतल छाया	मौलाना सय्यद हामिद अली	12.00
इस्लाम के चारों ओर	डॉ० कौसर यज़दानी नदवी	14.00
इस्लाम क्या है?	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	08.00
इस्लाम जिससे मुझे प्यार है	अब्दुल्लाह अदियार	55.00
इस्लाम-दर्शन	डॉ० गणेशदत्त सारस्वत, पी०एच०डी०	45.00
इस्लाम धर्म	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	60.00
इस्लाम भविष्य की आशा	सय्यद क़ुत्ब	24.00
इस्लाम में औरत का स्थान और मुस्लिम पर्सनल लॉ	प्रो० उमर हयात ख़ाँ ग़ैरी	72.00
इस्लाम में उदारता	मतीन तारिक़ बाग़पती	40.00
इस्लामी ज़िन्दगी	नसरुल्लाह ख़ां अज़ीज़	60.00
इस्लामी तालीमात	मौलाना सुलैमान क़ासमी	35.00
इस्लामी शरीअत	माइल ख़ैराबादी	90.00
इस्लाम-दर्शन	डॉ० गणेशदत्त सारस्वत, पी०एच०डी०	45.00
इस्लाम धर्म	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	60.00
इस्लाम भविष्य की आशा	सय्यद .क़ुत्ब	24.00
इस्लाम में औरत का स्थान और मुस्लिम पर्सनल लॉ	प्रो० उमर हयात ख़ाँ ग़ैरी	72.00
इस्लाम में उदारता	मतीन तारिक़ बाग़पती	40.00
इस्लाम में पति पत्नी के अधिकार	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	55.00
इस्लाम में मानव-अधिकार	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इस्लाम संदेहों के घेरे में	मुहम्मद .क़ुत्ब	130.00
इस्लामी अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त और उद्देश्य	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	09.00
इस्लामी जिहाद की वास्तविकता	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	20.00
इस्लामी ज़िन्दगी	नसरुल्लाह ख़ां अज़ीज़	60.00
इस्लामी तालीमात	मौलाना सुलैमान क़ासमी	35.00
इस्लामी शरीअत	माइल ख़ैराबादी	90.00

MMI PUBLISHERS
D-307,Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave
Jamia Nagar New Delhi-110025
Phone:26981652,26984347 Mob: 7290092401
E-mail:info@mmipublishers.net,mmipublishers@gmail.com
Website:www.mmipublishers.net

Posted on 20-21 August 2018
September 2018
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.08.2018
Total pages 52 with Cover

कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2018-2020
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2018-2020

